

**MAA OMWATI INTERNATIONAL
EDUCATION CITY**

V.P.O. Hassanpur, Teh. Hodal Distt .Palwal

(HR)



B.A {3RD SEM}

राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त

राजनीति** एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी समाज या देश में सत्ता, निर्णय, नीति और संसाधनों का वितरण और संचालन किया जाता है। यह सरकारों, संस्थाओं और नेताओं के बीच सत्ता प्राप्त करने, बनाए रखने और उसके इस्तेमाल से जुड़ी होती है। राजनीति शास्त्र (Political Science)** के अध्ययन में दो प्रमुख दृष्टिकोण माने जाते हैं:

1. परम्परागत (Traditional) विचार:**

विशेषताएँ: यह दृष्टिकोण मुख्यतः **राज्य**, **सरकार**, **संविधान**, **कानून**, और **राजनीतिक संस्थाओं** का अध्ययन करता है। यह **नैतिक**, **सिद्धांतात्मक**, और **दार्शनिक** दृष्टिकोण पर आधारित होता है। इसमें राजनीति को एक **आदर्श और नैतिक गतिविधि** के रूप में देखा जाता है। यह अध्ययन प्राचीन और मध्यकालीन विचारकों (जैसे प्लेटो, अरस्तू, मैकियावेली आदि) की सोच पर आधारित होता है।

प्रमुख विचारक: प्लेटो - आदर्श राज्य की कल्पना

अरस्तू - राज्य को "मनुष्य का स्वाभाविक संगठन" माना

मैकियावेली - यथार्थवादी राजनीति (The Prince)

रूसो, लॉक, हॉब्स** - सामाजिक अनुबंध सिद्धांत

विशेषताएँ: यह दृष्टिकोण राजनीति का अध्ययन एक विज्ञान की तरह करता है, जैसे समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र के साथ जोड़कर।

यह "राज्य क्या करता है और क्यों करता है?" पर ध्यान देता है।

यह व्यवहार, प्रक्रिया, निर्णय, मतदान, राजनीतिक संस्कृति, जनमत आदि का अध्ययन करता है। Empirical (अनुभवजन्य) और scientific methods का उपयोग किया जाता है।

राजनीति शास्त्र की परम्परागत परिभाषाएँ मुख्यतः राज्य, सरकार, और उनके कार्यों के नैतिक एवं दार्शनिक पहलुओं पर आधारित होती हैं। ये परिभाषाएँ राजनीति को एक आदर्श व्यवस्था कानून का शासन तथा राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन** के रूप में देखती हैं।

परम्परागत परिभाषाएँ:

1. प्लेटो (Plato):

"राजनीति वह कला है जिसके द्वारा न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना की जाती है।"

प्लेटो ने राजनीति को नैतिकता और आदर्शों से जोड़ा। उनके अनुसार, राज्य का उद्देश्य न्याय है।

2. **अरस्तू (Aristotle):**

"राजनीति एक सर्वोच्च विज्ञान है जो यह निर्धारित करता है कि मनुष्य को किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए।"

अरस्तू ने राज्य को एक प्राकृतिक संस्था माना और राजनीति को "व्यावहारिक विज्ञान" (Practical Science) कहा।

3. **गेटेल (Garner):** "राजनीति शास्त्र राज्य और सरकार का अध्ययन है।"

इस परिभाषा में राजनीति शास्त्र को केवल राज्य और उसकी संस्थाओं तक सीमित रखा गया है।

4. **पॉल जनेत (Paul Janet):**

"राजनीति शास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जो राज्य के सिद्धांतों और संगठनों का अध्ययन करता है।" *यह परिभाषा राजनीति शास्त्र को वैज्ञानिक ढंग से देखने की शुरुआत है, लेकिन फिर भी परम्परागत स्वरूप में है।*

5. **ब्लंट्शली (Bluntschli):**

"राजनीति शास्त्र राज्य के ज्ञान का विज्ञान है।"

यह परिभाषा बताती है कि राजनीति शास्त्र केवल राज्य के संगठन, उद्देश्य और कार्यों को जानने का विज्ञान है।

आधुनिक परिभाषाएँ राजनीति को केवल राज्य या सरकार तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि यह व्यापक रूप से **राजनीतिक व्यवहार**, **प्रक्रियाएँ**, **सत्ता के उपयोग**, और **जनता की भागीदारी** पर केंद्रित होती हैं। इन परिभाषाओं में राजनीति को एक **गतिशील सामाजिक प्रक्रिया** माना गया है।

□ **आधुनिक परिभाषाएँ:**

1. **डेविड ईस्टन (David Easton):**

"राजनीति उस प्रक्रिया का नाम है जिसके माध्यम से समाज में प्राधिकारपूर्वक मूल्यों का आवंटन होता है।"

(Politics is the authoritative allocation of values.)

इस परिभाषा में राजनीति को निर्णय लेने की एक सामाजिक प्रक्रिया माना गया है जिसमें सत्ता का प्रयोग होता है।

2. **हेरॉल्ड लास्की (Harold Laski):**

"राजनीति उन सभी गतिविधियों से संबंधित है जो शक्ति या सत्ता के प्रभाव को जन्म देती हैं।"

*लास्की की परिभाषा सत्ता और संघर्ष पर केंद्रित है।

3. **रॉबर्ट डाहल (Robert Dahl):** "राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कुछ लोग दूसरों पर निर्णय थोपते हैं।"

यह परिभाषा सत्ता संबंधों और निर्णय प्रक्रिया पर बल देती है।

4. **गेब्रियल आलमॉन्ड (Gabriel Almond):**

"राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संसाधनों का वितरण करता है।"

यह दृष्टिकोण नीतिगत निर्णय, संसाधन वितरण और सामाजिक उद्देश्यों को जोड़ता है।

5. **ऐंड्रयू हेवुड (Andrew Heywood):**

"राजनीति सत्ता, संघर्ष, विचारधाराओं और संसाधनों के वितरण से जुड़ी हुई एक गतिविधि है।"

यह परिभाषा आधुनिक राजनीति के बहुआयामी दृष्टिकोण को दर्शाती है।

****राजनीति शास्त्र का क्षेत्र (Scope of Political Science)**** बहुत व्यापक है। यह न केवल राज्य और सरकार की संरचना व कार्यप्रणाली का अध्ययन करता है, बल्कि सत्ता, नीति, नागरिक अधिकार, अंतरराष्ट्रीय संबंध, राजनीतिक विचारधाराएँ, और जन-व्यवहार जैसी तमाम प्रक्रियाओं और संस्थाओं को भी शामिल करता है।

राजनीति शास्त्र के क्षेत्र को 3 मुख्य भागों में बाँटा जा सकता है:**

1. **राजनीतिक सिद्धांत (Political Theory):**

क्या अध्ययन होता है?

राजनीति के मूल सिद्धांत और विचारधाराएँ

न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, कर्तव्य आदि

महान विचारकों के विचार (जैसे: प्लेटो, अरस्तू, लॉक, रूसो, मार्क्स)

आधुनिक राजनीतिक विचार (समाजवाद, उदारवाद, फासीवाद आदि)

उद्देश्य: यह तय करना कि "राज्य कैसा होना चाहिए", "नागरिकों को क्या अधिकार होने चाहिए" आदि।

2. **राजनीतिक संस्थाएँ और प्रक्रिया (Political Institutions and Process):**

क्या अध्ययन होता है?

राज्य, सरकार, संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका

* संविधान, कानून, चुनाव प्रणाली

* राजनीतिक दल, दबाव समूह, मीडिया की भूमिका

* संघवाद, लोकतंत्र, अधिनायकवाद, संसदीय प्रणाली आदि

उद्देश्य:

यह समझना कि सरकार और राजनीतिक संस्थाएँ कैसे काम करती हैं।

3. **तुलनात्मक और अंतरराष्ट्रीय राजनीति (Comparative and International Politics):**

क्या अध्ययन होता है?

क) **तुलनात्मक राजनीति:**

विभिन्न देशों की सरकारों और राजनीतिक प्रणालियों की तुलना

* चुनाव प्रणाली, राजनीतिक संस्कृति, शासन प्रणाली आदि की तुलना

ख) **अंतरराष्ट्रीय राजनीति:**

देशों के बीच संबंध

* संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय कानून

* युद्ध, शांति, कूटनीति, ग्लोबल राजनीति

राजनीति शास्त्र का क्षेत्र (Scope of Political Science) बहुत व्यापक है। यह न केवल राज्य और सरकार की संरचना व कार्यप्रणाली का अध्ययन करता है, बल्कि सत्ता, नीति, नागरिक अधिकार, अंतरराष्ट्रीय संबंध, राजनीतिक विचारधाराएँ, और जन-व्यवहार जैसी तमाम प्रक्रियाओं और संस्थाओं को भी शामिल करता है।

राजनीति शास्त्र के क्षेत्र को 3 मुख्य भागों में बाँटा जा सकता है:**

1. **राजनीतिक सिद्धांत (Political Theory):**

क्या अध्ययन होता है?

* राजनीति के मूल सिद्धांत और विचारधाराएँ

* न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, कर्तव्य आदि

* महान विचारकों के विचार (जैसे: प्लेटो, अरस्तू, लॉक, रूसो, मार्क्स)

* आधुनिक राजनीतिक विचार (समाजवाद, उदारवाद, फासीवाद आदि)

उद्देश्य:

* यह तय करना कि "राज्य कैसा होना चाहिए", "नागरिकों को क्या अधिकार होने चाहिए" आदि।

2. **राजनीतिक संस्थाएँ और प्रक्रिया (Political Institutions and Process):**

क्या अध्ययन होता है?

- * राज्य, सरकार, संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका
- * संविधान, कानून, चुनाव प्रणाली
- * राजनीतिक दल, दबाव समूह, मीडिया की भूमिका
- * संघवाद, लोकतंत्र, अधिनायकवाद, संसदीय प्रणाली आदि

उद्देश्य: * यह समझना कि सरकार और राजनीतिक संस्थाएँ कैसे काम करती हैं।

3. **तुलनात्मक और अंतरराष्ट्रीय राजनीति (Comparative and International Politics):**

क्या अध्ययन होता है?

क) **तुलनात्मक राजनीति:**

- * विभिन्न देशों की सरकारों और राजनीतिक प्रणालियों की तुलना
- * चुनाव प्रणाली, राजनीतिक संस्कृति, शासन प्रणाली आदि की तुलना

ख) **अंतरराष्ट्रीय राजनीति:** देशों के बीच संबंध

- * संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय कानून
- * युद्ध, शांति, कूटनीति, ग्लोबल राजनीति

राजनीति शास्त्र का क्षेत्र (Scope of Political Science) बहुत व्यापक है। यह न केवल राज्य और सरकार की संरचना व कार्यप्रणाली का अध्ययन करता है, बल्कि सत्ता, नीति, नागरिक अधिकार, अंतरराष्ट्रीय संबंध, राजनीतिक विचारधाराएँ, और जन-व्यवहार जैसी तमाम प्रक्रियाओं और संस्थाओं को भी शामिल करता है।

□ **राजनीति शास्त्र के क्षेत्र को 3 मुख्य भागों में बाँटा जा सकता है:**

1. **राजनीतिक सिद्धांत (Political Theory):**

क्या अध्ययन होता है?

- * राजनीति के मूल सिद्धांत और विचारधाराएँ
- * न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, कर्तव्य आदि
- * महान विचारकों के विचार (जैसे: प्लेटो, अरस्तू, लॉक, रूसो, मार्क्स)
- * आधुनिक राजनीतिक विचार (समाजवाद, उदारवाद, फासीवाद आदि)

उद्देश्य: * यह तय करना कि "राज्य कैसा होना चाहिए", "नागरिकों को क्या अधिकार होने चाहिए" आदि।

2. **राजनीतिक संस्थाएँ और प्रक्रिया (Political Institutions and Process):**

क्या अध्ययन होता है?

- * राज्य, सरकार, संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका
- * संविधान, कानून, चुनाव प्रणाली
- * राजनीतिक दल, दबाव समूह, मीडिया की भूमिका
- * संघवाद, लोकतंत्र, अधिनायकवाद, संसदीय प्रणाली आदि

उद्देश्य:

- * यह समझना कि सरकार और राजनीतिक संस्थाएँ कैसे काम करती हैं।

3. **तुलनात्मक और अंतरराष्ट्रीय राजनीति (Comparative and International Politics):**

क्या अध्ययन होता है?

क) **तुलनात्मक राजनीति:**

- * विभिन्न देशों की सरकारों और राजनीतिक प्रणालियों की तुलना
- * चुनाव प्रणाली, राजनीतिक संस्कृति, शासन प्रणाली आदि की तुलना

ख) **अंतरराष्ट्रीय राजनीति:**

* देशों के बीच संबंध

* संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय कानून

* युद्ध, शांति, कूटनीति, ग्लोबल राजनीति

□ ****अन्य उभरते हुए क्षेत्र:****

| क्षेत्र | विषयवस्तु |

| ----- | ----- |

| ****लोकनीति (Public Policy)**** | नीति निर्माण, क्रियान्वयन, और मूल्यांकन |

| ****राजनीतिक समाजशास्त्र**** | समाज और राजनीति का संबंध |

| ****राजनीतिक मनोविज्ञान**** | राजनीतिक निर्णयों में भावनाओं और सोच का प्रभाव |

| ****राजनीतिक अर्थशास्त्र**** | राजनीति और आर्थिक नीति का संबंध |

| ****पर्यावरणीय राजनीति**** | जलवायु नीति, वैश्विक पर्यावरणीय न्याय |

□ ****निष्कर्ष:****

****राजनीति शास्त्र का क्षेत्र**** केवल "राज्य और सरकार" तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा विषय है जो ****व्यक्ति से लेकर राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय स्तर**** तक की सत्ता, निर्णय और नीतियों की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करता है। यदि आप चाहें तो मैं इनमें से किसी भाग को विस्तार से भी समझा सकता हूँ।

****राजनीति शास्त्र की विषय-वस्तु (Subject Matter of Political Science)**** का अर्थ है – वे सभी पहलू, जिनका अध्ययन राजनीति शास्त्र में किया जाता है। यह विषय न केवल राज्य, सरकार और सत्ता तक सीमित है, बल्कि समाज में सत्ता के वितरण, नीति निर्माण, राजनीतिक व्यवहार, अंतरराष्ट्रीय संबंध आदि को भी समेटे हुए है।

□ ****राजनीति शास्त्र की प्रमुख विषय-वस्तु:****

1. ****राज्य का अध्ययन (Study of the State)****

* राज्य की उत्पत्ति (जैसे - सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत)

- * राज्य के उद्देश्य और कार्य

- * राज्य की संप्रभुता और सीमाएँ

- * राज्य और व्यक्ति का संबंध

□ *राजनीति शास्त्र की मूल विषय-वस्तु "राज्य" ही है।*

2. **सरकार और उसकी संस्थाएँ (Government and Its Institutions)**

- * विधायिका (Legislature), कार्यपालिका (Executive), और न्यायपालिका (Judiciary)

- * संविधान, कानून, और शासन प्रणाली

- * लोकतंत्र, अधिनायकवाद, राजतंत्र, संघवाद आदि की संरचनाएँ

राजनीतिक संस्थाओं के ढांचे और कार्यप्रणाली का गहन अध्ययन।

3. **राजनीतिक सिद्धांत (Political Theory)**

- * स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, धर्मनिरपेक्षता

- * राजनीतिक विचारधाराएं: लोकतंत्र, समाजवाद, पूंजीवाद, फासीवाद

- * प्रमुख विचारकों के विचार: प्लेटो, अरस्तू, लॉक, मार्क्स, गांधी आदि

राजनीति में नैतिक और दार्शनिक मूल्य क्या हैं – यह तय करने में सहायक।

4. **राजनीतिक व्यवहार (Political Behaviour)**

- * मतदाता व्यवहार (Voting Behaviour)

- * राजनीतिक सहभागिता और राजनीतिक समाजीकरण

- * जनमत, राजनीतिक संस्कृति, मीडिया और प्रचार का प्रभाव

राजनीति में आम जनता की भूमिका और व्यवहार का अध्ययन।

5. **लोकनीति और नीति निर्माण (Public Policy & Administration)**

- * सरकार की योजनाएँ, नीतियाँ और उनका क्रियान्वयन

- * प्रशासनिक संरचना और कार्यशैली
- * सुशासन (Good Governance), भ्रष्टाचार, पारदर्शिता
- *राजनीति के व्यावहारिक पक्षों का अध्ययन।*

6. **तुलनात्मक राजनीति (Comparative Politics)**

- * विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन
- * संसदीय बनाम राष्ट्रपति प्रणाली, बहुदलीय बनाम द्विदलीय प्रणाली
- *विभिन्न देशों की राजनीति को समझने का वैज्ञानिक तरीका।*

7. **अंतरराष्ट्रीय राजनीति (International Politics)**

- * देशों के बीच संबंध, कूटनीति, युद्ध और शांति
- * अंतरराष्ट्रीय संगठन: संयुक्त राष्ट्र, WTO, IMF
- * वैश्विक मुद्दे: आतंकवाद, पर्यावरण, मानव अधिकार
- *राजनीति का वैश्विक दृष्टिकोण।*

□ **सारांश तालिका:**

विषय-वस्तु	मुख्य बिंदु	
-----	-----	
राज्य	उत्पत्ति, कार्य, उद्देश्य	
सरकार	संस्थाएँ, संविधान, शासन प्रणाली	
राजनीतिक सिद्धांत	न्याय, स्वतंत्रता, विचारधाराएँ	
राजनीतिक व्यवहार	मतदान, जनमत, सहभागिता	
लोकनीति	नीति निर्माण, प्रशासन	
तुलनात्मक राजनीति	देशों की प्रणाली की तुलना	

□ निष्कर्ष:

****राजनीति शास्त्र का महत्व एवं उपयोगिता (Importance and Utility of Political Science)**** बहुत व्यापक है, क्योंकि यह न केवल राज्य और सरकार के कार्यों को समझने में मदद करता है, बल्कि एक जागरूक, उत्तरदायी और सक्रिय नागरिक बनने की दिशा में भी मार्गदर्शन देता है।

□ ****राजनीति शास्त्र का महत्व (Importance of Political Science):****

1. ****राजनीतिक जागरूकता का विकास****

* यह नागरिकों को उनके ****अधिकारों****, ****कर्तव्यों****, और ****संवैधानिक संरचना**** के प्रति जागरूक बनाता है।

* लोकतंत्र को मजबूत करता है।

2. ****अच्छे नागरिक का निर्माण****

* राजनीति शास्त्र हमें ****संविधान****, ****कानून****, ****नैतिकता****, और ****सामाजिक उत्तरदायित्व**** का बोध कराता है।

* नागरिक कर्तव्यों की समझ और पालन की भावना विकसित होती है।

3. ****लोकतंत्र को सशक्त बनाना****

* जब लोग राजनीति को समझते हैं, तो वे बेहतर नेता चुनते हैं, गलत नीतियों का विरोध करते हैं और सक्रिय भागीदारी करते हैं।

4. ****राजनीतिक समस्याओं की समझ****

* यह समाज में व्याप्त ****भ्रष्टाचार****, ****अधिकारों का दमन****, ****राजनीतिक अस्थिरता**** जैसी समस्याओं के मूल कारणों को समझने में मदद करता है।

5. ****विचारधाराओं की समझ****

* राजनीति शास्त्र ****लोकतंत्र****, ****समाजवाद****, ****राष्ट्रवाद****, ****अधिनायकवाद**** आदि विचारधाराओं की तुलना और आलोचना करना सिखाता है।

6. **शासन और प्रशासन की समझ**

* सरकार कैसे काम करती है, बजट कैसे बनता है, नीति कैसे लागू होती है – यह सब जानने में मदद मिलती है।

7. **सामाजिक न्याय की स्थापना**

* राजनीति शास्त्र सामाजिक असमानताओं, जातिवाद, लिंग भेद, और शोषण के विरुद्ध न्याय की बात करता है।

□ **राजनीति शास्त्र की उपयोगिता (Utility of Political Science):**

| उपयोग का क्षेत्र

| विवरण

|

| ----- | -----

| ----- |

| **शैक्षणिक क्षेत्र**

| यह विषय स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में

पढ़ाया जाता है; इसमें शोध कार्य की व्यापक संभावनाएँ हैं। |

| **सिविल सेवा परीक्षा (IAS/PCS आदि)** | राजनीति शास्त्र सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक प्रमुख विषय है। |

| **प्रशासनिक सेवाएँ**

| प्रशासनिक अधिकारी, राजनयिक, नीति निर्माता

बनने में सहायक। |

| **पत्रकारिता एवं जनसंचार**

| राजनीतिक विश्लेषण और रिपोर्टिंग में सहायक।

|

| **कानूनी क्षेत्र**

| कानून, संविधान और न्याय व्यवस्था को समझने में

सहायक। |

| **राजनीति में करियर**

| राजनीति में प्रवेश करने वालों के लिए यह

विषय मार्गदर्शक है। |

□ ****निष्कर्ष:****राजनीति शास्त्र**** न केवल एक शैक्षणिक विषय है, बल्कि यह हमें ****समाज, शासन और नागरिक जीवन**** को समझने की दृष्टि देता है। यह व्यक्ति को ****जागरूक****, ****सजग**** और ****सक्रिय नागरिक**** बनाता है, जो लोकतंत्र और समाज की उन्नति के लिए अत्यंत आवश्यक है।

****राजनीति शास्त्र की प्रकृति (Nature of Political Science)**** यह स्पष्ट करती है कि यह विषय किस प्रकार का है – क्या यह ****विज्ञान है****, क्या यह ****सैद्धांतिक है****, या क्या यह ****व्यवहारिक और सामाजिक विज्ञान**** है। राजनीति शास्त्र की प्रकृति को समझने के लिए हमें इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करना होता है।

□ ****राजनीति शास्त्र की प्रकृति के प्रमुख पक्ष:****

1. □ ****राजनीति शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है****

* यह समाज में रहने वाले ****व्यक्तियों, समूहों, संस्थाओं और सरकारों**** के बीच संबंधों का अध्ययन करता है।

* समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान आदि से इसका घनिष्ठ संबंध है।

* यह समाज में सत्ता के उपयोग, संघर्ष, नीति निर्माण आदि पर केंद्रित है।*

2. □ ****राजनीति शास्त्र व्यवहारिक और विश्लेषणात्मक है****

* आधुनिक युग में यह विषय केवल आदर्शवादी न रहकर ****व्यवहार पर आधारित (empirical)**** हो गया है।

* यह चुनावों, जनमत, राजनीतिक सहभागिता, मीडिया, दलों आदि का वैज्ञानिक विश्लेषण करता है।

* यह सिद्धांतों के साथ-साथ तथ्यों का भी अध्ययन करता है।*

3. □ ****राजनीति शास्त्र आंशिक रूप से विज्ञान है****

* इसमें वैज्ञानिक विधियों (Scientific Methods), जैसे आंकड़ों का विश्लेषण, तुलनात्मक अध्ययन, प्रयोग आदि का प्रयोग किया जाता है।

* लेकिन यह ****पूर्णतः प्राकृतिक विज्ञान (जैसे भौतिकी, रसायन)**** जैसा नहीं है क्योंकि मनुष्य का व्यवहार पूर्णतः पूर्वानुमानित नहीं होता।

□ *इसलिए इसे "अव्यवस्थित विज्ञान" (Inexact Science) कहा जाता है।*

4. □ *राजनीति शास्त्र मानवीय मूल्यों से जुड़ा है**

* यह न्याय, समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्यों की भी चर्चा करता है।

* इसमें केवल तटस्थ तथ्यों का नहीं, बल्कि नैतिक निर्णयों का भी स्थान है।

□ *इसलिए इसे "Normative" (नैतिक मूल्यों पर आधारित) और "Empirical" (तथ्यों पर आधारित) - दोनों कहा जा सकता है।*

5. □ *राजनीति शास्त्र एक बहुआयामी विषय है**

* यह केवल राज्य या सरकार का अध्ययन नहीं करता, बल्कि अंतरराष्ट्रीय संबंध, पर्यावरणीय राजनीति, मीडिया, जनसंचार, और वैश्विक शक्तियों तक इसका विस्तार है।

□ *इसकी प्रकृति समय और परिस्थितियों के साथ बदलती रहती है।*

□ **राजनीति शास्त्र की प्रकृति - सारांश तालिका:**

विशेषता	विवरण	
-----	-----	
सामाजिक विज्ञान	समाज की राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन	
व्यवहारिक	सत्ता, नीति, जनमत आदि का विश्लेषण	
आंशिक विज्ञान	वैज्ञानिक विधियों का उपयोग, पर पूर्णतः निश्चित नहीं	
नैतिकता से जुड़ा	न्याय, स्वतंत्रता आदि मूल्यों पर बल	
बहुआयामी	राज्य, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंध, दल, नीति आदि	

□ *निष्कर्ष (Conclusion):***राजनीति शास्त्र की प्रकृति** जटिल, व्यापक और बहुआयामी है। यह न तो पूरी तरह विज्ञान है, न पूरी तरह दर्शन; यह इन दोनों के बीच का एक ऐसा विषय है जो **तथ्यों के साथ मूल्यों** और **व्यवहार के साथ आदर्शों** का संतुलन बनाए रखता है।

आपका प्रश्न है: ****"राजनीति शास्त्र एक विज्ञान नहीं है"*** – यह एक ****विवादास्पद (debatable)*** कथन है, जिस पर विभिन्न विचारकों और शिक्षाशास्त्रियों के अलग-अलग मत हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं:

□ ****क्या राजनीति शास्त्र विज्ञान नहीं है? - तर्कों सहित विश्लेषण****

□ ****राजनीति शास्त्र को विज्ञान न मानने वाले तर्क:****

1. □ ****पूर्वानुमान की निश्चितता नहीं****

* प्राकृतिक विज्ञानों (जैसे - भौतिकी, रसायन) की तरह राजनीति में ****स्थायी नियम**** नहीं होते।

* मनुष्य का व्यवहार बदलता रहता है, जिससे ****सटीक भविष्यवाणी**** करना असंभव होता है।

□ ****जैसे: एक जैसी परिस्थिति में दो देश अलग-अलग निर्णय ले सकते हैं।***

2. □ ****प्रयोग की कठिनाई****

* राजनीति में वैज्ञानिक प्रयोग (experiments) संभव नहीं जैसे प्रयोगशाला विज्ञान में होते हैं।

* समाज और राजनीति को नियंत्रित वातावरण में रखना असंभव है।

□ ****राजनीति सामाजिक और नैतिक तत्वों से जुड़ी होती है, जिन्हें प्रयोगशाला में मापा नहीं जा सकता।***

3. □ ****मूल्य-आधारित विषय***** राजनीति केवल तथ्यों का नहीं, बल्कि ****नैतिक मूल्यों****, आदर्शों और सिद्धांतों का भी अध्ययन करती है।

* यह विषय आंशिक रूप से ****नैतिक विज्ञान (Normative science)**** भी है, जबकि वास्तविक विज्ञान पूरी तरह तटस्थ होता है।

4. □ ****अलग-अलग विचार और सिद्धांत****

* राजनीति शास्त्र में हर समस्या पर कई विचार होते हैं (जैसे लोकतंत्र बनाम अधिनायकवाद), पर कोई एक सार्वभौमिक सत्य नहीं।

* इसमें ****सार्वभौमिक नियमों**** की अनुपस्थिति है।

5. □ ***व्यक्ति और समाज का जटिल व्यवहार****

* व्यक्ति का सोच, भावना, संस्कृति, परंपरा आदि राजनीति को प्रभावित करते हैं – ये सब वैज्ञानिक विश्लेषण के दायरे से बाहर हैं।

□ ****निष्कर्ष (Conclusion):****

> ****राजनीति शास्त्र को पूर्णतः विज्ञान नहीं कहा जा सकता****, क्योंकि इसमें:

* प्रयोगों की कठिनाई,

* नियमों की अस्थिरता,

* मनुष्य के व्यवहार की अनिश्चितता,

* और नैतिक मूल्यों की प्रधानता है।

इसीलिए कई विचारक इसे ****"कला और विज्ञान के बीच का विषय"**** मानते हैं।

□ ****राजनीति शास्त्र को विज्ञान मानने के पक्ष में तर्क:****

1. □ ****वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग**** आधुनिक राजनीति शास्त्र में ****डेटा संग्रह****, ****सर्वेक्षण****, ****सांख्यिकीय विश्लेषण****, और ****तुलनात्मक अध्ययन**** जैसी वैज्ञानिक विधियाँ अपनाई जाती हैं।

* उदाहरण: चुनावी व्यवहार (voting behaviour), जनमत सर्वेक्षण (opinion poll)।

* इससे राजनीति के अध्ययन को प्रामाणिकता और वस्तुनिष्ठता मिलती है।*

2. □ ****तथ्य-आधारित अध्ययन (Empirical Approach)****

* व्यवहारवादी दृष्टिकोण (Behaviouralism) ने राजनीति को ****तथ्यों, अनुभवों और व्यवहारों के आधार**** पर देखने की परंपरा शुरू की।

* यह "क्या है?" पर ध्यान देता है, न कि "क्या होना चाहिए?" पर।

उदाहरण: डेविड ईस्टन की सिस्टम थ्योरी, गैब्रियल आलमॉन्ड का संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण।

3. □ **नियम और सिद्धांत विकसित होते हैं**

* राजनीति में भी कुछ सामान्य सिद्धांत होते हैं जैसे - सत्ता का सिद्धांत, जन-भागीदारी का सिद्धांत, लोकतंत्र के सिद्धांत आदि।

* ये नियम पूर्णतः सार्वभौमिक न होते हुए भी, विश्लेषण के लिए उपयोगी होते हैं।

जैसे: लोकतंत्र की सफलता के लिए जनभागीदारी, स्वतंत्र चुनाव, अधिकारों का संरक्षण - ये आवश्यक तत्व हैं।

4. □ **समस्याओं के समाधान की क्षमता**

* राजनीति शास्त्र में समाज की समस्याओं (जैसे भ्रष्टाचार, असमानता, हिंसा) का विश्लेषण कर **नीतियाँ और समाधान** प्रस्तुत किए जाते हैं।

* यह राजनीति को एक **समाजोपयोगी विज्ञान** बनाता है।

5. □ **अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध**

* जैसे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, मानवशास्त्र की तरह यह भी **मानव व्यवहार** और समाज के संगठनों का अध्ययन करता है।

इससे यह सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में आता है।

□ **राजनीति शास्त्र को विज्ञान मानने वाले प्रमुख विद्वानः** | विचारक
|
| ----- | -----
--- |

| **डेविड ईस्टन** | राजनीति को "authoritative allocation of values" मानते हैं - जो विश्लेषण योग्य प्रक्रिया है |

| **गैब्रियल आलमॉन्ड** | राजनीति को एक प्रणाली के रूप में देखते हैं - इनपुट, आउटपुट, फीडबैक |

| **लासवेल** | राजनीति "who gets what, when, how" है - इसे मापा जा सकता है |

□ **निष्कर्ष (Conclusion):**

- > राजनीति शास्त्र को आज के युग में एक **आधुनिक सामाजिक विज्ञान** माना जाता है।
- > यह वैज्ञानिक विधियों, विश्लेषण और तथ्यों के आधार पर समाज की राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है।
- > यद्यपि यह पूर्णतः प्राकृतिक विज्ञानों जैसा नहीं है, फिर भी इसे एक **अव्यवस्थित (inexact) लेकिन वैज्ञानिक** विषय माना जाता है।

Chapter -2

राजनीति शास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ सम्बन्ध

राजनीति शास्त्र और इतिहास दोनों ही महत्वपूर्ण विषय हैं जो समाज और राष्ट्र के विकास, संरचना और प्रक्रियाओं को समझने में मदद करते हैं।

राजनीति शास्त्र (Political Science)

राजनीति शास्त्र राजनीति, शासन, शक्ति, अधिकार, नीतियाँ और उनके प्रभावों का अध्ययन करता है। इसका उद्देश्य समाज में राजनीतिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं, और व्यवस्थाओं को समझना है। इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख क्षेत्र आते हैं:

1. ****सिद्धांत****: इसमें राजनीति के मूल सिद्धांतों जैसे सत्ता, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, और अधिकार का अध्ययन किया जाता है।
2. ****संविधान और सरकार****: यह भाग यह समझने में मदद करता है कि कैसे विभिन्न प्रकार की सरकारें (लोकतंत्र, तानाशाही, साम्राज्यवाद आदि) काम करती हैं और संविधान का क्या महत्व होता है।
3. ****राजनीतिक दल और चुनाव****: यह क्षेत्र यह देखता है कि राजनीतिक दल कैसे काम करते हैं, चुनाव प्रक्रिया किस प्रकार संचालित होती है, और उनका समाज पर क्या असर होता है।
4. ****अंतर्राष्ट्रीय राजनीति****: यह हिस्सा देशों के बीच रिश्तों और उनके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित होता है।

इतिहास (History) इतिहास समय के विभिन्न चरणों में हुए घटनाओं, व्यक्तियों और समाजों का अध्ययन है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे वर्तमान स्थिति बनी और भविष्य के लिए क्या सीख प्राप्त की जा सकती है। इतिहास के प्रमुख भाग हैं:

1. ****प्राचीन इतिहास****: इसमें प्राचीन सभ्यताओं (जैसे सुमेर, मिस्र, ग्रीस, रोम, भारत की सिंधु घाटी आदि) का अध्ययन किया जाता है।
2. ****मध्यकालीन इतिहास****: इस काल में यूरोप में मध्यकालीन समाज, मुस्लिम साम्राज्य, भारत का मध्यकाल (मुगल साम्राज्य) आदि शामिल होते हैं।
3. ****आधुनिक इतिहास****: औद्योगिक क्रांति, उपनिवेशवाद, स्वतंत्रता संग्राम, और वैश्विक युद्धों के साथ-साथ आधुनिक राष्ट्रों की शुरुआत इस क्षेत्र में आती है।

राजनीति शास्त्र और इतिहास का संबंध राजनीति शास्त्र और इतिहास एक-दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। इतिहास हमें यह बताता है कि विभिन्न राजनीतिक प्रणालियाँ और घटनाएँ किस प्रकार विकसित हुईं और राजनीति शास्त्र हमें यह समझने में मदद करता है कि वर्तमान राजनीतिक प्रक्रियाएँ किस प्रकार काम करती हैं। दोनों का उद्देश्य समाज की समझ को बेहतर बनाना है, ताकि हम अपने फैसले और भविष्य की दिशा को समझने में सक्षम हों।

राजनीति शास्त्र और इतिहास दोनों ही महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र हैं, लेकिन इनके बीच कुछ मूलभूत अंतर हैं। ये दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका दृष्टिकोण, उद्देश्य और कार्यप्रणाली अलग होती है।

1. ****परिभाषा:*** **राजनीति शास्त्र (Political Science):**** यह विज्ञान के रूप में राजनीति, शासन, सरकार, सत्ता, अधिकार, और नीतियों का अध्ययन करता है। यह यह जानने की कोशिश करता है कि विभिन्न प्रकार की राजनीतिक प्रणालियाँ, संस्थाएँ और प्रक्रियाएँ किस प्रकार काम करती हैं।

* ****इतिहास (History):**** यह समय के विभिन्न कालों में घटित घटनाओं, समाजों, व्यक्तित्वों और उनकी गतिविधियों का अध्ययन करता है। इतिहास यह बताता है कि पिछले समय में क्या हुआ, क्यों हुआ और उसका आज के समाज पर क्या प्रभाव पड़ा।

2. ****उद्देश्य:*** **राजनीति शास्त्र:**** इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक संस्थाओं, विचारों, प्रक्रियाओं और नीतियों को समझना है। यह हमें यह सिखाता है कि समाज में राजनीतिक अधिकारों और कर्तव्यों का वितरण कैसे होता है, और कैसे सरकारें निर्णय लेती हैं।

* ****इतिहास:**** इतिहास का उद्देश्य अतीत के घटनाक्रमों को समझना और उनका विश्लेषण करना है। यह यह समझने की कोशिश करता है कि हमारे वर्तमान समाज और राजनीतिक संरचनाएँ किस प्रकार विकसित हुईं और अतीत की घटनाओं का आज पर क्या असर पड़ा।

3. ****दृष्टिकोण:*** **राजनीति शास्त्र:**** इसका दृष्टिकोण वर्तमान और भविष्य पर केंद्रित होता है। यह राजनीतिक घटनाओं, आंदोलनों और नीतियों का विश्लेषण करके भविष्य के लिए सुझाव प्रदान करता है।

* ****इतिहास:**** इतिहास अतीत से संबंधित है, और इसका दृष्टिकोण अतीत की घटनाओं को समझने और उनका विश्लेषण करने पर आधारित है। यह एक प्रकार से अतीत की कहानियों का रिकॉर्ड है, जो हमें वर्तमान को समझने में मदद करता है।

4. ****कार्यप्रणाली:*** **राजनीति शास्त्र:**** यह विश्लेषणात्मक और सैद्धांतिक होता है, जिसमें गणितीय या सांस्कृतिक दृष्टिकोण से राजनीति का अध्ययन किया जाता है। राजनीति शास्त्र में सैद्धांतिक (theoretical) और व्यावहारिक (practical) दोनों तरह के पहलुओं का अध्ययन किया जाता है।

* ****इतिहास:**** यह अधिकतर ऐतिहासिक तथ्यों और घटनाओं पर आधारित होता है। इतिहासकार विभिन्न स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करते हैं जैसे पुरानी कागजात, अभिलेख, प्रत्यक्षदर्शी गवाहियाँ, आदि, और उन्हें एक कथा के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

5. ****विषय:*** **राजनीति शास्त्र:**** इसमें सरकार, राज्य, चुनाव, राजनीतिक दल, अधिकार, अंतरराष्ट्रीय संबंध, मानवाधिकार, जनतंत्र, तानाशाही आदि विषय आते हैं।

* **इतिहास:** इसमें विभिन्न कालों (प्राचीन, मध्यकालीन, और आधुनिक) की घटनाओं, संस्कृतियों, युद्धों, साम्राज्य, धार्मिक आंदोलन, समाजिक परिवर्तन आदि का अध्ययन होता है।

6. **विधान:** **राजनीति शास्त्र:** इसमें विशेष रूप से सिद्धांत, विधियों और प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि राजनीति के विभिन्न सिद्धांत, सरकार की संरचनाएँ, चुनाव प्रक्रिया आदि।

* **इतिहास:** इसमें घटनाओं की घटनाक्रमात्मक व्याख्या की जाती है। इतिहासकार घटनाओं को उनके संदर्भ में और समय के अनुसार क्रमबद्ध करके उनका विश्लेषण करते हैं।

7. **उदाहरण:** **राजनीति शास्त्र:** अगर हम लोकतंत्र के सिद्धांत पर विचार करें, तो राजनीति शास्त्र इसका अध्ययन करेगा कि कैसे लोकतंत्र काम करता है, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं, और क्यों विभिन्न देशों में लोकतांत्रिक प्रणालियाँ अलग-अलग तरीके से काम करती हैं।

* **इतिहास:** अगर हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अध्ययन करें, तो इतिहासकार यह बताएंगे कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारतीय संघर्ष कैसे शुरू हुआ, प्रमुख घटनाएँ क्या थीं, और स्वतंत्रता प्राप्ति का मार्ग कैसे बना। **राजनीति शास्त्र (Political Science)** और **अर्थशास्त्र (Economics)** दोनों ही सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण अंग हैं, लेकिन इनका अध्ययन क्षेत्र, दृष्टिकोण और उद्देश्य अलग होते हैं। आइए इनके बीच का अंतर विस्तार से समझते हैं:

□ **राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में अंतर**

| **बिंदु** | **राजनीति शास्त्र**

| **अर्थशास्त्र**

|

| ----- | -----

----- | -----

----- |

| **परिभाषा** | यह राज्य, सरकार, सत्ता, नीति निर्माण, और शासन प्रणाली का अध्ययन है।

उपभोग का अध्ययन है।

|

| यह संसाधनों के उत्पादन, वितरण और

| ****मुख्य उद्देश्य**** | सत्ता और शासन के सिद्धांतों, संस्थाओं व नीतियों को समझना।

| सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग कैसे हो, इसका विश्लेषण करना।

|

| ****केंद्र बिंदु**** | राज्य, संविधान, राजनीति, कानून, अधिकार, न्याय आदि।

| धन, वस्तुएं, सेवाएं, बाजार, मांग और आपूर्ति आदि।

|

| ****प्रकृति**** | विश्लेषणात्मक और सैद्धांतिक।

| विश्लेषणात्मक, गणितीय व व्यावहारिक।

|

| ****दृष्टिकोण**** | यह अध्ययन करता है कि एक अच्छा शासन कैसे कार्य करता है और लोगों के अधिकार कैसे सुरक्षित किए जाएं। | यह अध्ययन करता है कि लोग और सरकारें अपने संसाधनों का उपयोग कैसे करती हैं। ||

****महत्व**** | सामाजिक व्यवस्था, न्याय, लोकतंत्र और नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण।

| आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन, बजट, टैक्स नीति आदि के लिए महत्वपूर्ण।

|

| ****शाखाएँ**** | राजनीतिक सिद्धांत, सार्वजनिक प्रशासन, अंतरराष्ट्रीय संबंध,

तुलनात्मक राजनीति।

| सूक्ष्म अर्थशास्त्र (Microeconomics), स्थूल

अर्थशास्त्र (Macroeconomics), सार्वजनिक वित्त, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। |

| ****उदाहरण**** | चुनाव प्रणाली, संविधान निर्माण, राजनीतिक दल, अंतरराष्ट्रीय संधियाँ।

| बजट, महँगाई, मुद्रा नीति, बेरोज़गारी, आय और

व्यय विश्लेषण।

|

□ ****एक-दूसरे से संबंध****

* राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र एक-दूसरे से जुड़े हैं। सरकारें आर्थिक नीतियाँ बनाती हैं (जैसे बजट, कर नीति), जो अर्थशास्त्र से संबंधित होती हैं, लेकिन निर्णय राजनीति के माध्यम से लिए जाते हैं।

* ****Public Policy**** (सार्वजनिक नीति) ऐसा क्षेत्र है जहाँ दोनों विषय मिलते हैं।

□ ****सरल उदाहरण:****

* **राजनीति शास्त्र** पूछता है: “एक अच्छे समाज के लिए किस प्रकार की सरकार होनी चाहिए?”

* **अर्थशास्त्र** पूछता है: “सीमित संसाधनों से अधिकतम उत्पादन कैसे किया जाए?”

बहुत अच्छा प्रश्न!

राजनीति शास्त्र और **अर्थशास्त्र** भले ही अलग-अलग विषय हों, लेकिन समाज और राष्ट्र की **नीति निर्माण प्रक्रिया** में ये दोनों एक-दूसरे को गहराई से प्रभावित करते हैं। आइए देखें कि ये कैसे एक-दूसरे को योगदान देते हैं:

□ **राजनीति शास्त्र का अर्थशास्त्र को योगदान:**

क्रमांक	विवरण
1.	नीति निर्माण (Policy Making) राजनीतिक निर्णयों के माध्यम से बजट, टैक्स, सब्सिडी, सार्वजनिक व्यय आदि के आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं। ये आर्थिक नीतियाँ नागरिकों और बाजार को प्रभावित करती हैं।
2.	राजनीतिक स्थिरता (Political Stability) आर्थिक विकास के लिए स्थिर शासन और स्पष्ट नीति ज़रूरी होती है। राजनीति शास्त्र यह सुनिश्चित करता है कि नीति निर्माण लोकतांत्रिक तरीके से हो।
3.	विधायी समर्थन अर्थशास्त्र में सुझाई गई योजनाओं को लागू करने के लिए राजनीतिक संस्थाओं (जैसे संसद, विधान सभा) से मंजूरी आवश्यक होती है।
4.	लोक कल्याण की प्राथमिकता तय करना राजनीति यह तय करती है कि किन वर्गों को आर्थिक लाभ प्राथमिकता दी जाए (जैसे गरीब, किसान, महिला, युवा आदि)। यह आर्थिक योजनाओं की दिशा तय करता है।

| 5. **सत्ता और संसाधन वितरण** | राजनीतिक तंत्र यह नियंत्रित करता है कि आर्थिक संसाधनों का वितरण समाज में कैसे हो – समान रूप से या वर्ग-विशेष के लिए।
|

□ **अर्थशास्त्र का राजनीति शास्त्र को योगदान:**

| **क्रमिक** | **विवरण**
|

| ----- | -----
----- |

| 1. **नीति निर्माण के लिए आँकड़ों और तथ्यों की आपूर्ति** | अर्थशास्त्र समाज की आर्थिक स्थिति (बेरोजगारी, महंगाई, विकास दर आदि) का विश्लेषण कर शासन को डेटा आधारित सुझाव देता है।
|

| 2. **सार्वजनिक वित्त का विश्लेषण** | राजनीति शास्त्र को यह जानने में अर्थशास्त्र मदद करता है कि टैक्स कैसे वसूला जाए, बजट कैसे बनाया जाए, और सार्वजनिक खर्च कैसे किया जाए।
|

| 3. **विकास योजनाओं की प्रभावशीलता** | अर्थशास्त्र राजनीतिक दलों को यह समझने में सहायता करता है कि उनकी योजनाएँ समाज पर आर्थिक रूप से कितना असर डाल रही हैं।
|

| 4. **वोटिंग व्यवहार पर असर** | अर्थशास्त्र यह दिखाता है कि किस वर्ग को क्या आर्थिक लाभ मिला, जिससे राजनीतिक दल अपने प्रचार और घोषणापत्र को तैयार करते हैं।
|

| 5. **अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मार्गदर्शन** | वैश्विक व्यापार, विदेशी निवेश, ऋण आदि मुद्दों पर अर्थशास्त्र की भूमिका अहम होती है, जिससे विदेश नीति भी प्रभावित होती है।
|

□ **सरल उदाहरण से समझें:**

* जब सरकार **मनरेगा** जैसी योजना लागू करती है:

* **राजनीति शास्त्र** यह तय करता है कि इसे किस उद्देश्य से, किस क्षेत्र में और किस वर्ग के लिए लागू किया जाए।

* **अर्थशास्त्र** यह विश्लेषण करता है कि इससे खर्च कितना होगा, रोज़गार कितना बढ़ेगा, और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा।

आपका प्रश्न बहुत उपयोगी और परीक्षा दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है।

अर्थशास्त्र (Economics) और **राजनीति शास्त्र** (Political Science) दोनों ही **सामाजिक विज्ञान** के अंतर्गत आते हैं और समाज के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

आइए इनके **समानताओं** (Similarities) और **भिन्नताओं** (Differences) को विस्तार से समझें:

□ **1. समानताएँ** (Similarities between Economics and Political Science):

क्रम	विषय	विवरण
1.	सामाजिक विज्ञान की शाखाएँ	दोनों ही समाज विज्ञान की शाखाएँ हैं और समाज के कार्यकलापों का अध्ययन करती हैं।
2.	नीति निर्माण से संबंध	दोनों विषय सरकारी नीतियों (policies) के निर्माण व क्रियान्वयन में सहायक होते हैं।
3.	जन कल्याण का उद्देश्य	दोनों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय द्वारा जन कल्याण सुनिश्चित करना है।
4.	एक-दूसरे पर निर्भरता	आर्थिक निर्णयों के लिए राजनीतिक निर्णय ज़रूरी होते हैं और राजनीतिक निर्णयों के लिए आर्थिक संसाधन।
5.	राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रभाव	दोनों का प्रभाव देश की आंतरिक व विदेश नीति पर पड़ता है (जैसे बजट, युद्ध, व्यापार)।

| 6. | ****विकास से संबंधित**** | दोनों ही राष्ट्र की प्रगति और विकास के महत्वपूर्ण कारक हैं। |

□ ****2. भिन्नताएँ (Differences between Economics and Political Science):****

| ****बिंदु**** | ****अर्थशास्त्र (Economics)****

| ****राजनीति शास्त्र (Political Science)**** |

| ----- | ----- | -----
----- |

| 1. ****परिभाषा**** | यह सीमित संसाधनों के अधिकतम उपयोग का अध्ययन है।
| यह राज्य, सत्ता, सरकार, और शासन का अध्ययन है। |

| 2. ****केंद्र बिंदु**** | धन, उत्पादन, उपभोग, बाजार, बजट आदि।
| सत्ता, राज्य, संविधान, चुनाव, नीति आदि। |

| 3. ****प्रकृति**** | यह व्यावहारिक और विश्लेषणात्मक है, आँकड़ों व गणनाओं पर आधारित। | यह सैद्धांतिक, नैतिक और वैचारिक पहलुओं पर आधारित है। |

| 4. ****उद्देश्य**** | आर्थिक संसाधनों का सही वितरण और विकास।
| राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावी, न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक बनाना। |

| 5. ****मुख्य शाखाएँ**** | सूक्ष्म अर्थशास्त्र, स्थूल अर्थशास्त्र, सार्वजनिक वित्त आदि। |
राजनीतिक सिद्धांत, तुलनात्मक राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध आदि। |

| 6. ****प्रभाव का क्षेत्र**** | समाज की आर्थिक दशा और जीवन स्तर।
| समाज की राजनीतिक स्थिरता, अधिकार और स्वतंत्रता। |

| 7. ****कार्य प्रणाली**** | गणितीय और सांख्यिकीय मॉडल का प्रयोग करता है।
| विचारधाराओं, नीतियों और राजनीतिक संस्थाओं का विश्लेषण करता है। |

□ ****संक्षिप्त निष्कर्ष (Conclusion):****

* ****समानता:**** दोनों ही समाज, राज्य और मानव कल्याण से जुड़े हैं, और नीतियों के निर्माण व क्रियान्वयन में परस्पर सहायक हैं।

* **भिन्नता:** अर्थशास्त्र संसाधनों और धन का अध्ययन करता है जबकि राजनीति शास्त्र सत्ता और शासन का।

आपका प्रश्न बहुत अच्छा है!

राजनीति शास्त्र (Political Science) और **समाज शास्त्र (Sociology)** दोनों ही *सामाजिक विज्ञान (Social Sciences)* की शाखाएँ हैं और समाज के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। हालांकि दोनों के अध्ययन का केंद्र अलग होता है। नीचे हम इनके **अर्थ, समानताएँ और भिन्नताएँ** को विस्तार से समझते हैं।

□ **1. परिभाषा:**

□ **राजनीति शास्त्र (Political Science):**

यह **राज्य**, **सरकार**, **सत्ता**, **राजनीतिक संस्थाएँ**, **नीति निर्माण**, और **राजनीतिक व्यवहार** का अध्ययन करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि शासन कैसे चलता है और सत्ता का वितरण समाज में कैसे होता है।

□ **समाज शास्त्र (Sociology):**

यह **समाज**, **सामाजिक संस्थाएँ**, **मानव संबंध**, **संस्कृति**, **परिवार**, **धर्म**, **जाति**, आदि का अध्ययन करता है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि व्यक्ति और समूह समाज में कैसे व्यवहार करते हैं और सामाजिक संरचना कैसे बनती है।

□ **2. समानताएँ (Similarities between Political Science & Sociology):**

क्रम	समानता का बिंदु	विवरण
1.	**सामाजिक विज्ञान की शाखाएँ	दोनों ही सामाजिक विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएँ हैं।
2.	**समाज को समझने का प्रयास	दोनों समाज की कार्यप्रणाली और उसमें होने वाले परिवर्तन को समझने का प्रयास करते हैं।

| 3. | ****मानव व्यवहार का अध्ययन**** | दोनों ही व्यक्ति और समूह के व्यवहार का विश्लेषण करते हैं - एक सामाजिक दृष्टिकोण से, दूसरा राजनीतिक दृष्टिकोण से। |

| 4. | ****परस्पर निर्भरता**** | समाज की संरचना राजनीति को प्रभावित करती है, और राजनीति सामाजिक बदलाव लाती है।
|

| 5. | ****सामाजिक समस्याओं पर दृष्टिकोण**** | जैसे जातिवाद, गरीबी, भ्रष्टाचार, लिंग भेद आदि पर दोनों दृष्टिकोण अपनाते हैं। |

□ ****3. भिन्नताएँ (Differences between Political Science & Sociology):****

| ****बिंदु**** | ****राजनीति शास्त्र****

| ****समाज शास्त्र**** |

| ----- | ----- | -----
----- |

| 1. ****केंद्र बिंदु**** | सत्ता, राज्य, सरकार, संविधान, नीति
| समाज, संस्कृति, परिवार, जाति, धर्म, वर्ग |

| 2. ****मुख्य उद्देश्य**** | शासन प्रणाली का अध्ययन और सुधार
| समाज की संरचना और सामाजिक संबंधों को समझना |

| 3. ****प्रमुख संस्थाएँ**** | राज्य, संसद, राजनीतिक दल, चुनाव आयोग
| परिवार, धर्म, शिक्षा, जाति, विवाह |

| 4. ****प्रभाव का क्षेत्र**** | राजनीतिक प्रणाली, सत्ता संतुलन
| सामाजिक संबंध, आचार, परंपराएँ |

| 5. ****प्रकृति**** | अपेक्षाकृत अधिक सैद्धांतिक और शक्ति केंद्रित
| सामाजिक वास्तविकता और व्यवहार पर आधारित |

| 6. ****शुरुआत**** | राजनीति शास्त्र की जड़ें प्लेटो और अरस्तू जैसे दार्शनिकों से जुड़ी हैं। | समाजशास्त्र की नींव ऑगस्ट कॉम्ट (Auguste Comte) ने रखी। |

□ ****सरल उदाहरण से समझें:****

* जब हम **जाति आधारित आरक्षण** की बात करते हैं:

* **समाज शास्त्र** यह विश्लेषण करता है कि जाति प्रथा समाज में कैसे विकसित हुई और उसने सामाजिक असमानता कैसे पैदा की।

* **राजनीति शास्त्र** यह देखता है कि आरक्षण नीति कैसे बनाई गई, वह किन वर्गों पर लागू होती है, और उसका राजनीतिक प्रभाव क्या है।

□ **निष्कर्ष (Conclusion):**

| विषय | कार्यक्षेत्र

|

| ----- | ----- |

| **राजनीति शास्त्र** | सत्ता, शासन, नीति और अधिकारों से संबंधित विषयों का अध्ययन करता है। |

| **समाज शास्त्र** | समाज की संरचना, संबंधों और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है। |

□ दोनों विषय परस्पर जुड़े हुए हैं – राजनीति समाज में परिवर्तन लाती है, और समाज राजनीतिक संरचना को आकार देता है। **राजनीति शास्त्र की समाज शास्त्र को** तथा **समाज शास्त्र की राजनीति शास्त्र को** जो "देन" है, वह यह दर्शाता है कि ये दोनों विषय **स्वतंत्र होने के बावजूद एक-दूसरे के पूरक** हैं।

नीचे हम इसे क्रमबद्ध रूप से स्पष्ट करते हैं:

1. राजनीति शास्त्र की समाज शास्त्र को देन (Contribution of Political Science to Sociology):

| बिंदु | विवरण

|

| ----- | -----

|

| **1. सत्ता और शासन की समझ** | राजनीति शास्त्र ने समाज शास्त्र को यह समझने में मदद की कि सत्ता और शासन कैसे समाज की संरचना को प्रभावित करते हैं। इससे सामाजिक नियंत्रण और अनुशासन की अवधारणा स्पष्ट होती है। |

| **2. राजनीतिक संस्थाओं का समाज पर प्रभाव** | जैसे संसद, राजनीतिक दल, चुनाव, नीति निर्माण आदि संस्थाओं का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह समझने में मदद करता है। |

| **3. सामाजिक न्याय की अवधारणा** | राजनीति शास्त्र ने समाज शास्त्र को समानता, स्वतंत्रता, और न्याय जैसी अवधारणाओं को सामाजिक संदर्भ में देखने की प्रेरणा दी। |

| **4. सामाजिक परिवर्तन में राजनीति की भूमिका** | समाज में परिवर्तन लाने वाले कानून, आंदोलन, आरक्षण नीति आदि राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से आते हैं, जिन्हें समाजशास्त्र अध्ययन करता है। |

| **5. अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी** | नागरिक अधिकारों (मानवाधिकार, महिला अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार) की व्याख्या समाज शास्त्र में राजनीतिक दृष्टिकोण से होती है। |

□□□ **2. समाज शास्त्र की राजनीति शास्त्र को देन (Contribution of Sociology to Political Science):** | बिंदु | विवरण |

| ----- | -----
----- |

| **1. सामाजिक संरचना की जानकारी** | राजनीति शास्त्र को यह समझने में मदद करता है कि समाज जाति, धर्म, वर्ग, लिंग, क्षेत्र आदि के आधार पर कैसे विभाजित है और ये कैसे राजनीति को प्रभावित करते हैं। |

| **2. राजनीतिक व्यवहार का समाजशास्त्रीय विश्लेषण** | लोग किस आधार पर वोट देते हैं (जाति, धर्म, वर्ग), यह समाज शास्त्र की देन है, जिससे राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाते हैं। |

| ****3. सामाजिक आंदोलनों की व्याख्या**** | किसान आंदोलन, दलित आंदोलन, महिला आंदोलन आदि की सामाजिक जड़ें क्या हैं – यह समाज शास्त्र राजनीति शास्त्र को समझाता है। |

| ****4. विचारधाराओं का सामाजिक आधार**** | पूंजीवाद, समाजवाद, उदारवाद जैसी विचारधाराओं का सामाजिक प्रभाव समझना समाज शास्त्र की मदद से संभव है। |

| ****5. सामाजिक परिवर्तन के कारक**** | राजनीति शास्त्र को यह जानने में मदद करता है कि कानून और नीतियाँ समाज में कैसे बदलाव लाती हैं (जैसे: शिक्षा का अधिकार, बाल विवाह निषेध)। |

□ ****परस्पर संबंध को सरल उदाहरण से समझें:****

* जब ****आरक्षण नीति**** बनाई जाती है:

* ****राजनीति शास्त्र**** बताता है कि वह नीति कैसे, किस प्रक्रिया से बनाई गई और संविधान में उसका स्थान क्या है।

* ****समाज शास्त्र**** बताता है कि उस नीति की सामाजिक ज़रूरत क्यों थी और उसका समाज पर क्या असर पड़ा।

□ ****1. परिभाषा (Definitions):****

□ ****राजनीति शास्त्र (Political Science):**** यह राज्य, सरकार, सत्ता, राजनीतिक संस्थाओं, कानूनों और नीति-निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि समाज में शासन कैसे चलता है, और नागरिकों के अधिकार कैसे संरक्षित किए जाते हैं।

□ ****नीति शास्त्र (Ethics / Niti Shastra):**** यह मानव आचरण और कर्म के ***शुभ-अशुभ***, ***सही-गलत***, ***धर्म-अधर्म*** का अध्ययन करता है। इसका उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि मनुष्य को किस प्रकार का नैतिक आचरण करना चाहिए।

****2. समानताएँ (Similarities between Political Science & Ethics):****

| बिंदु | विवरण

|

| ---- | -----
----- |

| 1. | **दोनों सामाजिक विज्ञान से संबंधित हैं** - ये समाज और मानव जीवन की व्यवस्था के लिए आवश्यक हैं। |

| 2. | **जन कल्याण पर केंद्रित** - दोनों का उद्देश्य एक आदर्श समाज की स्थापना करना है। |

| 3. | **नीति निर्धारण में भूमिका** - नीति शास्त्र राजनीति को नैतिक दिशा देता है, और राजनीति नीति को क्रियान्वित करती है। |

| 4. | **न्याय, अधिकार, कर्तव्य जैसे विचारों से संबंध** - दोनों विषय इन अवधारणाओं को अपने-अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। |

□ **3. भिन्नताएँ (Differences between Political Science & Ethics):**

| **बिंदु** | **राजनीति शास्त्र** |
नीति शास्त्र |

| ----- | ----- | -----
----- |

| 1. **प्राकृतिक क्षेत्र** | व्यवहारिक (Practical) और संस्थागत (Institutional) | सैद्धांतिक (Theoretical) और आदर्शवादी (Idealistic) |

| 2. **मुख्य विषय** | राज्य, सरकार, चुनाव, संविधान, सत्ता |
नैतिकता, कर्तव्य, धर्म, सदाचार, सत्य |

| 3. **उद्देश्य** | कुशल शासन व्यवस्था स्थापित करना |
सही और गलत के मापदंड निर्धारित करना |

| 4. **प्रभाव का क्षेत्र** | राजनीति, प्रशासन, नीति-निर्माण | समाज,
शिक्षा, धर्म, व्यक्तिगत जीवन |

| 5. **प्रभाव का तरीका** | कानून, संस्थाएँ, प्रक्रियाएँ | विवेक,
आत्मा, नैतिक मूल्यों के आधार पर |

| 6. **प्रभाव** | सार्वजनिक जीवन और शासन प्रणाली पर |
व्यक्तिगत और सामाजिक आचरण पर |

□ **4. राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र की देन:**

| बिंदु | विवरण

|

| ---- | ----- |

| □ | नीति शास्त्र राजनीति को नैतिक दिशा और मूल्य प्रदान करता है (जैसे: सत्य, अहिंसा, न्याय)। |

| □ | यह बताता है कि सत्ता का प्रयोग कैसा होना चाहिए - न्यायपूर्ण या शोषणकारी नहीं।

|

| □ | गांधीजी और अरस्तू जैसे विचारकों ने राजनीति को नैतिकता से जोड़ने की कोशिश की। |

□ **5. नीति शास्त्र को राजनीति शास्त्र की देन:**

| बिंदु | विवरण

|

| ---- | ----- |
----- |

| □ | राजनीति शास्त्र नीति शास्त्र को यह अवसर देता है कि वह नैतिक मूल्यों को व्यावहारिक नीतियों में बदले। |

| □ | राज्य और कानून के माध्यम से नीति शास्त्र के सिद्धांत समाज में लागू किए जा सकते हैं (जैसे: समानता, मानवाधिकार)। |

| □ | राजनीति नीति शास्त्र के आदर्शों को लागू करने के लिए संरचना और शक्ति प्रदान करती है। |

□ **निष्कर्ष (Conclusion):**

| विषय | सारांश

|

| ----- | -----

----- |

| ****राजनीति शास्त्र**** | यह बताता है कि समाज को कैसे संगठित और नियंत्रित किया जाए (व्यवहारिक दृष्टिकोण)।

| ****नीति शास्त्र**** | यह बताता है कि समाज और व्यक्ति को कैसे नैतिक रूप से व्यवहार करना चाहिए (सैद्धांतिक दृष्टिकोण)।

दोनों मिलकर ****एक न्यायपूर्ण, नैतिक और व्यवस्थित समाज**** की स्थापना में योगदान करते हैं। आपका प्रश्न बिल्कुल सटीक है -

****"राजनीति शास्त्र तथा मनोविज्ञान में अंतर (Difference between Political Science and Psychology)"**** समझना आवश्यक है, क्योंकि दोनों ही मानव व्यवहार और समाज से जुड़े होने के बावजूद ****अलग दृष्टिकोण और उद्देश्य**** रखते हैं।

□ ****राजनीति शास्त्र और मनोविज्ञान में अंतर (Differences between Political Science & Psychology)****

| ****क्रम**** | ****आधार**** | ****राजनीति शास्त्र (Political Science)****

| ****मनोविज्ञान (Psychology)****

|

| ----- | ----- | -----

----- |

| 1 □ | ****परिभाषा**** | यह राज्य, सरकार, सत्ता, संविधान और राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन है। | यह मानव मस्तिष्क, व्यवहार, भावनाओं और मानसिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है।

| 2 □ | ****अध्ययन का स्तर**** | समूह, समाज, राष्ट्र और राजनीतिक संस्थाओं के स्तर पर | व्यक्ति (Individual) और छोटे समूह के स्तर पर

|

3□	**केंद्र बिंदु**	सत्ता, नीति, शासन, चुनाव, अधिकार	
	सोच, भावना, स्मृति, निर्णय, व्यवहार		
4□	**प्रमुख उद्देश्य**	एक संगठित, न्यायपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था को समझना और सुधारना	मानव के मानसिक और व्यवहारिक पहलुओं को समझना और समस्याओं का समाधान देना
5□	**प्रभाव का क्षेत्र**	सरकार, प्रशासन, चुनाव प्रणाली, कानून, अंतरराष्ट्रीय संबंध	शिक्षा, स्वास्थ्य, परामर्श, मानसिक चिकित्सा, नेतृत्व
6□	**पद्धति (Approach)**	ऐतिहासिक, सैद्धांतिक, तुलनात्मक व विश्लेषणात्मक	वैज्ञानिक, प्रयोगात्मक, व्यवहारिक और विश्लेषणात्मक
7□	**प्रमुख विचारक/शास्त्री**	प्लेटो, अरस्तू, मैकियावेली, रूसो	फ्रायड, पावलोव, जीन पियाजे, स्किनर
8□	**उदाहरण**	संविधान निर्माण, नीति निर्धारण, चुनाव सुधार	तनाव, अवसाद, अभिप्रेरणा, सीखने की प्रक्रिया
9□	**प्रकृति**	व्यवहारिक एवं संस्थागत	वैज्ञानिक एवं नैदानिक (clinical)
□	**प्रयोग व मापन**	तुलनात्मक अध्ययन व वैचारिक विश्लेषण	प्रयोग, परीक्षण, मानसिक मापन, केस स्टडी
□	**संक्षिप्त रूप में अंतर:**		
	राजनीति शास्त्र	**मनोविज्ञान**	
	-----	-----	
	सत्ता व शासन का अध्ययन	मस्तिष्क व व्यवहार का अध्ययन	
	समाज व राजनीतिक संस्थाओं पर केंद्रित	व्यक्ति व मानसिक प्रक्रियाओं पर केंद्रित	
	नीतियों व सत्ता संरचना का विश्लेषण	सोच, भावना और व्यवहार का विश्लेषण	

| समूह आधारित

| व्यक्ति आधारित

|

Chapter-3

राज्य - परिभाषा, तत्त्व एवं अन्य संगठनों के साथ सम्बन्ध

****“राज्य”**** (जिसे आप "राजी" कहना चाह रहे हैं) एक राजनीतिक और प्रशासनिक इकाई है, जिसका उद्देश्य ****सामाजिक व्यवस्था, न्याय और सुरक्षा**** बनाए रखना होता है।

□ ****राज्य का अर्थ (Meaning of State):****राज्य**** एक ऐसी संगठित संस्था है, जो एक निश्चित भू-भाग (territory) पर शासन करती है और वहां के लोगों पर संप्रभु (sovereign) अधिकार रखती है।

यह समाज में ****कानून और व्यवस्था**** बनाए रखने, ****न्याय दिलाने****, और ****नीति निर्माण**** के लिए उत्तरदायी होती है।

□ **राज्य की परिभाषा (Definitions of State):**

| विचारक | परिभाषा

|

| ----- | -----

----- |

| □ **प्लेटो (Plato)** | "राज्य वह है जो सद्गुण (न्याय) के अनुसार जीवन को व्यवस्थित करता है।"

| □ **अरस्तू (Aristotle)** | "राज्य एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य उच्चतम नैतिक जीवन है।"

| □ **गार्नियर (Garner)** | "राज्य वह राजनीतिक संगठन है जो एक निश्चित भू-भाग पर रहने वाले लोगों पर सर्वोच्च अधिकार रखता है।" |

| □ **गैटेल (Gettell)** | "राज्य वह समाज है जो कानून द्वारा संगठित होता है और जिसमें सरकार के माध्यम से संप्रभुता होती है।" |

| □ **ब्लंटशली (Bluntschli)** | "राज्य एक व्यक्ति नहीं, बल्कि व्यक्तियों का एक नैतिक, सामाजिक और कानूनी संगठन है।" |

□ **राज्य के मूल तत्व (Essential Elements of State):**

1. **जनसंख्या (Population)** - राज्य के नागरिक
2. **भू-भाग (Territory)** - एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र
3. **सरकार (Government)** - शासन चलाने वाली संस्था
4. **संप्रभुता (Sovereignty)** - स्वतंत्रता और सर्वोच्च अधिकार

□ **राज्य के आवश्यक तत्व / घटक (Essential Elements or Components of the State):**

राज्य के अस्तित्व के लिए चार आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि इन चार में से एक भी नहीं है, तो राज्य की कल्पना अधूरी है।

| क्रम | तत्व / घटक

| संक्षिप्त विवरण

|

| --- | ----- | -----
----- |

| 1 ☐ | ****जनसंख्या (Population)**** | राज्य में कुछ न कुछ लोगों का होना आवश्यक है, चाहे संख्या कम हो या अधिक।

|

| 2 ☐ | ****निश्चित भू-भाग (Territory)**** | राज्य का एक निश्चित सीमित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए - जिसमें लोग रहते हैं और सरकार कार्य करती है।

| 3 ☐ | ****सरकार (Government)**** | शासन व्यवस्था को संचालित करने वाली संस्था जो कानून बनाती है, लागू करती है और न्याय प्रदान करती है।

| 4 ☐ | ****संप्रभुता (Sovereignty)**** | राज्य का सर्वोच्च और स्वतंत्र अधिकार, जो उसे अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है।

□ आइए अब इन चारों तत्वों को संक्षेप में समझें:

1. □ ****जनसंख्या (Population):****

* यह राज्य का ****मानव तत्व**** है।

* जनसंख्या न हो तो राज्य का कोई अस्तित्व नहीं होगा।

* इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संख्या अधिक है या कम, परंतु ****स्थायी नागरिकों का होना आवश्यक**** है।

2. □ ****भू-भाग (Territory):****

* एक सीमित ****भौगोलिक क्षेत्र**** जिसमें नागरिक निवास करते हैं।

* इसमें ****भूमि****, ****जल क्षेत्र**** और ****वायु क्षेत्र**** शामिल होता है।

* बिना सीमित भू-भाग के कोई सरकार प्रभावी शासन नहीं कर सकती।

3. □ ****सरकार (Government):****

* राज्य की **प्रशासनिक संस्था**, जो कानून बनाती है, कार्यपालिका चलाती है, और न्याय प्रदान करती है।

* यह राज्य के **तीन अंगों** के रूप में कार्य करती है:

* विधायिका (Legislature)

* कार्यपालिका (Executive)

* न्यायपालिका (Judiciary)

4. □ **संप्रभुता (Sovereignty)**:

* राज्य की **पूर्ण स्वतंत्रता** और **सर्वोच्चता** का प्रतीक।

* दो प्रकार की होती है:

* **आंतरिक संप्रभुता** - अपने नागरिकों और संस्थाओं पर सर्वोच्च अधिकार।

* **बाहरी संप्रभुता** - दूसरे राज्यों से स्वतंत्र रहना।

□ यदि इनमें से **कोई भी एक तत्व नहीं होता है**, तो वह "राज्य" नहीं कहा जा सकता।

राज्य के गैर-आवश्यक तत्व (Non-essential elements of the state) आमतौर पर वे तत्व होते हैं जिनका राज्य की मौलिक संरचना या संचालन के लिए होना जरूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ मामलों में यह मौजूद हो सकते हैं। यह तत्व राज्य के विकास, संचालन, या समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं, लेकिन इनकी अनुपस्थिति से राज्य का कार्य प्रभावित नहीं होता। छ प्रमुख गैर-आवश्यक तत्व निम्नलिखित हो सकते हैं:

1. **सांस्कृतिक संस्थाएं**: * ये संस्थाएं राज्य की सत्ता के आधार से अलग होती हैं, जैसे धार्मिक संस्थाएं, सांस्कृतिक संगठन, या पारंपरिक रीति-रिवाज।

2. **शाही या राजसी संस्थाएं**: * कई देशों में शाही परिवार या अन्य पारंपरिक शासक होते हैं जो सत्ता में सीधे भाग नहीं लेते, लेकिन एक प्रतीकात्मक भूमिका निभाते हैं। यह तत्व कुछ राज्यों में महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इन्हें बिना भी राज्य चल सकता है।

3. **सामाजिक सुविधाएं**: * चिकित्सा, शिक्षा, और अन्य सामाजिक सुविधाएं बहुत महत्वपूर्ण होते हुए भी राज्य की बुनियादी संरचना का हिस्सा नहीं माने जाते हैं। कुछ देशों में यह सेवा निजी क्षेत्र द्वारा भी प्रदान की जाती है।

4. ****सैन्य शक्ति****: * सैन्य शक्ति राज्य की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है, लेकिन कई देशों में यह एक गैर-आवश्यक तत्व हो सकता है, क्योंकि इनकी अनुपस्थिति से राज्य की आंतरिक व्यवस्था प्रभावित नहीं होती (जैसे स्विट्ज़रलैंड)।

5. ****आर्थिक तत्व****:* कुछ राज्यों में आर्थिक नीतियां या बाजार की स्थिति कभी-कभी राज्य की शक्ति के अनिवार्य तत्वों में नहीं गिनी जातीं, क्योंकि यह निर्भर करता है कि राज्य किस प्रकार से अपनी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है।

इस प्रकार, राज्य के गैर-आवश्यक तत्व वह चीजें होती हैं जो राज्य के अस्तित्व और कार्य करने की आवश्यकता नहीं होतीं, लेकिन यह कभी-कभी राज्य की सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक भूमिका में योगदान कर सकती हैं।

****राज्य**** और ****सरकार**** दोनों का संबंध राजनीति से है, लेकिन इनके बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। यह अंतर समझना आवश्यक है, क्योंकि ये दो शब्द अक्सर एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन उनका अर्थ और कार्यक्षेत्र अलग होता है।

1. ****राज्य (State)****राज्य एक स्थायी और सार्वभौमिक संगठन है, जो किसी विशेष भू-क्षेत्र (territory) पर स्थापित होता है। राज्य का उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा, विकास और कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है।

2. राज्य के चार प्रमुख तत्व होते हैं: * ****भू-क्षेत्र (Territory)****: राज्य का वह भौगोलिक क्षेत्र, जहां उसका अधिकार और नियंत्रण होता है।

* ****जनसंख्या (Population)****: राज्य के भीतर रहने वाले लोग।

* ****शासन (Sovereignty)****: राज्य का स्वतंत्रता, जिसमें बाहरी हस्तक्षेप के बिना राज्य अपने भीतर के मामलों का निर्णय लेता है।

* ****सरकार (Government)****: राज्य द्वारा चुनी गई प्रशासनिक संस्था जो राज्य की सत्ता को चलाती है। राज्य स्थायी होता है, जबकि सरकार समय के साथ बदल सकती है। राज्य का अस्तित्व सरकार के गठन या विघटन से प्रभावित नहीं होता है।

2. ****सरकार (Government)****सरकार वह संस्था है, जो राज्य के भीतर शासन और प्रशासन चलाती है। यह राज्य के कार्यों का संचालन करती है और नीतियों का निर्माण करती है। सरकार का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के जीवन को सुव्यवस्थित और समृद्ध बनाना होता है।

सरकार के कुछ प्रमुख कार्य होते हैं: * **कानूनों का निर्माण और कार्यान्वयन (Legislation and enforcement)**: सरकार राज्य के भीतर कानूनों को बनाती है और उनका पालन सुनिश्चित करती है।

* **सुरक्षा प्रदान करना (Providing security)**: सरकार नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाती है।

* **विकास कार्य (Development activities)**: सरकार राज्य में आधारभूत संरचनाओं और अन्य विकास कार्यों का आयोजन करती है।

* **आर्थिक प्रबंधन (Economic management)**: सरकार अर्थव्यवस्था के संचालन का कार्य करती है, जैसे कर वसूलना, बजट तैयार करना आदि।

सरकार का समय-समय पर परिवर्तन हो सकता है, जैसे चुनावों के द्वारा। यह वह संस्था है, जो राज्य की नीति, दिशा और कार्यक्रमों का निर्धारण करती है।

मुख्य अंतर (Differences)

अधिकार	**राज्य (State)**	
सरकार (Government)	----- -----	
----- -----		
परिभाषा	राज्य एक स्थायी और सार्वभौमिक संगठन है।	
सरकार राज्य के प्रशासन और शासन का कार्य करती है।		
स्थायित्व	स्थायी (कभी नहीं बदलता)	
अस्थायी (चुनावों द्वारा बदल सकती है)		
रचनात्मक तत्व	भू-क्षेत्र, जनसंख्या, संप्रभुता, सरकार	केवल
प्रशासन और नेतृत्व की संस्था		
कार्य	राज्य का कार्य सुरक्षा, न्याय और सार्वभौमिक कल्याण है।	सरकार
का कार्य नीति बनाना और उसे लागू करना है।		
स्थायीता	राज्य समय के साथ स्थिर रहता है।	
सरकार का कार्यकाल सीमित होता है (चुनाव या नियुक्ति द्वारा)।		

| ****पारस्परिक संबंध**** | राज्य का अस्तित्व सरकार के बिना भी संभव है। |
सरकार का अस्तित्व केवल राज्य के भीतर होता है। |

उदाहरण: ****भारत में राज्य****: भारत को एक राज्य माना जाता है, जिसमें विभिन्न राज्य और केंद्रशासित प्रदेश होते हैं।

* ****भारत की सरकार****: भारत की सरकार वह प्रशासनिक संस्था है, जो देश के प्रशासन को चलाती है और नीति निर्माण करती है, जैसे प्रधानमंत्री, कैबिनेट, आदि।

****राज्य**** और ****समुदाय**** दोनों शब्दों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है, क्योंकि ये दो अलग-अलग सामाजिक और राजनीतिक संरचनाएं हैं, जिनका उद्देश्य और कार्य क्षेत्र अलग-अलग होते हैं। नीचे हम इन दोनों के बीच के अंतर को स्पष्ट करेंगे:

1. ****राज्य (State)**** राज्य एक राजनीतिक और कानूनी संस्था है, जो किसी विशेष भू-भाग पर शासन करने के लिए स्थापित होती है। यह एक स्थायी संगठन होता है, जिसके पास ****संप्रभुता****, ****कानून बनाने का अधिकार****, और ****संसाधनों का नियंत्रण**** होता है। राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी नागरिकों की सुरक्षा, कल्याण और समाज के लिए नियम और नीतियां बनाना है।

राज्य के प्रमुख गुण:

****भू-क्षेत्र (Territory)****: राज्य एक विशेष भूभाग (जैसे देश, राज्य) पर स्थित होता है।

* ****कानूनी और राजनीतिक संरचना****: राज्य एक सुव्यवस्थित कानूनी और प्रशासनिक ढांचे से चलता है।

* ****संप्रभुता (Sovereignty)****: राज्य बाहरी हस्तक्षेप के बिना अपने आंतरिक मामलों का निर्णय लेने का अधिकार रखता है।

* ****लोग (Population)****: राज्य में एक स्थायी जनसंख्या होती है।

उदाहरण: ****भारत****, ****अमेरिका****, ****फ्रांस****: ये सभी राज्य हैं, जो स्थायी भू-क्षेत्र, नागरिकों और कानून व्यवस्था का पालन करते हैं।

3. ****समुदाय (Community)**** समुदाय एक सामाजिक और सांस्कृतिक समूह होता है, जिसमें लोग एक साथ रहते हैं और उनके बीच कुछ सामान्य विशेषताएँ या साझा हित होते हैं, जैसे भाषा, संस्कृति, रीति-रिवाज, धर्म, या जाति। समुदाय एक अस्थायी या स्थायी सामाजिक

संगठन हो सकता है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच सामाजिक और भावनात्मक संबंधों को बढ़ावा देना होता है।

4. समुदाय के प्रमुख गुण: ****साझी पहचान (Shared identity)****: समुदाय में लोग किसी विशेष सामाजिक, सांस्कृतिक, या धार्मिक पहचान को साझा करते हैं।

* ****सामाजिक बंधन (Social bonds)****: इसमें लोग आपस में सामाजिक और भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, जैसे मित्रता, पारिवारिक संबंध, आदि।

* ****स्वयं की जिम्मेदारी****: समुदाय के सदस्य अपने आपसी हितों और कल्याण के लिए एक-दूसरे का सहयोग करते हैं।

* ****स्थानीयता (Locality)****: समुदाय स्थानीय स्तर पर स्थित हो सकता है (जैसे, गांव, मोहल्ला, आदि) या व्यापक स्तर पर भी (जैसे, विभिन्न देशों में रहने वाले एक ही धर्म के लोग)।

उदाहरण: * ****गांव****: जहां एक ही जगह पर लोग एक साथ रहते हैं और सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियाँ करते हैं।

* ****धार्मिक समुदाय****: जैसे हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय, आदि, जहां लोग एक ही विश्वास और आस्था को साझा करते हैं।

* ****शैक्षिक समुदाय****: जैसे स्कूल या विश्वविद्यालय का समुदाय, जहां सभी सदस्य एक सामान्य उद्देश्य के लिए एकत्र होते हैं। ****राज्य और समुदाय में अंतर (Differences between State and Community)****

| ****अंग**** | ****राज्य (State)****

| ****समुदाय (Community)****

| ----- | -----

----- | -----

----- |

| ****परिभाषा**** | एक राजनीतिक और कानूनी संगठन जो एक विशेष भू-भाग पर शासन करता है। | एक सामाजिक

संगठन जिसमें लोग साझा सांस्कृतिक, धार्मिक, या सामाजिक गुणों से जुड़े होते हैं। |

| ****लक्ष्य**** | राज्य का उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा, कल्याण, और कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है। | समुदाय का उद्देश्य सामाजिक संबंध और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देना होता है। |

| ****संरचना**** | राज्य की संरचना एक कानूनी और प्रशासनिक ढांचे पर आधारित होती है। | समुदाय की संरचना सामाजिक और सांस्कृतिक होती है, जिसमें लोग आपसी रिश्तों पर आधारित होते हैं। |

| ****संचालन**** | राज्य का संचालन एक सरकारी व्यवस्था द्वारा किया जाता है, जो चुनावों, नियुक्तियों या अन्य विधियों से निर्धारित होती है। | समुदाय का संचालन स्वैच्छिक होता है, और इसमें आमतौर पर औपचारिक शासन नहीं होता। |

| ****प्रभाव**** | राज्य का प्रभाव व्यापक और सार्वभौमिक होता है, जिसमें कानून, न्याय, और शासन शामिल होते हैं। | समुदाय का प्रभाव सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर तक सीमित होता है। |

| ****स्थायित्व**** | राज्य स्थायी और स्थिर होता है, इसका अस्तित्व सरकार या नेताओं के बदलने से प्रभावित नहीं होता। | समुदाय का अस्तित्व व्यक्तिगत संबंधों और सदस्यता पर निर्भर करता है, जो समय के साथ बदल सकते हैं। |

संक्षेप में: ****राज्य**** एक कानूनी और राजनीतिक ढांचा है, जिसका उद्देश्य शासन करना और नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना है।

****समुदाय**** एक सामाजिक समूह है, जिसमें लोग एक साझा संस्कृति, विश्वास या पहचान के आधार पर जुड़े होते हैं।

****राज्य**** और ****समाज**** दोनों शब्द राजनीति और समाजशास्त्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनके बीच एक बड़ा अंतर होता है। ****राज्य**** एक कानूनी और राजनीतिक संस्था है, जबकि ****समाज**** एक सामाजिक ढांचा है जिसमें लोग आपस में संपर्क और संबंध स्थापित करते हैं। आइए, इन दोनों के बीच के अंतर को विस्तार से समझते हैं:

1. ****राज्य (State)**** राज्य एक ****राजनीतिक और कानूनी संगठन**** है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र पर शासन करता है। इसका उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा, विकास, और कानून-व्यवस्था बनाए रखना होता है। राज्य का अस्तित्व ****संप्रभुता****, ****कानून बनाना****, और ****शासन प्रणाली**** पर आधारित होता है।

राज्य के प्रमुख गुण: * **संप्रभुता (Sovereignty)**: राज्य को अपने आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है, और इसका कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता।

* **कानूनी और प्रशासनिक ढांचा**: राज्य में एक कानूनी और प्रशासनिक संरचना होती है, जिसमें सरकार, संविधान, न्यायपालिका, और अन्य संस्थाएं शामिल होती हैं।

* **भू-क्षेत्र (Territory)**: राज्य का एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र होता है, जिस पर उसका अधिकार होता है।

* **जनसंख्या (Population)**: राज्य में रहने वाली स्थायी जनसंख्या होती है, जिसे कानून और प्रशासन द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

राज्य का उद्देश्य **कानून का निर्माण**, **आदेश की स्थापना**, **सुरक्षा प्रदान करना** और **विकास कार्यों को लागू करना** होता है।

2. **समाज (Society)** समाज एक **सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन** है, जिसमें लोग आपस में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, और पारिवारिक संबंधों के आधार पर जुड़ते हैं। समाज का अस्तित्व व्यक्ति और समूहों के आपसी संपर्क पर आधारित होता है।

समाज के प्रमुख गुण: * **सामाजिक संबंध**: समाज में लोग आपस में एक-दूसरे से जुड़े होते हैं, और उनके बीच सांस्कृतिक, पारिवारिक, और सामाजिक संबंध होते हैं।

* **संस्कृति और मूल्य**: समाज में लोग एक साझा संस्कृति, परंपरा, विश्वास, और मूल्यों को साझा करते हैं।

* **स्वतंत्रता और विविधता**: समाज में विविध जातियां, धर्म, विचारधाराएं और सामाजिक समूह होते हैं, और लोग इनमें से विभिन्न पहचान रखते हुए एक साथ रहते हैं।

* **समाज के रूप**: समाज का रूप गांव, शहर, परिवार, या पूरी दुनिया के स्तर पर हो सकता है।

समाज का उद्देश्य **सामाजिक रिश्तों का निर्माण**, **सांस्कृतिक और पारिवारिक मान्यताओं का पालन**, और **सामाजिक एकता** बनाए रखना होता है।

उदाहरण: * **भारतीय समाज**: जिसमें विभिन्न जातियां, धर्म, भाषाएं और सांस्कृतिक विविधताएं हैं।

* **शहरी समाज** : जिसमें लोग विभिन्न पेशे, जाति, और पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन एक ही स्थान पर रहते हैं।

****राज्य और समाज में अंतर (Differences between State and Society)****

| ****विवरण**** | ****राज्य (State)****

| ****समाज (Society)****

|

| ----- | -----

-- | ----- |

| ****परिभाषा**** | एक कानूनी और राजनीतिक संस्था जो किसी विशेष क्षेत्र पर शासन करती है। | एक सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना जिसमें लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। |

| ****लक्ष्य**** | नागरिकों की सुरक्षा, विकास, और कानून-व्यवस्था बनाए रखना।

| सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों का निर्माण और एकता बनाए रखना।

|| ****संरचना**** | राज्य का एक कानूनी और प्रशासनिक ढांचा होता है (सरकार, संविधान, न्यायपालिका आदि)। | समाज एक सामाजिक ढांचा होता है, जिसमें लोग आपसी संबंधों और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े होते हैं। |

| ****भौगोलिक दायरा**** | राज्य का एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र होता है, जिसमें उसका अधिकार होता है। | समाज का कोई विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता; यह एक व्यापक सामाजिक संरचना होती है। |

| ****संचालन**** | राज्य का संचालन सरकार और प्रशासन द्वारा किया जाता है।

| समाज का संचालन सामाजिक रिश्तों, परंपराओं, और व्यक्तिगत संबंधों द्वारा होता है।

|| ****कानूनी अधिकार**** | राज्य के पास कानून बनाने और लागू करने का अधिकार होता है।

| समाज में कोई औपचारिक कानूनी अधिकार नहीं होते, यह केवल सामाजिक संबंधों पर आधारित होता है। |

| ****स्थायित्व**** | राज्य स्थायी और स्थिर होता है, इसका अस्तित्व सरकार या नेताओं के बदलने से प्रभावित नहीं होता। | समाज लचीला और परिवर्तनशील होता है, और यह व्यक्तिगत और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होता है। |

| ****उदाहरण**** | ****भारत****, ****अमेरिका****, ****चीन**** - ये सभी राज्य हैं।
| ****भारतीय समाज****, ****शहरी समाज****, ****पारिवारिक समाज**** आदि।
|

संक्षेप में: ****राज्य**** एक ****राजनीतिक और कानूनी संस्था**** है, जिसका उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, और समाज की संरचना बनाए रखना है। राज्य का अस्तित्व स्थायी होता है और यह कानूनी संरचना और शासन के द्वारा संचालित होता है।

* ****समाज**** एक ****सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन**** है, जो लोगों के आपसी रिश्तों, सांस्कृतिक पहचान, और पारिवारिक संबंधों पर आधारित होता है। समाज का उद्देश्य सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्तों को बढ़ावा देना और एकता बनाए रखना है।

Chapter - 4

राज्य की उत्पत्ति तथा विकास

राज्य के सिद्धांत (Theory of the State) वह विचारधारा है जो राज्य की उत्पत्ति, उसके कार्य, संरचना और उसके अधिकारों को समझाने का प्रयास करती है। विभिन्न दार्शनिकों और राजनीतिक विचारकों ने राज्य के सिद्धांत पर अपने-अपने दृष्टिकोण दिए हैं। इन सिद्धांतों का उद्देश्य राज्य के अस्तित्व, उद्देश्य और उसके विवेकपूर्ण संचालन को समझना है।

राज्य के सिद्धांतों को सामान्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है:

1. ****सामाजिक संविदा सिद्धांत (Social Contract Theory)**** यह सिद्धांत बताता है कि राज्य का अस्तित्व एक सामाजिक संविदा (समझौता) पर आधारित है, जो व्यक्तियों के बीच हुआ था। इसके अनुसार, लोग अपनी स्वतंत्रता का कुछ हिस्सा सरकार के हाथों में सौंपते हैं ताकि समाज में शांति, सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित किया जा सके।

****थॉमस हॉब्स (Thomas Hobbes)**** के अनुसार, प्राकृतिक स्थिति में मानव जीवन संघर्षपूर्ण और असुरक्षित था, इसलिए लोगों ने एक केंद्रीय सत्ता को स्वीकार किया, जो राज्य बन गया।

****जॉन लॉक (John Locke)**** ने कहा कि राज्य का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना है।

****रूसो (Jean-Jacques Rousseau)**** का मानना था कि राज्य का गठन समाज के सामान्य इच्छा (General Will) के आधार पर होना चाहिए, जिससे सभी की भलाई सुनिश्चित हो सके।

2. ****सार्वभौमिक सिद्धांत (Theory of Universalism)**** इस सिद्धांत के अनुसार, राज्य सभी मानवता का प्रतिनिधित्व करता है और इसका उद्देश्य समाज के सभी सदस्यों की भलाई और उनके अधिकारों का संरक्षण करना है। यह सिद्धांत मानता है कि राज्य का अस्तित्व सार्वभौमिक है और उसे सभी समाजों में लागू किया जाना चाहिए।

3. ****नैतिक सिद्धांत (Moral Theory)**** इस सिद्धांत के अनुसार, राज्य का अस्तित्व और उसकी शक्ति नैतिकता पर आधारित होती है। राज्य को न्याय, अधिकार और मानवता के सिद्धांतों के अनुसार चलाना चाहिए।

****हेगेल (Georg Wilhelm Friedrich Hegel)**** के अनुसार, राज्य को नैतिकता की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति माना जाता है, और इसके द्वारा व्यक्तियों के व्यक्तिगत अधिकारों का संतुलन स्थापित किया जाता है।

4. ****धार्मिक सिद्धांत (Theocratic Theory)**** इस सिद्धांत के अनुसार, राज्य का अधिकार ईश्वर से आता है। इसे "देवत्व सिद्धांत" (Divine Right Theory) भी कहा जाता है। इसके अनुसार, शासक को ईश्वर द्वारा चुना गया माना जाता है, और उनका शासन धार्मिक और ईश्वरीय आदेशों के तहत होता है।

****जेम्स I**** और ****लुई XIV**** जैसे शासक इस सिद्धांत को मानते थे।

5. **माक्सवादी सिद्धांत (Marxist Theory)** माक्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार, राज्य एक वर्गीय साधन है, जिसका उद्देश्य शोषक वर्ग (bourgeoisie) के हितों की रक्षा करना है। कार्ल माक्स के अनुसार, राज्य का गठन पूंजीवादी समाज में वर्ग संघर्ष के परिणामस्वरूप हुआ था, और राज्य की भूमिका अंततः सामाजिक वर्गों के बीच सत्ता के संघर्ष में होती है।

6. **न्याय और लाभ का सिद्धांत (Theory of Justice and Utility)** इस सिद्धांत के अनुसार, राज्य का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को न्याय और समृद्धि प्रदान करना है। यह सिद्धांत अधिकतर **जॉन रॉल्स (John Rawls)** द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो यह मानते थे कि राज्य का काम समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करना है।

7. **सशक्तिकरण सिद्धांत (Empowerment Theory)** यह सिद्धांत राज्य के उद्देश्य को समाज के विभिन्न समूहों को सशक्त बनाने के रूप में देखता है। इसका मानना है कि राज्य का उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को अधिकार, शिक्षा, और सामाजिक न्याय प्रदान करना है।

8. **संस्थागत सिद्धांत (Institutional Theory)** यह सिद्धांत राज्य को एक स्थिर संस्था के रूप में देखता है, जो समाज की व्यवस्था और नियंत्रण को बनाए रखने के लिए बनाई जाती है। इसमें राज्य की संरचना, संस्थाओं और उनकी कार्यप्रणाली पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत (Divine Origin Theory) दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत यह मानता है कि राज्य और शासक की सत्ता की उत्पत्ति ईश्वर (भगवान) से हुई है। इस सिद्धांत के अनुसार, शासक को शासन करने का अधिकार ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया है, और वह ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। इसलिए उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना पाप या अधर्म माना जाता है।
प्रमुख विशेषताएँ:

1. **राज्य की उत्पत्ति ईश्वर से मानी जाती है।**
2. **शासक ईश्वर का प्रतिनिधि होता है।**
3. **राजा की आज्ञा परम होती है - उसकी अवज्ञा करना ईश्वर की अवज्ञा है।**
4. **राज्य और धर्म का गहरा संबंध होता है।**
5. यह सिद्धांत निरंकुश शासन (absolute monarchy) को समर्थन देता है।

□ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

* यह सिद्धांत विशेष रूप से **मध्यकालीन यूरोप** में प्रचलित था।

* ईसाई धर्म में माना जाता था कि राजा को ईश्वर ने चुना है।

* **किंग जेम्स प्रथम (James I of England)** और **लुई चौदहवें (Louis XIV of France)** ने इस सिद्धांत को खूब बढ़ावा दिया।

> **किंग जेम्स I का कथन था:**

> "Kings are called gods because they sit upon God's throne on Earth."

□ भारत में प्रभाव: भारत में भी इस सिद्धांत के कुछ रूप देखने को मिलते हैं:

* प्राचीन काल में राजा को "ईश्वर का अंश" या "नारायण का रूप" माना जाता था।

* धर्मशास्त्रों में कहा गया है: **"राजा धर्म का प्रतीक है।"**

□ आलोचना: 1. **तर्कहीन और अवैज्ञानिक** - यह सिद्धांत प्रमाणों पर नहीं बल्कि आस्था पर आधारित है।

2. **निरंकुश शासन को बढ़ावा देता है** - शासक के गलत कार्यों की आलोचना को भी पाप माना जाता है।

3. **जनता की भूमिका को नकारता है** - इसमें नागरिकों को कोई अधिकार नहीं दिए जाते।

4. **लोकतंत्र विरोधी** - यह सिद्धांत लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

****दैवीय सिद्धांत की विशेषताएँ (Divine Origin Theory - Features/विशेषताएँ):****

दैवीय सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति और राजा की सत्ता को ईश्वर की देन मानता है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

□ 1. **राज्य की उत्पत्ति ईश्वर से हुई है** - इस सिद्धांत के अनुसार, राज्य की स्थापना मनुष्यों ने नहीं की, बल्कि यह ईश्वर द्वारा सृजित संस्था है।

□ 2. **राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है** - राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि (Representative of God) या ईश्वर का अवतार (Incarnation) माना जाता है। वह ईश्वरीय इच्छाओं को पृथ्वी पर लागू करता है।

□ 3. **राजा की सत्ता को चुनौती नहीं दी जा सकती**

चूंकि राजा की सत्ता ईश्वर द्वारा दी गई है, इसलिए उसे गलत कहना या उसकी अवज्ञा करना पाप माना जाता है।

□ 4. ****राज्य और धर्म का घनिष्ठ संबंध****राज्य का आधार धार्मिक विश्वासों पर होता है। धर्म और राजनीति एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं।

□ 5. ****न्याय और शासन ईश्वरीय नियमों पर आधारित होते हैं****शासक अपने कर्तव्यों को धार्मिक आदेशों के अनुसार निभाता है, और न्याय का आधार धर्म होता है।

□ 6. ****जनता की कोई भूमिका नहीं****इस सिद्धांत में नागरिकों की सहमति या अधिकारों का कोई स्थान नहीं होता। केवल शासक सर्वोच्च होता है।

□ 7. ****निरंकुश शासन को बढ़ावा****यह सिद्धांत राजा को पूर्ण अधिकार देता है। इससे निरंकुशता (Absolutism) को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि राजा को किसी उत्तरदायित्व का पालन नहीं करना होता।

□ 8. ****राजनीतिक स्थिरता का आधार****प्रारंभिक काल में इस सिद्धांत ने शासन को स्थायित्व और वैधता प्रदान की, क्योंकि लोग राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर उसकी आज्ञा का पालन करते थे।

निष्कर्ष: दैवीय सिद्धांत की विशेषताएँ धार्मिक विश्वास और सत्ता की वैधता पर आधारित हैं। यह सिद्धांत ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, परंतु आधुनिक लोकतांत्रिक युग में इसकी प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है

□ ****दैवीय सिद्धांत की आलोचना (Criticism of Divine Origin Theory)****दैवीय सिद्धांत, जो यह मानता है कि राज्य और शासक की सत्ता ईश्वर से प्राप्त होती है, आधुनिक राजनीतिक विचारधारा और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। कई विचारकों और दार्शनिकों ने इस सिद्धांत की तीखी आलोचना की है। इसकी प्रमुख आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं:

□ 1. ****तार्किक और वैज्ञानिक आधार का अभाव**** यह सिद्धांत पूर्णतः ****आस्था और धार्मिक विश्वास**** पर आधारित है, जबकि राज्य एक सामाजिक और राजनीतिक संस्था है।

* इसमें किसी प्रकार के ऐतिहासिक, सामाजिक या वैज्ञानिक प्रमाण नहीं हैं।

□ 2. ****निरंकुशता को बढ़ावा देता है****

* राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानने से वह खुद को ****सर्वोच्च और उत्तरदायित्व-मुक्त**** समझता है।

* इससे ****तानाशाही**** और ****शोषण**** की स्थिति उत्पन्न होती है।

□ 3. ****जनता के अधिकारों की अनदेखी****

* इस सिद्धांत में जनता की ****सहमति, इच्छाओं या अधिकारों**** का कोई स्थान नहीं है।

* यह ****लोकतंत्र के विपरीत**** है, जिसमें जनता को सर्वोच्च माना जाता है।

□ 4. ****राजनीतिक परिवर्तन का विरोध****

* यदि शासक को हटाना ईश्वर के खिलाफ माना जाए, तो ****अत्याचारी शासन को समाप्त करना कठिन हो जाता है।****

* इससे समाज में बदलाव की प्रक्रिया रुक जाती है।

□ 5. ****धर्म और राजनीति का घालमेल****

* यह सिद्धांत धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अंतर नहीं रखता।

* इससे ****धार्मिक कट्टरता****, पक्षपात और असहिष्णुता को बढ़ावा मिल सकता है।

□ 6. ****समाज के विकास के अनुकूल नहीं***** यह सिद्धांत समाज को ****स्थिर और जड़**** बनाए रखता है।* आधुनिक राज्य के विकास के लिए ****लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्यायपूर्ण**** विचारों की आवश्यकता होती है।

7. ****दासता की मानसिकता पैदा करता है***** यह सिद्धांत जनता को राजा की "प्रजा" मानता है, जिससे लोगों में ****आत्मनिर्भरता और अधिकार चेतना**** का अभाव हो जाता है।

□ 8. ****अन्य सिद्धांतों से असहमति***** ****सामाजिक संविदा सिद्धांत****, ****मार्क्सवादी सिद्धांत**** और ****लोकतांत्रिक विचारधाराएं**** इस सिद्धांत को सिरे से नकारती हैं।

📌 □ ****प्रमुख विचारकों की आलोचना:****

* ****जॉन लॉक:**** "राजा जनता की सहमति से सत्ता में आता है, न कि ईश्वर की कृपा से।"

* ****रूसो:**** "सार्वभौम सत्ता जनता में निहित होती है, न कि किसी एक व्यक्ति में।"

□ ****निष्कर्ष:****दैवीय सिद्धांत ऐतिहासिक रूप से शासकों की सत्ता को वैध ठहराने का एक माध्यम था, लेकिन आधुनिक युग में यह सिद्धांत ****अप्रासंगिक और अलोकतांत्रिक**** माना जाता है। लोकतंत्र, समानता और मानवाधिकार जैसे आधुनिक मूल्य इसे पूरी तरह नकारते हैं।

□ ****शक्ति के सिद्धांत की विशेषताएँ एवं आलोचना****

(Theory of Power - ****Features and Criticism****)

□ ****परिचय:****शक्ति का सिद्धांत (Theory of Power) राजनीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो यह मानता है कि राज्य और शासन की मूलभूत नींव "शक्ति" (Power) है। यह सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि राज्य की स्थापना, संचालन और नियंत्रण का मुख्य आधार बल या शक्ति है, न कि नैतिकता, धर्म या सामाजिक संविदा।

□ ****शक्ति के सिद्धांत की विशेषताएँ:****

1. □ ****राज्य का आधार शक्ति है**** - राज्य और सरकार का अस्तित्व तभी तक है जब तक वह शक्ति का प्रयोग कर सकती है।
2. □ ****बल के प्रयोग को जायज़ ठहराना**** - यह सिद्धांत मानता है कि बल (Force) या सत्ता का प्रयोग शासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
3. □ ****राजनीति और शक्ति का अटूट संबंध****- राजनीति को "शक्ति का खेल" माना गया है। जर्मन विचारक ****हॉब्स**** और आधुनिक समय में ****मैकियावेली**** ने इस सिद्धांत को बल प्रदान किया।
4. □ ****नैतिकता का विरोध****- यह सिद्धांत कहता है कि राजनीति में नैतिकता और धर्म का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। "राजा का धर्म राज्य की सुरक्षा है।"
5. □ ****राजनीतिक स्थिरता में बल की भूमिका**** - राज्य को आंतरिक विद्रोह, असहमति या अराजकता से बचाने के लिए बल का प्रयोग आवश्यक माना जाता है।
6. □ ****‘मकसद ही साधनों को सही ठहराता है’** मैकियावेली का यह विचार इस सिद्धांत का मूल आधार है।

□ ****शक्ति के सिद्धांत की आलोचना:****

1. □ ****नैतिकता की उपेक्षा**** - यह सिद्धांत नैतिक मूल्यों, इंसानियत और आदर्शों को नजरअंदाज करता है।

2. □ ****निरंकुशता को बढ़ावा**** - केवल शक्ति पर आधारित शासन तानाशाही (Dictatorship) को जन्म देता है।

3. □ ****लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध****- लोकतंत्र जनता की सहमति और भागीदारी पर आधारित होता है, न कि केवल बल पर।

4. □ ****मानव अधिकारों का उल्लंघन**** केवल बल के प्रयोग से व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकारों का हनन होता है।

5. □ ****स्थायी शांति संभव नहीं**** - शक्ति से भय तो पैदा हो सकता है, लेकिन सम्मान और स्थायी शांति नहीं।

6. □ ****जन-समर्थन की उपेक्षा****- यह सिद्धांत लोगों की इच्छा, जनभावना और भागीदारी को महत्व नहीं देता।

□ ****पितृप्रधान सिद्धांत (Patriarchal Theory of the Origin of State)****

(राज्य की उत्पत्ति का पितृप्रधान सिद्धांत)*

□ ****परिचय:****पितृप्रधान सिद्धांत**** राज्य की उत्पत्ति को परिवार से जोड़ता है। इसके अनुसार, ****राज्य का विकास परिवार से हुआ है****, और परिवार का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति (पिता या कुलपति) बाद में समाज का शासक बन गया। यही पारिवारिक सत्ता आगे चलकर ****राजनीतिक सत्ता**** में परिवर्तित हुई। यह सिद्धांत ****सर हेनरी मेन (Sir Henry Maine)**** और ****अरस्तू (Aristotle)**** जैसे विचारकों द्वारा प्रतिपादित किया गया।

□ ****पितृप्रधान सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएँ:****

1. □ ****परिवार राज्य की इकाई है****- यह सिद्धांत मानता है कि ****राज्य का मूल आधार परिवार**** है, और परिवार की संरचना से ही राज्य की संरचना विकसित हुई।

2. □ ****पिता का स्थान सर्वोच्च**** प्रारंभिक समाज में परिवार में पिता का स्थान सर्वोच्च था। वह पालनकर्ता, रक्षक और शासक था।

3. □ ****पारिवारिक सत्ता का विकास**** जब कई परिवार एकत्र हुए, तो कुल (clan), फिर जनजाति और अंत में राज्य बना। पिता की सत्ता क्रमशः कुलपति और फिर राजा में बदल गई।

4. □ ****राजा को पिता तुल्य माना गया**** शासक को "प्रजा का पिता" समझा गया। उसका कर्तव्य प्रजा की देखभाल करना था, जैसे पिता अपने बच्चों की करता है।

5. □ ****राज्य प्राकृतिक संस्था है**** जैसे परिवार प्राकृतिक रूप से बना, वैसे ही राज्य भी समाज की एक प्राकृतिक संस्था माना गया।

6. □ ****राजनीतिक सत्ता का विकास नैतिक सत्ता से**** इस सिद्धांत में राजनीतिक अधिकारों की उत्पत्ति नैतिक और सामाजिक उत्तरदायित्वों से मानी जाती है।

□ ****पितृप्रधान सिद्धांत की आलोचना:****

1. □ ****ऐतिहासिक प्रमाणों की कमी****

- इस सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त ऐतिहासिक या पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं।

2. □ ****मातृसत्तात्मक समाजों की उपेक्षा****कुछ समाजों में ****मातृसत्ता (Matriarchy)**** का प्रचलन था, जिनमें महिलाओं का नेतृत्व था, पर यह सिद्धांत केवल पिता को सर्वोच्च मानता है।

3. □ ****सत्ता और परिवार में अंतर**** पारिवारिक नेतृत्व प्रेम और जिम्मेदारी पर आधारित होता है, जबकि राज्य की सत्ता में बल, नियम और विधि होती है। दोनों को एकसमान मानना तर्कसंगत नहीं है।

4. □ ****सामाजिक संविदा सिद्धांत से असहमति**** यह सिद्धांत लोगों की सहमति से राज्य की उत्पत्ति को नकारता है, जबकि सामाजिक संविदा सिद्धांत इसे स्वीकार करता है।

□ ****निष्कर्ष:****पितृप्रधान सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति को पारिवारिक संरचना से जोड़ता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि ****राज्य का स्वरूप धीरे-धीरे विकसित हुआ****। हालांकि, यह सिद्धांत पूर्ण रूप से संतोषजनक नहीं है क्योंकि यह सभी प्रकार के समाजों को नहीं दर्शाता। फिर भी, यह राज्य की उत्पत्ति को समझने का एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक प्रयास है।### □ ****मातृप्रधान सिद्धांत (Matriarchal Theory of the Origin of State)****

****राज्य की उत्पत्ति का मातृप्रधान सिद्धांत****

□ ****परिचय:****

****मातृप्रधान सिद्धांत**** के अनुसार, राज्य की उत्पत्ति परिवार से हुई, परंतु इस सिद्धांत में यह माना गया है कि प्रारंभिक समाजों में ****माता (स्त्री)**** का वर्चस्व था, न कि पिता का।

इस सिद्धांत के अनुसार, **मातृसत्ता** (matriarchy) या **स्त्री नेतृत्व** पर आधारित समाजों से ही राज्य का विकास हुआ।

इस सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक हैं –

➡ **जे. एफ. मैकलैन (J. F. McLennan)**

➡ **लेविस हेनरी मॉर्गन (L. H. Morgan)**

➡ **इंगेल्स (F. Engels)** - जिन्होंने अपनी पुस्तक **"The Origin of the Family, Private Property and the State"** में इस विचार को विस्तार से समझाया।

□ **मातृप्रधान सिद्धांत की विशेषताएँ:**

1. □ **प्रारंभिक समाज मातृसत्तात्मक था**

- यह माना जाता है कि आदिम समाजों में संपत्ति, वंश और अधिकार स्त्री के माध्यम से चलते थे।

2. □ **वंश और उत्तराधिकार मातृरेखा से होता था**

- पुत्र नहीं, बल्कि पुत्री के माध्यम से वंश चलता था। बच्चों की पहचान माँ से होती थी।

3. □ **परिवार की प्रमुख स्त्री होती थी**

- परिवार की मुखिया महिला होती थी और वही निर्णय लेती थी।

4. □ **राज्य का विकास मातृप्रधान परिवारों से हुआ**

- धीरे-धीरे अनेक मातृप्रधान परिवारों से कबीले बने और आगे चलकर राज्य का रूप लिया।

5. □ **सामूहिक विवाह व्यवस्था का प्रभाव**

- उस समय पुरुषों की पहचान निश्चित नहीं होती थी, इसलिए माँ की पहचान ही सामाजिक आधार बन गई।

6. □ **स्त्रियों की सामाजिक भूमिका महत्वपूर्ण थी**

- महिलाएँ उत्पादन, संरक्षण और संगठन का कार्य करती थीं, जिससे उनका वर्चस्व था।

□ **मातृप्रधान सिद्धांत की आलोचना:**

1. □ ****ऐतिहासिक प्रमाणों की कमी****

- मातृसत्तात्मक समाजों का समर्थन करने वाले बहुत कम ठोस ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध हैं।

2. □ ****सामूहिक विवाह का सिद्धांत विवादास्पद है****

- कई विद्वानों ने यह तर्क दिया है कि सामूहिक विवाह जैसी कोई परंपरा अस्तित्व में नहीं थी।

3. □ ****पुरुष नेतृत्व की भूमिका की उपेक्षा****

- यह सिद्धांत पुरुषों की भूमिका को नगण्य मानता है, जबकि कई समाजों में पुरुष ही निर्णायक रहे हैं।

4. □ ****सभी समाजों पर लागू नहीं होता****

- मातृप्रधानता कुछ आदिम समाजों में थी, लेकिन अधिकांश सभ्यताओं में पितृसत्ता ही प्रमुख रही है।

5. □ ****आधुनिक समाज में अप्रासंगिक****

- आज के राजनीतिक ढांचे में यह सिद्धांत प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि राज्य का स्वरूप जटिल और विविध हो चुका है।

□ ****निष्कर्ष:****

मातृप्रधान सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति को ****स्त्री केंद्रित सामाजिक व्यवस्था**** से जोड़ता है। यह सिद्धांत राज्य निर्माण की प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित करता है, जो अक्सर उपेक्षित रही है।

□ ****सामाजिक समझौते का सिद्धांत (Social Contract Theory)****

****तथा इसकी आलोचना****

□ ****परिचय:**** सामाजिक समझौते का सिद्धांत यह मानता है कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्यों के आपसी समझौते (Contract) से हुई है। यह सिद्धांत बताता है कि प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य प्राकृतिक अवस्था (State of Nature) में रहते थे, जहाँ कोई राज्य, सरकार या

कानून नहीं था। बाद में, ****सुरक्षा, शांति, न्याय और व्यवस्था**** के लिए लोगों ने आपसी समझौता कर राज्य की स्थापना की।

□ ****मुख्य प्रवर्तक: * थॉमस हॉब्स (Thomas Hobbes)***

* ****जॉन लॉक (John Locke)****

* ****रूसो (Jean-Jacques Rousseau)****

□ ****मुख्य विशेषताएँ (Features):****

1. □ ****राज्य मानव निर्मित संस्था है****- राज्य की उत्पत्ति ईश्वर या बल से नहीं, बल्कि ****मनुष्यों के समझौते**** से हुई है।
2. □ ****प्राकृतिक अवस्था से राज्य की ओर संक्रमण**** लोग प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्र थे, परंतु असुरक्षित। इसलिए उन्होंने सुरक्षा के लिए समझौता किया।
3. □ ****समझौता दो प्रकार का होता है**** मनुष्यों के बीच और शासक तथा जनता के बीच (विचारक के अनुसार अंतर होता है)।
4. □ ****राज्य का उद्देश्य - सुरक्षा, स्वतंत्रता, संपत्ति की रक्षा****- जैसे: ****लॉक**** ने कहा - जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा राज्य का कार्य है।
5. □ ****जनता को सर्वोच्च माना गया**** ****रूसो**** के अनुसार, "सार्वभौम सत्ता जनता में निहित है।"
6. □ ****राज्य अनुबंध से बंधा है**** यदि राज्य जनता के अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उसे बदलने या हटाने का अधिकार जनता को है।

□ ****सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना:****

1. □ ****ऐतिहासिक प्रमाण नहीं हैं**** किसी भी समय, स्थान या समाज में ऐसा कोई वास्तविक सामाजिक समझौता हुआ था, इसका कोई ****ऐतिहासिक प्रमाण नहीं**** है।
2. □ ****कल्पनात्मक और सैद्धांतिक****- यह सिद्धांत पूरी तरह ****काल्पनिक स्थिति**** (hypothetical) पर आधारित है, वास्तविकता से दूर है।
3. □ ****प्राकृतिक अवस्था एक भ्रम****- "प्राकृतिक अवस्था" जैसी कोई स्थिति मानव इतिहास में नहीं देखी गई है।

4. □ ****व्यवहारिक रूप से अपूर्ण**राज्य का विकास केवल समझौते से नहीं, बल्कि ****परंपरा, संघर्ष, शक्ति और सामाजिक आवश्यकताओं**** से भी हुआ है।**

5. □ ****सभी समाजों पर लागू नहीं होता**यह सिद्धांत पश्चिमी समाजों पर आधारित है, लेकिन इसे सभी संस्कृतियों और सभ्यताओं पर नहीं लागू किया जा सकता।**

6. □ ****मार्क्सवादी आलोचना**** मार्क्सवादी विचारकों के अनुसार, यह सिद्धांत ****वर्गीय शोषण**** को ढकने का प्रयास करता है। यह पूंजीवादी हितों की रक्षा करता है।

□ ****थॉमस हॉब्स का सामाजिक समझौते का सिद्धांत****

(Thomas Hobbes - Social Contract Theory)

□ ****परिचय:****थॉमस हॉब्स (Thomas Hobbes)**** एक अंग्रेज़ दार्शनिक थे, जिन्होंने अपने ग्रंथ ****"Leviathan" (1651)**** में सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्यों के ****आपसी समझौते (Social Contract)**** से हुई है, जिससे उन्होंने अपनी ****स्वतंत्रता एक सर्वोच्च सत्ता (Leviathan/राजा)**** को सौंप दी ताकि समाज में ****शांति और सुरक्षा**** बनी रहे।

□ ****थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौते की विशेषताएँ:****

1. □ ****प्राकृतिक अवस्था (State of Nature):****

* हॉब्स के अनुसार, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वार्थी, असुरक्षित और भयभीत था।

* वहाँ "हर व्यक्ति, हर व्यक्ति का शत्रु" था।

* उनका प्रसिद्ध कथन है:

□ ****"Life was solitary, poor, nasty, brutish and short."***

2. □ ****मनुष्य जन्म से स्वार्थी है:****

* हॉब्स का मानना था कि मनुष्य स्वभाव से ****लोभी, हिंसक और स्वार्थी**** होता है।

3. □ ****राज्य का निर्माण सामाजिक समझौते से हुआ:***** लोगों ने आपसी समझौते से ****अपनी सभी स्वतंत्रताएँ एक सर्वोच्च शासक (Absolute Sovereign)**** को सौंप दीं।

4. □ ****समझौता केवल जनता के बीच हुआ:***** राजा और जनता के बीच कोई अनुबंध नहीं है।* राजा उस समझौते का ****पक्षकार नहीं****, बल्कि ****परिणाम**** है।

5. □ ****सर्वोच्च सत्ता निरंकुश होनी चाहिए:***** राजा को ****पूर्ण और असीमित अधिकार**** मिलने चाहिए ताकि वह कानून और व्यवस्था बना सके।

6. □ ****राजा की आज्ञा सर्वोपरि है:***** राज्य में केवल ****एक ही सर्वोच्च सत्ता**** होनी चाहिए, जिसकी आज्ञा का पालन सभी को करना चाहिए।

7. □ ****विद्रोह का कोई अधिकार नहीं:***** नागरिकों को शासक के विरुद्ध विद्रोह करने का ****कोई अधिकार नहीं**** है, भले ही वह अत्याचारी हो।

□ ****थॉमस हॉब्स के सिद्धांत की आलोचना:****

1. □ ****नकारात्मक मानव स्वभाव की धारणा:**** हॉब्स ने मनुष्य को अत्यधिक स्वार्थी और हिंसक बताया, जो ****आधुनिक मनोविज्ञान से मेल नहीं खाता।****

2. □ ****निरंकुशता को बढ़ावा:**** उसने शासक को ****असीम शक्ति**** दी और ****लोकतंत्र व व्यक्तिगत स्वतंत्रता**** का विरोध किया।

3. □ ****विद्रोह का अधिकार न देना अनुचित:***** अत्याचारी या अन्यायी शासक के विरुद्ध ****प्रतिक्रिया या बदलाव का कोई विकल्प नहीं**** होना अव्यवहारिक है।

4. □ ****राजा और जनता के बीच अनुबंध की अनुपस्थिति:***** यदि राजा अनुबंध का पक्ष नहीं है, तो ****उत्तरदायित्व**** कैसे तय होगा? यह सिद्धांत ****एकतरफा**** है।

5. □ ****व्यवहारिक रूप से कठोर और रूढ़िवादी:**** यह सिद्धांत अधिक ****तानाशाहीपूर्ण शासन**** की वकालत करता है, जो आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों से मेल नहीं खाता।

□ ****जॉन लॉक का सामाजिक समझौते का सिद्धांत****(John Locke - Social Contract Theory)

□ ****परिचय:*****जॉन लॉक (John Locke)**** एक प्रसिद्ध **अंग्रेज़ दार्शनिक** थे, जिन्हें "लिबरलिज़्म (उदारवाद)" का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने अपने ग्रंथ **"Two Treatises of Government" (1690) में **सामाजिक समझौते का सिद्धांत** प्रस्तुत किया।**

लॉक ने राज्य की उत्पत्ति को ****नैतिक, तर्कसंगत और लोकहितकारी**** बताया। उनका सिद्धांत थॉमस हॉब्स से अलग था – वे ****निरंकुशता के विरोधी**** और ****लोकतंत्र के समर्थक**** थे।

□ ****लॉक के सामाजिक समझौते की मुख्य विशेषताएँ:****

1. □ ****प्राकृतिक अवस्था (State of Nature):**** प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वतंत्र, समान, और ****नैतिक**** था। वह अपने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करता था।

2. □ ****प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा:**** हर मनुष्य को जन्म से ही कुछ ****प्राकृतिक अधिकार**** प्राप्त हैं:

□ ****जीवन (Life), स्वतंत्रता (Liberty), और संपत्ति (Property)****

ये अधिकार ****अप्रत्यक्ष, अपरिवर्तनीय और ईश्वर-प्रदत्त**** हैं।

3. □ ****राज्य की स्थापना समझौते से हुई:**** लोगों ने ****आपसी समझौते से**** राज्य की स्थापना की ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके।

4. □ ****द्विपक्षीय अनुबंध (Two-way contract):****

* राज्य और नागरिकों के बीच ****द्विपक्षीय समझौता**** होता है:

□ नागरिक obey करेंगे,

□ शासक अधिकारों की रक्षा करेगा।

5. □ ****सीमित सरकार (Limited Government):****

राज्य की शक्ति ****नियमों और कानूनों**** से बंधी होती है। यह कोई निरंकुश संस्था नहीं है।

6. □ ****न्यायिक तंत्र का महत्व:**** राज्य को निष्पक्ष कानून और न्याय-व्यवस्था लागू करनी चाहिए।

7. □ ****विद्रोह का अधिकार:**** यदि सरकार ****न्याय न करे या अधिकारों का उल्लंघन**** करे, तो जनता को ****सरकार को बदलने**** का अधिकार है।

□ ****लॉक के सिद्धांत की आलोचना:**** 1. □ ****प्राकृतिक अवस्था की कल्पना अवास्तविक है:****

जैसी प्राकृतिक अवस्था की कल्पना लॉक ने की, ****वैसी कोई स्थिति इतिहास में नहीं देखी गई****।

2. □ ****संपत्ति पर अत्यधिक ज़ोर:**** लॉक ने "संपत्ति" की रक्षा को राज्य का ****प्रमुख उद्देश्य**** माना, जिससे यह ****धनी वर्ग का पक्षपाती**** सिद्धांत लगता है।
3. □ ****सामाजिक असमानता की अनदेखी:**** उन्होंने ****गरीबों और मजदूर वर्ग**** की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया।
4. □ ****राज्य की भूमिका सीमित कर दी:**** लॉक का "न्यूनतम राज्य" (Minimal State) का विचार ****कल्याणकारी राज्य**** की अवधारणा से मेल नहीं खाता।
5. □ ****मार्क्सवादी आलोचना:**** ****कार्ल मार्क्स**** ने लॉक के सिद्धांत को ****पूंजीपतियों का औजार**** बताया, जो निजी संपत्ति की रक्षा करता है।

□ ****रूसो का सामाजिक समझौते का सिद्धांत****

□ ****परिचय:****

****जॉन जैक रूसो (Jean-Jacques Rousseau)**** फ्रांसीसी दार्शनिक थे, जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ****"The Social Contract" (1762)**** में सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रस्तुत किया।

रूसो का सिद्धांत थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक से भिन्न है। उन्होंने ****व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और जनसामान्य की इच्छा (General Will)**** को राज्य की नींव माना।

उनका प्रसिद्ध कथन है:

□ ****"Man is born free, but everywhere he is in chains."***

(मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, पर हर जगह बंधनों में जकड़ा है।)

□ ****रूसो के सामाजिक समझौते की विशेषताएँ:****

1. □ ****प्राकृतिक अवस्था:**** रूसो के अनुसार, प्रारंभिक प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य ****स्वतंत्र, शुद्ध, सुखी और नैतिक**** था।

* लेकिन ****संपत्ति की अवधारणा**** आने के बाद असमानता और शोषण शुरू हुआ।

2. □ ****समाज का पतन - संपत्ति के कारण:**** रूसो मानते हैं कि ****निजी संपत्ति**** समाज में विषमता, लालच और शोषण का कारण बनी।

3. □ ****राज्य की स्थापना सामूहिक समझौते से हुई:***** मनुष्यों ने आपसी समझौते से राज्य की स्थापना की, लेकिन इस बार ****व्यक्तिगत इच्छाओं को सामूहिक इच्छा में बदलकर****।

4. □ ****सामान्य इच्छा (General Will):***** राज्य की संप्रभुता जनता की सामूहिक इच्छा में निहित होती है।

* **"General Will"** का उद्देश्य ****सामूहिक भलाई (Common Good)**** है, न कि किसी एक व्यक्ति या वर्ग का हित।

5. □ ****लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन:***** रूसो ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया, जिसमें जनता ****सीधे शासन में भाग लेती है****।

6. □ ****विद्रोह का समर्थन:***** यदि सरकार जन इच्छा के विरुद्ध कार्य करे, तो ****उसे हटाया जा सकता है****।

□ ****रूसो के सिद्धांत की आलोचना:****

1. □ ****सामान्य इच्छा का अर्थ अस्पष्ट है:**** **"General Will"** की परिभाषा ****अस्पष्ट और भ्रमित करने वाली**** है। क्या यह बहुमत है? क्या यह सर्वसम्मति है?

2. □ ****अत्यधिक आदर्शवादिता:**** रूसो का सिद्धांत ****व्यवहारिक नहीं****, बल्कि ****आदर्शवादी और कल्पनात्मक**** लगता है।

3. □ ****व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन:***** यदि कोई व्यक्ति **"General Will"** से असहमत हो, तो उसे ****बलपूर्वक आज्ञाकारी बनाया जा सकता है**** – यह तानाशाही की ओर झुकाव दर्शाता है।

4. □ ****प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं:****

* रूसो ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया, जो ****बड़े और जटिल समाजों में अव्यवहारिक**** है।

5. □ ****तानाशाही का रास्ता खोलता है:***** इतिहास में कई तानाशाहों ने **"जन इच्छा"** के नाम पर अत्याचार किए हैं (जैसे: फ्रांसीसी क्रांति के बाद रोबेस्पियर)।

□ ****रूसो के सिद्धांत का महत्व:****

□ 1. ****लोकतंत्र को वैचारिक आधार दिया****- रूसो ने “जनता की सर्वोच्चता” और “सार्वभौम सत्ता” जैसे विचारों को लोकप्रिय किया।

□ 2. ****फ्रांसीसी क्रांति में प्रेरणा स्रोत**** उनका सिद्धांत ****1789 की फ्रांसीसी क्रांति**** का वैचारिक आधार बना।

□ 3. ****नैतिक व जनतांत्रिक दृष्टिकोण**** रूसो ने राजनीति में नैतिकता, समानता और जनता की इच्छा को सर्वोपरि माना।

□ 4. ****आधुनिक लोकतंत्र की नींव****- "General Will" का विचार आज के लोकतंत्र में ****जन-मत**** (Public Opinion) के रूप में देखा जा सकता है।

□ ****रूसो की "सामान्य इच्छा" का सिद्धांत****

□ ****परिचय:******"सामान्य इच्छा" (General Will)****** रूसो के सामाजिक विचारों का ****केंद्रबिंदु**** है। यह अवधारणा उनकी प्रसिद्ध कृति ****“The Social Contract” (1762)**** में प्रमुखता से प्रस्तुत की गई है। रूसो के अनुसार, राज्य की वास्तविक शक्ति किसी राजा या वर्ग में नहीं, बल्कि ****जनता की सामूहिक इच्छा**** (General Will) में निहित होती है। यही सामान्य इच्छा जनता की ****स्वतंत्रता, समानता और भलाई**** का प्रतीक है।

□ ****सामान्य इच्छा की प्रमुख विशेषताएँ:****

1. □ ****समूह की सामूहिक इच्छा:****- यह किसी एक व्यक्ति या वर्ग की नहीं, बल्कि ****समाज के सभी सदस्यों की सामूहिक, सामान्य और तर्कसंगत इच्छा**** होती है।

2. □ ****व्यक्तिगत इच्छा से भिन्न:**** सामान्य इच्छा ****व्यक्तिगत या निजी इच्छाओं (Private Will)**** से अलग होती है।

- यह केवल ****सार्वजनिक भलाई (Common Good)**** पर केंद्रित होती है।

3. □ ****सार्वभौमिकता का आधार:****राज्य की संप्रभुता का आधार ****जनता की सामान्य इच्छा**** है। शासक को उसी के अनुसार शासन करना चाहिए।

4. □ ****नैतिक और तर्कसंगत:**** सामान्य इच्छा तात्कालिक लालच या भावना से नहीं, बल्कि ****नैतिकता और तर्क**** पर आधारित होती है।

5. □ ****समानता की प्रेरणा:**** इसमें प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार, कर्तव्य और भागीदारी मिलती है।

6. □ ****स्वतंत्रता का वास्तविक रूप:**** रूसो के अनुसार, जब व्यक्ति सामान्य इच्छा का पालन करता है, तब वह ****वास्तव में स्वतंत्र**** होता है।

7. □ ****प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन:**** यह सिद्धांत जनता की सीधी भागीदारी (Direct Participation) पर आधारित है।

□ ****सामान्य इच्छा की आलोचना:****

1. □ ****अस्पष्ट और भ्रमित अवधारणा:**** "General Will" का अर्थ स्पष्ट नहीं है - क्या यह बहुमत है? क्या यह सर्वसम्मति है? इसकी ****सीमा और स्वरूप अस्पष्ट**** हैं।

2. □ ****व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन:**** यदि कोई व्यक्ति सामान्य इच्छा से असहमत हो, तो उसे ****“स्वतंत्र बनने के लिए बाध्य किया जाएगा”**** – यह ****तानाशाही प्रवृत्ति**** दर्शाता है।

3. □ ****बहुमत की तानाशाही का खतरा:**** "जन इच्छा" के नाम पर ****अल्पसंख्यकों की राय को दबाया जा सकता है****।

4. □ ****प्राकृतिक विविधता की अनदेखी:**** समाज में सभी की इच्छाएँ, सोच और जरूरतें अलग होती हैं। "एक सामान्य इच्छा" बनाना ****व्यवहारिक नहीं**** है।

5. □ ****राजनीतिक शोषण का खतरा:**** इतिहास में कई शासकों ने "जन इच्छा" के नाम पर ****तानाशाही और हिंसा को न्यायोचित ठहराया**** (जैसे: फ्रांसीसी क्रांति में रोबेस्पियर)।

□ ****विकासवादी सिद्धांत (Evolutionary Theory of the Origin of State)****

**** (राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत) ****

□ ****परिचय:****

****विकासवादी सिद्धांत**** के अनुसार राज्य की उत्पत्ति ****एक दिन में या किसी एक घटना से नहीं**** हुई, बल्कि यह ****धीरे-धीरे विकसित**** हुआ है। यह सिद्धांत मानता है कि राज्य एक ****प्राकृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक प्रक्रिया**** का परिणाम है, जो ****परिवार, कबीले, जनजाति और समाज**** से होकर क्रमशः राज्य में बदला। यह सिद्धांत किसी ईश्वर, राजा या समझौते को नहीं, बल्कि ****समाज के निरंतर विकास, अनुभव, परंपराओं और आवश्यकताओं**** को राज्य के निर्माण का आधार मानता है।

□ ****मुख्य विशेषताएँ (Features of Evolutionary Theory):****

1. □ ****धीरे-धीरे विकास की प्रक्रिया:****- राज्य एक लंबी ऐतिहासिक यात्रा का परिणाम है, जो सहस्रों वर्षों में ****क्रमिक रूप से विकसित**** हुआ।

2. □ ****कोई एक कारण नहीं:****- इस सिद्धांत में राज्य की उत्पत्ति के लिए कोई एक कारण नहीं, बल्कि कई कारकों को जिम्मेदार माना गया है:

□ परिवार

□ धर्म

□ परंपरा

□ युद्ध

□ राजनीति

□ आर्थिक ज़रूरतें

3. □ ****परिवार से राज्य तक:****सबसे पहले ****परिवार****, फिर ****कबीला****, फिर ****जनजाति****, और अंत में ****राज्य**** अस्तित्व में आया।

4. □ ****प्राकृतिक और सामाजिक संस्था:****राज्य को ****प्राकृतिक संस्था (Natural Institution)**** और ****सामाजिक विकास की सर्वोच्च इकाई**** माना गया।

5. □ ****संस्कृति, परंपरा व अनुभव का योगदान:**** संस्कृति, नैतिकता, धार्मिक विश्वास, परंपराएँ और अनुभव ****राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका**** निभाते हैं।

□ ****विकासवादी सिद्धांत की आलोचना:****

1. □ ****धीमे और अस्पष्ट विकास को समझाना कठिन:**** यह बताना कठिन है कि राज्य कब और कैसे “राज्य” बना, क्योंकि प्रक्रिया बहुत लंबी और जटिल है।

2. □ ****ऐतिहासिक प्रमाणों की सीमितता:**** आदिम समाजों के लिखित प्रमाण नहीं होने के कारण, विकास की प्रक्रिया को ****ठोस रूप में सिद्ध करना मुश्किल**** है।

3. □ ****राज्य की उत्पत्ति का कोई निश्चित बिंदु नहीं:**** यह सिद्धांत यह स्पष्ट नहीं करता कि ****कब परिवार राज्य में बदल गया****।

4. □ ****अन्य सिद्धांतों को पूरी तरह अस्वीकार नहीं करता:**** कई बार यह सिद्धांत अन्य सिद्धांतों (जैसे बल सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत) के तत्वों को भी सम्मिलित कर लेता है, जिससे इसकी ****स्वतंत्रता कम**** हो जाती है।

□ ****महत्व:****

विकासवादी सिद्धांत सबसे ****वास्तविक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण**** प्रदान करता है।

यह मानता है कि राज्य ****समय, अनुभव और आवश्यकताओं का परिणाम**** है।

यह सिद्धांत आज भी राजनीतिक समाज विज्ञान में ****व्यापक रूप से स्वीकार्य**** है।

□ ****निष्कर्ष:****

****विकासवादी सिद्धांत**** राज्य की उत्पत्ति को एक ****प्राकृतिक और क्रमिक विकास**** की प्रक्रिया मानता है, जो परिवार से लेकर आधुनिक राष्ट्र-राज्य तक फैली हुई है। यह सिद्धांत अन्य सिद्धांतों के मुकाबले ****अधिक व्यावहारिक, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक**** दृष्टिकोण रखता है, इसलिए इसे राज्य की उत्पत्ति का ****सबसे विश्वसनीय सिद्धांत**** माना जाता है।

Chapter-5

राज्य की उत्पत्ति सम्बन्धी मार्क्स वादी सिद्धान्त

□ ****राज्य की उत्पत्ति संबंधी मार्क्सवादी सिद्धांत****

□ ****परिचय:**** ****मार्क्सवादी सिद्धांत****, राज्य की उत्पत्ति को ****आर्थिक वर्ग-संघर्ष और शोषण**** के परिणाम के रूप में देखता है।

यह सिद्धांत **कार्ल मार्क्स (Karl Marx)** और **फ्रेडरिक एंगेल्स (Friedrich Engels)** द्वारा प्रतिपादित किया गया है, विशेष रूप से एंगेल्स की प्रसिद्ध पुस्तक **“The Origin of the Family, Private Property and the State”** में इसे स्पष्ट रूप से समझाया गया है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार, **राज्य न तो दैवीय है, न सामाजिक समझौते से बना है**, बल्कि यह **धनिक वर्ग द्वारा शोषित वर्गों को दबाने के लिए** बनाया गया एक **शक्ति उपकरण (instrument of class oppression)** है।

□ **मुख्य विशेषताएँ (विशेषताएँ / मुख्य बिंदु):**

1. □ **राज्य की उत्पत्ति आर्थिक कारणों से हुई:** राज्य का जन्म **आर्थिक विषमता और वर्ग विभाजन** के कारण हुआ, न कि किसी नैतिक या धार्मिक कारण से।

2. □ **वर्ग संघर्ष का परिणाम:**

जब समाज में **दो वर्ग** बने:

□ शोषक (Bourgeoisie - पूंजीपति)

□ शोषित (Proletariat - मजदूर),

तो शोषकों ने शोषण को बनाए रखने के लिए **राज्य की स्थापना की**।

3. □ **राज्य एक शोषण का उपकरण है:** राज्य का कार्य **धनिक वर्ग के हितों की रक्षा करना** और श्रमिक वर्ग को दबाना है।

4. □ **निजी संपत्ति से राज्य की उत्पत्ति:**

जैसे ही **निजी संपत्ति** आई, सामाजिक असमानता बढ़ी, और राज्य अस्तित्व में आया।

5. □ **राज्य अस्थायी संस्था है:** मार्क्सवादियों के अनुसार, **राज्य स्थायी नहीं है**।

समाजवादी क्रांति के बाद राज्य **धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगा** और **वर्गहीन समाज** की स्थापना होगी।

6. □ **राज्य की भूमिका - वर्ग शोषण को बनाए रखना:** कानून, पुलिस, न्यायपालिका जैसे तंत्र केवल **धनिक वर्ग के हितों की रक्षा** के लिए होते हैं।

□ **मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना:**

1. □ ****राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया गया है:**** यह सिद्धांत राज्य को केवल शोषण का औजार मानता है, जबकि राज्य का कार्य ****जन कल्याण, सुरक्षा और विकास**** भी होता है।

2. □ ****राज्य के नैतिक व सांस्कृतिक पक्ष की उपेक्षा:**** यह राज्य की ****नैतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भूमिका**** को नजरअंदाज़ करता है।

3. □ ****समाज के विविध पक्षों की अनदेखी:**** राज्य केवल आर्थिक संरचना से नहीं बनता, बल्कि इसमें ****धार्मिक, जातीय, सामाजिक और वैचारिक**** कारक भी योगदान करते हैं।

4. □ ****राज्य का "लुप्त हो जाना" अव्यावहारिक है:**** आधुनिक युग में राज्य की आवश्यकता हर स्तर पर है - सुरक्षा, व्यवस्था, कानून, प्रशासन आदि के लिए।

राज्य का पूरी तरह समाप्त हो जाना ****वास्तविकता से परे**** है।

□ ****महत्व (Importance):**** □ यह सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति को ****भौतिक और ऐतिहासिक संदर्भ**** में समझाता है।

□ इसने यह उजागर किया कि राज्य हमेशा ****न्यायपूर्ण और निष्पक्ष संस्था नहीं**** रहा है।

□ इस सिद्धांत ने ****श्रमिक आंदोलनों****, ****क्रांतियों****, और ****समाजवादी राजनीतिक विचारधाराओं**** को प्रेरित किया।

निष्कर्ष: मार्क्सवादी सिद्धांत ****राज्य की उत्पत्ति को **आर्थिक शोषण और वर्ग-संघर्ष** से जोड़ता है। यह सिद्धांत राज्य को एक **अस्थायी, वर्ग-आधारित, और शोषणकारी तंत्र** मानता है। हालाँकि आधुनिक युग में इसकी कई सीमाएँ हैं, फिर भी इसने राज्य की आलोचना और सत्ता की सामाजिक भूमिका** को समझने के लिए एक नया दृष्टिकोण दिया है।**

Chapter-6

राज्य का स्वरूप : उदारवादी तथा मार्क्सवादी विचार

□ ****राज्य का उदारवादी दृष्टिकोण****

□ ****परिचय:****उदारवाद (Liberalism)**** एक राजनीतिक विचारधारा है जो ****व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, कानून का शासन, मानवाधिकार और सीमित सरकार**** में विश्वास रखती है।

****राज्य का उदारवादी दृष्टिकोण**** यह मानता है कि राज्य का मुख्य कार्य ****व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा**** करना है, न कि समाज पर पूर्ण नियंत्रण।

****मुख्य विशेषताएँ (विशेषताएँ / प्रमुख बिंदु):****

1. □ ****सीमित राज्य की अवधारणा (Limited State):****- उदारवाद राज्य को ****एक सीमित संस्था**** मानता है जिसका कार्य ****व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करना**** है, न कि हर क्षेत्र में हस्तक्षेप करना।

2. □ ****व्यक्ति को प्राथमिकता:****- व्यक्ति को राज्य से ऊपर माना जाता है।

- राज्य का अस्तित्व ****व्यक्ति की सेवा**** के लिए है, न कि व्यक्ति राज्य की सेवा के लिए।

3. □ ****कानून का शासन (Rule of Law):****- सभी नागरिकों और शासकों पर ****समान रूप से कानून लागू होता है****। राज्य मनमानी नहीं कर सकता।

4. □ ****लोकतंत्र और प्रतिनिधि सरकार:**** उदारवाद ****लोकतंत्र****, ****बहुमत की सत्ता**** और ****जनता द्वारा चुनी गई सरकार**** में विश्वास करता है।

5. □ ****प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा:****जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति**** जैसे अधिकार जन्मसिद्ध हैं, और राज्य का कर्तव्य है कि वह इनकी रक्षा करे (जैसे: **जॉन लॉक** के विचार)।**

6. □ ****आर्थिक स्वतंत्रता और पूंजीवाद:****उदारवाद ****मुक्त बाजार व्यवस्था (Free Market Economy)**** और ****निजी संपत्ति**** का समर्थक है।

- राज्य को आर्थिक क्षेत्र में ****सीमित हस्तक्षेप**** करना चाहिए।

□ ****प्रमुख उदारवादी विचारक:****जॉन लॉक (John Locke)**** - सीमित सरकार और प्राकृतिक अधिकार**

एडम स्मिथ (Adam Smith)**** - आर्थिक उदारवाद**

जे.एस. मिल (J.S. Mill)**** - व्यक्तित्व की स्वतंत्रता**

टोकेविल, बेंजामिन कांस्टेंट, ह—बार्ट स्पेंसर** आदि

□ **उदारवादी दृष्टिकोण की आलोचना:**

1. □ **गरीब और कमजोर वर्गों की अनदेखी:**

सीमित राज्य की अवधारणा ने **वंचित वर्गों के कल्याण** को नज़रअंदाज़ किया।

2. □ **पूंजीवाद का पोषण:**— उदारवाद ने **पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा** की, जिससे **आर्थिक विषमता** बढ़ी।

3. □ **राज्य को केवल रक्षक बनाना अव्यावहारिक:** आधुनिक युग में राज्य को केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित करना **अपर्याप्त** है।

- शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा आदि क्षेत्रों में भी राज्य की भूमिका आवश्यक है।

4. □ **नव उदारवाद (Neo-Liberalism) की आलोचना:** नव-उदारवाद ने वैश्वीकरण और निजीकरण को बढ़ावा देकर **सार्वजनिक हितों की उपेक्षा** की।

□ **राज्य के स्वरूप संबंधी मार्क्सवादी धारणा**

□ **परिचय:**—मार्क्सवादी धारणा** के अनुसार, राज्य कोई तटस्थ संस्था नहीं, बल्कि एक **वर्ग-विशेष (शोषक वर्ग)** के हितों की रक्षा करने वाला **शोषण का उपकरण** है।

कार्ल मार्क्स और **फ्रेडरिक एंगेल्स** ने राज्य को एक **ऐतिहासिक संस्था** माना जो **वर्ग-संघर्ष** के कारण उत्पन्न हुई है।

उनके अनुसार:

□ "**राज्य वह संस्था है जो एक वर्ग को दूसरे पर शासन करने की शक्ति देता है।**"

□ **राज्य के स्वरूप की मुख्य विशेषताएँ (मार्क्सवादी दृष्टिकोण से):**

1. □ **राज्य वर्ग-संघर्ष का परिणाम है:**

राज्य का जन्म तब हुआ जब समाज **वर्गों में विभाजित** हुआ:

□ एक वर्ग शोषक (पूंजीपति/धनिक),

□ दूसरा शोषित (मजदूर/प्रोलितारियत)।

- राज्य का स्वरूप तभी अस्तित्व में आया जब ****शोषण को बनाए रखने की आवश्यकता**** पड़ी।

2. □ ****राज्य - वर्ग शोषण का औजार (Instrument of Class Domination):****

राज्य का मुख्य उद्देश्य ****धनिक वर्ग के हितों की रक्षा**** करना और शोषित वर्ग को दबाना है।

3. □ ****राज्य की संस्थाएँ भी पक्षपाती हैं:**** न्यायपालिका, पुलिस, सेना, कानून, शिक्षा, मीडिया आदि संस्थाएँ ****पूंजीपति वर्ग की विचारधारा का प्रचार करती हैं**** और उनकी सत्ता को बनाए रखती हैं।

4. □ ****राज्य की अस्थायी प्रकृति:****

मार्क्स के अनुसार, ****राज्य स्थायी नहीं है****।

समाजवादी क्रांति के बाद, जब ****वर्गहीन समाज**** स्थापित हो जाएगा, तब राज्य की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

5. □ ****राज्य: निजी संपत्ति का रक्षक:**** राज्य का स्वरूप इस तरह बना है कि वह ****निजी संपत्ति**** (Means of Production) की रक्षा करता है और ****सामूहिक स्वामित्व**** का विरोध करता है।

6. □ ****राज्य - दमनकारी शक्ति (Repressive Apparatus):**** राज्य बल (Force) का प्रयोग करता है ताकि ****मजदूर वर्ग दबा रहे**** और ****सत्ता परिवर्तन न हो****।

□ ****मार्क्सवादी धारणा की आलोचना:**** 1. □ ****राज्य की भूमिका को अत्यधिक नकारात्मक बताया:****

राज्य केवल शोषण का माध्यम नहीं है; यह ****कानून, व्यवस्था, न्याय, शिक्षा और विकास**** का भी माध्यम है।

2. □ ****वर्गहीन समाज का आदर्श अव्यावहारिक:**** अब तक कोई भी पूर्ण वर्गहीन समाज ****स्थायी रूप से अस्तित्व में नहीं आ सका**** है।

3. □ ****राज्य के नैतिक व सांस्कृतिक पक्ष की उपेक्षा:**** यह सिद्धांत राज्य के ****नैतिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक पहलुओं**** को नज़रअंदाज़ करता है।

4. □ ****लोकतांत्रिक राज्यों में सत्ता परिवर्तन संभव है:****आज के लोकतांत्रिक समाज में सत्ता परिवर्तन ****शांतिपूर्ण ढंग से चुनावों द्वारा**** होता है, न कि केवल क्रांति से।

□ ****उदारवाद एवं मार्क्सवाद का तुलनात्मक अध्ययन****

□ ****परिचय:****उदारवाद (Liberalism)****** और ****मार्क्सवाद (Marxism)**** दोनों प्रमुख राजनीतिक विचारधाराएँ हैं, लेकिन इनकी मूल मान्यताएँ, उद्देश्य और राज्य की भूमिका को लेकर विचार एक-दूसरे से ****पूर्णतः भिन्न**** हैं।

एक ओर उदारवाद ****व्यक्ति की स्वतंत्रता, निजी संपत्ति और सीमित सरकार**** पर ज़ोर देता है, वहीं मार्क्सवाद ****सामूहिकता, वर्गहीन समाज और आर्थिक समानता**** को प्राथमिकता देता है।

□ ****तुलनात्मक अध्ययन:****

□ विषय	□ उदारवाद (Liberalism)	□
मार्क्सवाद (Marxism)		
-----	-----	-----

1. मूल विचार	व्यक्ति सर्वोपरि है	वर्ग संघर्ष
और शोषण की समाप्ति		
2. स्वतंत्रता	व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि	आर्थिक
समानता के बिना स्वतंत्रता निरर्थक		
3. राज्य की भूमिका	सीमित सरकार (रक्षक राज्य)	राज्य
शोषण का उपकरण है, जो अंततः खत्म होगा		
4. आर्थिक दृष्टिकोण	पूंजीवाद और मुक्त बाजार का समर्थन	पूंजीवाद
का विरोध, समाजवाद का समर्थन		
5. संपत्ति का अधिकार	निजी संपत्ति का अधिकार आवश्यक	निजी
संपत्ति वर्गभेद का मूल कारण		

| **6. समाज की दृष्टि** | समाज व्यक्तियों का संग्रह है | समाज का
आधार वर्ग-संघर्ष है |

| **7. सत्ता परिवर्तन** | लोकतांत्रिक चुनावों से | क्रांति द्वारा
(सशस्त्र संघर्ष) |

| **8. समानता का दृष्टिकोण** | अवसर की समानता |
परिणाम की समानता |

| **9. उद्देश्य** | व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा | वर्गहीन और
शोषणमुक्त समाज की स्थापना |

| **10. शिक्षा और संस्कृति** | स्वतंत्र विचार और बहुलता का समर्थन | विचारधारा
आधारित शिक्षा और संस्कृति |

□ **निष्कर्ष:** उदारवाद और मार्क्सवाद दोनों ने राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा
प्रभाव डाला है। उदारवाद ने लोकतंत्र, मानवाधिकार और विधिक शासन को बढ़ावा दिया,

□ जबकि **मार्क्सवाद** ने समाज में **आर्थिक असमानता, शोषण और वर्ग संघर्ष** के मुद्दों
को उजागर किया। हालाँकि दोनों के लक्ष्य सामाजिक न्याय ही हैं, लेकिन **उनके मार्ग और
दृष्टिकोण पूरी तरह भिन्न** हैं।

Chapter-7

राज्य के कार्य- उदारवादी विचार

उदारवाद

परिभाषा:**

उदारवाद** एक राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा है जो **व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, कानून का शासन, लोकतंत्र और मानवाधिकारों** में विश्वास रखती है।

यह राज्य को एक **सीमित शक्ति** मानती है, जिसका उद्देश्य **व्यक्ति की स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा** करना होता है।

□ **राज्य के कार्यों से संबंधित उदारवादी सिद्धांत**

□ **परिचय:****उदारवादी सिद्धांत** के अनुसार, राज्य का मुख्य उद्देश्य होता है –

□ **व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना**,

□ **न्याय की स्थापना करना**, और

□ **निजी संपत्ति की सुरक्षा करना।**

यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि **राज्य की शक्ति सीमित** होनी चाहिए ताकि वह नागरिकों की **स्वतंत्रता और अधिकारों** में हस्तक्षेप न करे।

□ **राज्य के कार्यों के संबंध में उदारवादी दृष्टिकोण:**

1. □ **न्यूनतम राज्य का सिद्धांत (Minimal State Theory):**

शास्त्रीय उदारवाद के अनुसार, राज्य केवल **तीन कार्यों** तक सीमित होना चाहिए:

1. आंतरिक शांति बनाए रखना (पुलिस व्यवस्था)

2. बाहरी सुरक्षा प्रदान करना (सेना)

3. न्याय का संचालन (न्यायपालिका)

2. □ **व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा:** राज्य को **अभिव्यक्ति, विचार, धर्म और जीवन के अधिकार** की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन इन पर नियंत्रण नहीं करना चाहिए।

3. □ **निजी संपत्ति की रक्षा:** उदारवाद के अनुसार **निजी संपत्ति एक मौलिक अधिकार** है, जिसकी रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है।

4. □ ****कानून का शासन (Rule of Law):****- राज्य को निष्पक्ष और समान रूप से ****कानून लागू करना**** चाहिए। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है।

5. □ ****प्रतिनिधि लोकतंत्र का संचालन:**** राज्य को लोकतांत्रिक तरीकों से चुनी गई सरकार के माध्यम से काम करना चाहिए, जो ****जनता के प्रति उत्तरदायी**** हो।

□ ****परंपरावादी उदारवादी राज्य के कार्य****

□ ****परिचय:****परंपरावादी उदारवाद**** (Classical Liberalism) 18वीं और 19वीं शताब्दी की वह विचारधारा है, जो राज्य को ****"रक्षक राज्य" (Protective State)**** मानती है।

इसका मानना है कि ****राज्य का कार्य सीमित**** होना चाहिए, ताकि ****व्यक्ति की स्वतंत्रता****, ****निजी संपत्ति****, और ****व्यक्तिगत अधिकारों**** की रक्षा की जा सके।

****मुख्य कार्य (Functions of Traditional Liberal State):****

1. ****आंतरिक व्यवस्था बनाए रखना (Law and Order):****

राज्य का पहला कार्य है ****देश के भीतर कानून व्यवस्था बनाए रखना****।

- इसके लिए पुलिस और न्याय व्यवस्था जरूरी है।

2. बाहरी सुरक्षा (External Security): ****राज्य का दूसरा कार्य है देश की सीमाओं की रक्षा करना****। इसके लिए सेना और रक्षा तंत्र की आवश्यकता होती है।

3. ****न्याय व्यवस्था और अधिकारों की रक्षा:**** नागरिकों के ****जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति**** की रक्षा करना। निष्पक्ष और स्वतंत्र ****न्यायपालिका**** का संचालन।

4. □ ****निजी संपत्ति की सुरक्षा:****- परंपरावादी उदारवाद के अनुसार, ****निजी संपत्ति पवित्र**** होती है, और उसकी सुरक्षा राज्य की जिम्मेदारी है।

5. □ ****समझौतों और अनुबंधों का क्रियान्वयन:**** राज्य को यह सुनिश्चित करना होता है कि ****व्यक्तिगत अनुबंधों का उल्लंघन न हो****। कानून के माध्यम से ****व्यवसायिक और नागरिक अनुबंधों की रक्षा**** की जाती है।

6. ****राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा:**** व्यक्ति को ****विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और संगठन**** की स्वतंत्रता मिले - राज्य इसे सुनिश्चित करे।

****राज्य को क्या नहीं करना चाहिए (परंपरावादी दृष्टिकोण):****

राज्य को ****शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गरीबी उन्मूलन**** जैसे कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

राज्य को ****बाज़ार व्यवस्था**** में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए (Free Market Economy)।

“राज्य सबसे अच्छा तब है जब वह सबसे कम शासन करता है।” - ****Herbert Spencer****

निष्कर्ष:****परंपरावादी उदारवादी राज्य**** केवल एक ****"न्यूनतम राज्य" (Minimal State)**** होता है, जो नागरिकों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और संपत्ति की रक्षा करता है।

यह राज्य को केवल ****निगरानी और रक्षक**** की भूमिका में देखता है, जबकि ****सामाजिक और आर्थिक कल्याण**** को राज्य का कार्य नहीं मानता।

****सकारात्मक उदारवाद के अनुसार राज्य के कार्य****

□ ****परिचय: सकारात्मक उदारवाद** (Positive Liberalism) को आधुनिक उदारवाद** (Modern Liberalism) भी कहा जाता है।**

यह 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में विकसित हुआ, जब यह महसूस किया गया कि केवल स्वतंत्रता देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ****सभी को समान अवसर और सुविधाएँ उपलब्ध कराना भी राज्य का कर्तव्य**** है।

यह राज्य को “कल्याणकारी राज्य” (Welfare State)**** के रूप में देखता है।**

****सकारात्मक उदारवाद के अनुसार राज्य के प्रमुख कार्य:****

1. ****सामाजिक एवं आर्थिक समानता की स्थापना:**** राज्य को समाज में ****वर्ग, जाति, लिंग और आर्थिक विषमता को कम**** करना चाहिए।
2. समान अवसर उपलब्ध कराना:****सभी नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार** जैसे क्षेत्रों में बराबर अवसर** मिलें, यह सुनिश्चित करना राज्य का कार्य है।**
3. □ ****शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था:**** राज्य को ****निःशुल्क या सस्ती शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ**** उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि हर नागरिक का समग्र विकास हो।
4. □ ****गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन:**** सामाजिक न्याय के लिए राज्य को ****कल्याणकारी योजनाएँ****, ****रोजगार कार्यक्रम****, और ****गरीबी-हटाओ अभियान**** चलाने चाहिए।

5. □ ****न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करना:****हर व्यक्ति को ****भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा**** मिलनी चाहिए।

6. □ ****बाज़ार का नियमन (Regulation of Market):**** मुक्त बाज़ार की असफलताओं (जैसे - महंगाई, बेरोजगारी, एकाधिकार) को नियंत्रित करने के लिए राज्य को ****आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप**** करना चाहिए।

7. □ ****महिलाओं, श्रमिकों और अल्पसंख्यकों का संरक्षण:**** राज्य को ****कमज़ोर वर्गों की रक्षा और सशक्तिकरण**** के लिए कानून और योजनाएँ बनानी चाहिए।

8. □ ****लोकतंत्र को सशक्त बनाना:****सकारात्मक उदारवाद राज्य से अपेक्षा करता है कि वह ****लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत**** करे और ****जनभागीदारी को बढ़ावा**** दे।

मुख्य अंतर - परंपरागत बनाम सकारात्मक उदारवाद:

विषय	परंपरागत उदारवाद	सकारात्मक उदारवाद
राज्य की भूमिका	सीमित (न्यूनतम हस्तक्षेप)	विस्तृत (सक्रिय भागीदारी)
दृष्टिकोण	"राज्य हस्तक्षेप न करे"	"राज्य हस्तक्षेप करे जहां ज़रूरी हो"
मुख्य उद्देश्य	स्वतंत्रता की रक्षा	समानता और कल्याण की स्थापना
□ **निष्कर्ष:** सकारात्मक उदारवाद व्यक्ति को केवल स्वतंत्रता नहीं, बल्कि **उस स्वतंत्रता का वास्तविक उपयोग करने के साधन** भी प्रदान करने की बात करता है।		

Chapter -8

राज्य के कार्य- समाजवादी विचार

समाजवाद की प्रमुख विशेषताएँ

परिचय:समाजवाद (Socialism)** एक ऐसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा है, जो समाज में ****समानता, सामाजिक न्याय और संसाधनों के समान वितरण**** पर बल देती है।

इसका मूल उद्देश्य है - **शोषणविहीन, वर्गहीन और समान अवसरों वाला समाज** बनाना।

समाजवाद की प्रमुख विशेषताएँ:

1. □ **सामूहिक स्वामित्व (Collective Ownership):** समाजवाद में **उत्पादन के साधनों (भूमि, उद्योग, बैंक, खनिज आदि)** का स्वामित्व **राज्य या समाज के पास** होता है, न कि निजी व्यक्तियों के पास।
2. □ **आर्थिक समानता (Economic Equality):** समाजवाद **धन और संसाधनों के समान वितरण** को प्राथमिकता देता है ताकि **गरीबी और अमीरी का अंतर** कम किया जा सके।
3. □ **वर्गविहीन समाज (Classless Society):** इसका उद्देश्य ऐसा समाज बनाना है जहाँ **शोषक और शोषित वर्ग** न हों, सभी लोग **समान दर्जे** के हों।
4. □ **राज्य का नियमन (State Control):** आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में राज्य **नियंत्रण और नियोजन** करता है, ताकि समाज का समुचित विकास हो।
5. □ **सामाजिक न्याय (Social Justice):** सभी को **शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और सम्मानजनक जीवन** का समान अधिकार मिलना चाहिए।
6. □ **नियोजित अर्थव्यवस्था (Planned Economy):** समाजवादी व्यवस्था में **राज्य द्वारा योजनाएँ बनाई जाती हैं** (जैसे: पंचवर्षीय योजनाएँ) ताकि आर्थिक संसाधनों का **सही उपयोग** हो सके।
7. □ **समान अवसर की व्यवस्था:** सभी नागरिकों को जीवन के हर क्षेत्र में **समान अवसर** दिए जाते हैं - चाहे वह शिक्षा हो, रोजगार हो या राजनीति।
8. □ **नैतिक मूल्यों का समर्थन:** समाजवाद **सहयोग, बंधुत्व, परोपकार, और मानवता** जैसे मूल्यों को बढ़ावा देता है।
9. □ **शोषण का विरोध:** समाजवाद हर प्रकार के **आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण** का विरोध करता है □ **निष्कर्ष:** समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो **समानता, सामाजिक न्याय और सामूहिक कल्याण** को प्राथमिकता देती है। यह पूंजीवाद की तरह **स्वार्थ और प्रतियोगिता** पर नहीं, बल्कि **सहयोग और समानता** पर आधारित होती है। समाजवाद का उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना है जहाँ **हर व्यक्ति गरिमा, समानता और अवसरों के साथ जीवन जी सके**।

पूंजीपति समाज में राज्य के कार्य**

****परिचय:**** पूंजीवादी समाज (Capitalist Society) एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ ****उत्पादन के साधनों**** (जैसे भूमि, कारखाने, मशीनें आदि) का स्वामित्व ****निजी व्यक्तियों**** के पास होता है और लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य होता है। इस व्यवस्था में ****राज्य का कार्य**** सीमित माना जाता है, लेकिन वह ****पूंजीवाद को बनाए रखने और संचालित करने**** के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

पूंजीपति समाज में राज्य के प्रमुख कार्य:**

1. ****निजी संपत्ति की रक्षा:**** राज्य का प्रमुख कार्य है ****व्यक्तियों की संपत्ति की कानूनी सुरक्षा करना****।

- पूंजीवादी समाज में संपत्ति का अधिकार ****मौलिक और सर्वोच्च**** माना जाता है।

2. ****कानून और व्यवस्था बनाए रखना:**** राज्य समाज में ****कानून व्यवस्था बनाए रखता है****, ताकि व्यापार और उद्योग निर्बाध चल सकें। पुलिस, अदालतें और दंड प्रणाली को सक्रिय रखा जाता है।

3. □ ****बाज़ार व्यवस्था को बनाए रखना (Market Regulation):**** पूंजीवाद में खुला बाजार होता है, लेकिन कभी-कभी राज्य ****मूल्य नियंत्रण, कर नीति, और प्रतियोगिता कानूनों**** द्वारा हस्तक्षेप करता है।

4. □ ****व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा:**** राज्य ****व्यक्तिगत अधिकारों**** जैसे - अभिव्यक्ति, व्यवसाय, संपत्ति और धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा करता है।

5. □ ****समझौतों और अनुबंधों को वैध बनाना:**** व्यापारिक अनुबंधों, सौदों और लेन-देन को ****कानूनी वैधता और सुरक्षा**** प्रदान करना।

6. □ ****श्रम और पूंजी के बीच संतुलन बनाए रखना (जब आवश्यक हो):**** राज्य कभी-कभी ****श्रम कानूनों****, ****न्यूनतम वेतन****, या ****श्रमिक सुरक्षा**** के माध्यम से हस्तक्षेप करता है, परंतु संतुलन बनाए रखता है ताकि पूंजीपति वर्ग का हित भी बना रहे।

7. □ ****बुनियादी सेवाओं का प्रावधान:**** परिवहन, बिजली, संचार, और सीमित शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना (विशेष रूप से जब निजी क्षेत्र रुचि न ले)।

****मार्क्सवादी दृष्टिकोण से आलोचना:****

मार्क्सवादी विचारकों के अनुसार: * पूंजीपति समाज में राज्य एक **"शोषक वर्ग" (पूंजीपति वर्ग)** का उपकरण होता है। * राज्य का कार्य **मजदूरों को दबाना** और **पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करना** होता है। * राज्य **सामाजिक असमानता और शोषण** को बनाए रखने में भूमिका निभाता है।

□ **निष्कर्ष:** * पूंजीपति समाज में राज्य** का कार्य मुख्यतः **निजी संपत्ति की रक्षा, व्यापार को प्रोत्साहन, और कानून व्यवस्था बनाए रखने** तक सीमित होता है।

हालांकि कुछ मामलों में राज्य सामाजिक सेवाओं और श्रमिक कल्याण में भी भागीदारी करता है, फिर भी उसका प्राथमिक झुकाव **पूंजीवादी ढांचे को सुरक्षित रखने** की ओर होता है।

□ **पूंजीपति समाज में राज्य के कार्य**

□ **परिचय:** * पूंजीवादी समाज (Capitalist Society)** एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ **उत्पादन के साधनों** (जैसे भूमि, कारखाने, मशीनें आदि) का स्वामित्व **निजी व्यक्तियों** के पास होता है और लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य होता है। इस व्यवस्था में **राज्य का कार्य** सीमित माना जाता है, लेकिन वह **पूंजीवाद को बनाए रखने और संचालित करने** के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

पूंजीपति समाज में राज्य के प्रमुख कार्य:

1. □ **निजी संपत्ति की रक्षा:** * राज्य का प्रमुख कार्य है **व्यक्तियों की संपत्ति की कानूनी सुरक्षा करना**।

- पूंजीवादी समाज में संपत्ति का अधिकार **मौलिक और सर्वोच्च** माना जाता है।

2. □ **कानून और व्यवस्था बनाए रखना:** * राज्य समाज में **कानून व्यवस्था बनाए रखता है**, ताकि व्यापार और उद्योग निर्बाध चल सकें।

- पुलिस, अदालतें और दंड प्रणाली को सक्रिय रखा जाता है।

3. □ **बाजार व्यवस्था को बनाए रखना (Market Regulation):** * पूंजीवाद में खुला बाजार होता है, लेकिन कभी-कभी राज्य **मूल्य नियंत्रण, कर नीति, और प्रतियोगिता कानूनों** द्वारा हस्तक्षेप करता है।

4. □ **व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा:** * राज्य **व्यक्तिगत अधिकारों** जैसे - अभिव्यक्ति, व्यवसाय, संपत्ति और धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा करता है।

5. □ ****समझौतों और अनुबंधों को वैध बनाना:**** व्यापारिक अनुबंधों, सौदों और लेन-देन को ****कानूनी वैधता और सुरक्षा**** प्रदान करना।

6. □ ****श्रम और पूंजी के बीच संतुलन बनाए रखना (जब आवश्यक हो):****

- राज्य कभी-कभी ****श्रम कानूनों****, ****न्यूनतम वेतन****, या ****श्रमिक सुरक्षा**** के माध्यम से हस्तक्षेप करता है, परंतु संतुलन बनाए रखता है ताकि पूंजीपति वर्ग का हित भी बना रहे।

7. □ ****बुनियादी सेवाओं का प्रावधान:**** परिवहन, बिजली, संचार, और सीमित शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना (विशेष रूप से जब निजी क्षेत्र रुचि न ले)।

****मार्क्सवादी दृष्टिकोण से आलोचना:****

मार्क्सवादी विचारकों के अनुसार:

* पूंजीपति समाज में राज्य एक ****"शोषक वर्ग" (पूंजीपति वर्ग)**** का उपकरण होता है।

* राज्य का कार्य ****मजदूरों को दबाना**** और ****पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करना**** होता है।

* राज्य ****सामाजिक असमानता और शोषण**** को बनाए रखने में भूमिका निभाता है।

□ ****निष्कर्ष:**** ****पूंजीपति समाज में राज्य**** का कार्य मुख्यतः ****निजी संपत्ति की रक्षा, व्यापार को प्रोत्साहन, और कानून व्यवस्था बनाए रखने**** तक सीमित होता है।

हालांकि कुछ मामलों में राज्य सामाजिक सेवाओं और श्रमिक कल्याण में भी भागीदारी करता है, फिर भी उसका प्राथमिक झुकाव ****पूंजीवादी ढांचे को सुरक्षित रखने**** की ओर होता है।

Chapter - 9

कल्याणकारी राज्य: धारणा एवं कार्य

****कल्याणकारी राज्य (Welfare State)**** की अवधारणा एक ऐसे राज्य की है, जो अपने नागरिकों की भलाई, सामाजिक न्याय, और समृद्धि के लिए सक्रिय रूप से कार्य करता है। इस राज्य का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना, उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, और अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं प्रदान करना है।

****कल्याणकारी राज्य (Welfare State)**** की अवधारणा एक ऐसे राज्य की है, जो अपने नागरिकों की भलाई, सामाजिक न्याय, और समृद्धि के लिए सक्रिय रूप से कार्य करता है। इस

राज्य का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना, उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, और अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं प्रदान करना है।

कल्याणकारी राज्य की भूमिका निम्नलिखित पहलुओं में होती है:

1. ****सामाजिक सुरक्षा****: * कल्याणकारी राज्य गरीबों, विकलांगों, वृद्धों, और अनाथों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनाता है। यह उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करता है।
2. ****शिक्षा और स्वास्थ्य****: * राज्य शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सभी नागरिकों के लिए सुलभ और सस्ती बनाता है। यह गरीब वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने और स्वस्थ जीवन जीने के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराता है।
3. ****आर्थिक समानता****: * कल्याणकारी राज्य में समाज में आर्थिक असमानता को कम करने के लिए नीति बनाई जाती है। यह उच्च आय वर्ग से कर वसूलता है और गरीबों को वित्तीय सहायता या सब्सिडी प्रदान करता है।
4. ****न्यायपूर्ण वितरण****: * कल्याणकारी राज्य यह सुनिश्चित करता है कि संसाधनों का वितरण न्यायपूर्ण तरीके से किया जाए। इसके तहत, राज्य गरीब और हाशिए पर पड़े वर्गों को विशेष लाभ देता है।
5. ****बेरोजगारी और गरीबी उन्मूलन****: * कल्याणकारी राज्य बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने के लिए रोजगार सृजन के उपाय करता है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए सरकारी योजनाएं और सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
6. ****मानवाधिकार की रक्षा****: * यह राज्य नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करता है, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, और बराबरी का अधिकार।
7. ****सामाजिक समरसता****: कल्याणकारी राज्य विभिन्न जातियों, धर्मों, और समुदायों के बीच समानता और एकता को बढ़ावा देता है। यह किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में काम करता है।

भारत में कल्याणकारी राज्य की भूमिका: भारत में, संविधान ने "कल्याणकारी राज्य" की अवधारणा को स्वीकार किया है। भारतीय राज्य ने कई योजनाओं और नीतियों के माध्यम से अपनी भूमिका निभाई है, जैसे:

* ****महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA)****

* **आधार योजना** (Identifying citizens for social benefits)

* **स्वास्थ्य योजनाएं** (जैसे आयुष्मान भारत)

* **शिक्षा के लिए योजनाएं** (जैसे सरकारी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा)

यह राज्य की जिम्मेदारी होती है कि वह समाज के प्रत्येक नागरिक की बुनियादी जरूरतों को पूरा करे और सामाजिक, राजनीतिक, और आर्थिक रूप से उन्हें समान अवसर प्रदान करे।

****लोक कल्याणकारी राज्य (Welfare State)**** का मुख्य उद्देश्य समाज के हर वर्ग, विशेष रूप से गरीब, असहाय, और हाशिए पर पड़े नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य सिर्फ नागरिकों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता, और समृद्धि को भी बढ़ावा देना है। इसके तहत राज्य को समाज के हर व्यक्ति के लिए बुनियादी सुविधाएँ और अवसर प्रदान करने की जिम्मेदारी होती है।

****लोक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य****:

1. ****सामाजिक न्याय और समानता****: * लोक कल्याणकारी राज्य का प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक न्याय को स्थापित करना है। इसमें विशेष रूप से कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, महिलाएँ, बच्चे, वृद्ध, और विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर और अधिकार देना शामिल है।

* यह समाज में असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करता है, ताकि हर व्यक्ति को समान अवसर मिल सके, चाहे उसकी जाति, धर्म, लिंग, या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो।

2. ****सामाजिक सुरक्षा और सहायता****: लोक कल्याणकारी राज्य यह सुनिश्चित करता है कि समाज के गरीब और असहाय लोग गरीबी, बेरोज़गारी, विकलांगता, वृद्धावस्था या किसी भी अन्य कारण से मदद से वंचित न हों। इसके लिए विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ लागू की जाती हैं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, मुआवजा योजनाएँ, और अनाथों के लिए विशेष योजनाएँ।

3. ****शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार**** लोक कल्याणकारी राज्य यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हों, चाहे वे किसी भी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि से हों। * राज्य निःशुल्क और सस्ती शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, और आवश्यक दवाइयाँ प्रदान करता है ताकि हर नागरिक को जीवन की बुनियादी सुविधाएँ मिल सकें।

4. ****रोजगार सृजन****: * कल्याणकारी राज्य आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए रोजगार सृजन की नीतियाँ बनाता है। यह बेरोज़गारी की समस्या को हल करने के लिए सरकारी योजनाओं के माध्यम से नौकरी के अवसर प्रदान करता है। * जैसे भारत में *MGNREGA (महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना)* के तहत ग्रामीण इलाकों में रोजगार की गारंटी दी जाती है।

5. ****आर्थिक समृद्धि और विकास****: * लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य केवल नागरिकों के कल्याण तक सीमित नहीं रहता, बल्कि राज्य यह भी सुनिश्चित करता है कि समाज के सभी वर्गों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनने के अवसर मिलें। इसके लिए औद्योगिकीकरण, बुनियादी ढांचे का विकास, और कृषि विकास जैसी नीतियाँ बनाई जाती हैं।

6. ****बेरोज़गारी और गरीबी उन्मूलन****: * कल्याणकारी राज्य बेरोज़गारी और गरीबी को समाप्त करने के लिए सामाजिक, आर्थिक और कानूनी उपाय अपनाता है। यह गरीबों को सस्ती खाद्य सामग्री, आवास, और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करता है। * सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करती है।

7. ****मानवाधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा****: * लोक कल्याणकारी राज्य यह सुनिश्चित करता है कि उसके नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की पूरी तरह से रक्षा हो। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, और समानता का अधिकार शामिल है।

* यह किसी भी प्रकार के भेदभाव, अत्याचार या दमन के खिलाफ काम करता है।

8. ****सामाजिक समरसता और एकता****: * कल्याणकारी राज्य समाज में विविधताओं के बावजूद एकता और समरसता बनाए रखने का प्रयास करता है। यह विभिन्न धर्मों, जातियों, और संस्कृतियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में कार्य करता है।

9. ****न्यायपूर्ण संसाधन वितरण****: * लोक कल्याणकारी राज्य सुनिश्चित करता है कि संसाधनों का वितरण न्यायपूर्ण तरीके से हो, ताकि समाज के हर वर्ग को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संसाधन मिल सकें। यह असमानताओं को कम करने के लिए वित्तीय और भौतिक संसाधनों का समान वितरण करता है।

राज्य के ****आवश्यक कार्य**** निम्नलिखित हैं:

1. ****कानून और व्यवस्था बनाए रखना (Law and Order)****: राज्य का प्रमुख कार्य कानून और व्यवस्था को बनाए रखना है, ताकि समाज में शांति और सुरक्षा बनी रहे। इसके तहत

अपराधों को रोकना, कानूनों का पालन करवाना, और हिंसा या असहमति की स्थिति में त्वरित कार्रवाई करना शामिल है।

* पुलिस, न्यायपालिका, और अन्य सुरक्षा एजेंसियाँ राज्य की इस जिम्मेदारी को निभाती हैं।

2. **सामाजिक न्याय और समानता (Social Justice and Equality)**

* राज्य का एक महत्वपूर्ण कार्य सामाजिक असमानताओं को कम करना और हर नागरिक को समान अवसर प्रदान करना है। यह सभी के लिए न्यायपूर्ण समाज सुनिश्चित करता है, जिसमें किसी भी तरह का भेदभाव (जाति, धर्म, लिंग, आदि) न हो।

* राज्य को यह सुनिश्चित करना होता है कि समाज के कमजोर वर्गों (जैसे महिलाएं, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ) को विशेष ध्यान दिया जाए और उन्हें समान अधिकार मिले।

3. **रक्षा और सुरक्षा (Defense and Security)*** राज्य की जिम्मेदारी होती है कि वह देश की सीमा की रक्षा करे और नागरिकों को आंतरिक और बाहरी खतरों से सुरक्षित रखे। इसके लिए राज्य सेना, पुलिस, और खुफिया एजेंसियाँ स्थापित करता है।

* राज्य का यह कार्य सुनिश्चित करता है कि देश पर कोई बाहरी आक्रमण न हो और आंतरिक असंतोष या विद्रोह पर काबू पाया जा सके।

4. **सामाजिक और आर्थिक कल्याण (Social and Economic Welfare)*** राज्य नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए नीतियाँ और योजनाएँ बनाता है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, और गरीबी उन्मूलन जैसी पहल शामिल हैं।* राज्य को यह सुनिश्चित करना होता है कि हर नागरिक को बुनियादी सुविधाएँ प्राप्त हों, जैसे कि स्वास्थ्य सेवाएँ, शैक्षिक अवसर, रोजगार और आवास।

5. **विकास और बुनियादी ढांचे का निर्माण (Development and Infrastructure)**

* राज्य को देश के विकास के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना होता है, जैसे सड़कें, पुल, रेल, जल आपूर्ति, बिजली, आदि।

* इसके साथ ही, राज्य औद्योगिकीकरण, कृषि विकास, और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश करके राष्ट्रीय विकास सुनिश्चित करता है।

6. **कर वसूली और वित्तीय प्रबंधन (Tax Collection and Financial Management)**

राज्य को विभिन्न प्रकार के करों (आयकर, वैट, उत्पाद शुल्क, आदि) के माध्यम से राजस्व इकट्ठा करना होता है, जिसे विभिन्न सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों में खर्च किया जाता है। इसके साथ ही, राज्य को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन सही तरीके से हो और भ्रष्टाचार से बचा जाए।

7. ****स्वास्थ्य और शिक्षा (Health and Education)**** राज्य की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने नागरिकों के लिए उचित स्वास्थ्य सेवाएँ और शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

* राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली (जैसे अस्पताल, क्लिनिक) और सरकारी स्कूलों/कॉलेजों के माध्यम से यह कार्य करता है।

8. ****न्याय प्रणाली (Judiciary System)**** राज्य को यह सुनिश्चित करना होता है कि कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। इसके लिए न्यायपालिका का गठन किया जाता है, जो न्याय प्रदान करता है और राज्य के कानूनों की व्याख्या करता है।

* यह भी सुनिश्चित करता है कि किसी भी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन न हो।

9. ****प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण (Conservation of Natural Resources)**** राज्य का कार्य प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जंगल, और खनिजों का संरक्षण करना है, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी इनका उपयोग कर सकें।* यह पर्यावरणीय संकटों (जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण) से निपटने के लिए नीतियाँ बनाता है और सुनिश्चित करता है कि संसाधनों का शोषण न हो।

10. ****विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध (Foreign Policy and International Relations)**** राज्य का कार्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को व्यवस्थित करना और देश के हितों का संरक्षण करना होता है। इसके लिए विदेश मंत्रालय, कूटनीति, और राजनयिक मिशन बनाए जाते हैं।

* राज्य विदेशों के साथ व्यापार समझौतों, रक्षा समझौतों और अन्य द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देता है।

11. ****संविधान और विधायिका का पालन (Constitution and Legislative Process)****

* राज्य का यह कार्य है कि वह संविधान के अनुसार शासन चलाए। विधायिका (संसद या विधानसभा) के माध्यम से कानून बनाना और इन कानूनों का पालन सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी होती है।

* इसके तहत नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों का पालन किया जाता है।

12. **भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर नियंत्रण (Anti-Corruption and Regulation)**

* राज्य का यह कार्य होता है कि वह भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अनियमितताओं को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी नीतियाँ बनाए।

* इसके लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियाँ और पारदर्शिता तंत्र बनाए जाते हैं, ताकि सार्वजनिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग हो।

****राज्य के कल्याणकारी कार्य**** वे कार्य हैं जिनका मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर और असहाय वर्गों की भलाई सुनिश्चित करना है। एक ****कल्याणकारी राज्य**** का उद्देश्य न केवल नागरिकों को उनके अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करना होता है, बल्कि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना भी होता है। यह सुनिश्चित करता है कि समाज के हर नागरिक को बुनियादी आवश्यकताएँ, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, और रोजगार, उपलब्ध हों।

****राज्य के प्रमुख कल्याणकारी कार्य****:

1. ****सामाजिक सुरक्षा (Social Security)****

* उदाहरण: ****वृद्धावस्था पेंशन****, ****आधार कार्ड के माध्यम से पहचान****, ****विकलांगता पेंशन****, और ****मध्यम वर्ग के लिए सस्ते ऋण****।

2. ****स्वास्थ्य सेवाएं (Health Services)**** राज्य यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को ****सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं**** प्राप्त हों। इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, अस्पताल, टीकाकरण, और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है।

* उदाहरण: ****आयुष्मान भारत योजना**** (जिसके तहत गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है), ****राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन**** आदि।

3. ****शिक्षा का विस्तार (Promotion of Education)****

* राज्य यह सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक को शिक्षा का अधिकार मिले और विशेष रूप से **गरीब बच्चों को शिक्षा के अवसर** प्रदान करता है। यह **निःशुल्क शिक्षा**, **विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप** और **वित्तीय सहायता** प्रदान करता है।

* उदाहरण: **भारत सरकार की स्वच्छ भारत अभियान**, **राशन कार्ड द्वारा बच्चों के लिए शिक्षा योजनाएँ**, **मिड-डे मील योजना**, आदि।

4. **गरीबी उन्मूलन (Poverty Alleviation)** राज्य गरीबों की स्थिति सुधारने के लिए विभिन्न योजनाएँ बनाता है और **न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी** देता है। यह सरकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों को **मूलभूत सुविधाएँ** प्रदान करता है और उन्हें **आर्थिक मदद** करता है।

* उदाहरण: **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA)**, **प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)**, **उज्जवला योजना** (जो गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान करती है)।

5. **रोजगार सृजन (Employment Generation)**

* राज्य यह सुनिश्चित करता है कि बेरोजगार नागरिकों को रोजगार मिल सके। इसके लिए राज्य **विभिन्न रोजगार योजनाएँ** लागू करता है और **स्व-रोजगार के अवसर** प्रदान करता है।

* उदाहरण: **प्रधानमंत्री रोजगार योजना**, **स्वनिधि योजना**, और **स्टार्टअप इंडिया** जैसी योजनाएँ रोजगार सृजन के लिए राज्य के कल्याणकारी कार्यों का हिस्सा हैं।

6. **न्याय प्रणाली का विस्तार (Expansion of Judicial System)** राज्य न्याय की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए **सस्ती और तेज़ न्यायिक प्रक्रिया** अपनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को न्याय मिल सके, विशेषकर उन लोगों को जो गरीब और हाशिए पर हैं।

* उदाहरण: **लोक अदालतें**, **न्यायालयों में सस्ती सेवाएँ**, और **न्यायिक साक्षरता अभियान**।

7. **भ्रष्टाचार पर नियंत्रण (Control of Corruption)** राज्य भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए **पारदर्शिता और जवाबदेही** की व्यवस्था करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी

योजनाओं और संसाधनों का सही तरीके से उपयोग हो, ताकि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी नागरिकों को मिले।

* उदाहरण: **RTI (Right to Information)** कानून, **सीबीआई (CBI)** और **एंटी करप्शन ऑफिस** जैसी संस्थाओं द्वारा भ्रष्टाचार पर नियंत्रण।

8. **नारी सशक्तिकरण (Women Empowerment)** राज्य महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें समान अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न कल्याणकारी कार्य करता है। इसमें **शिक्षा, सुरक्षा, और रोजगार के अवसर** शामिल होते हैं।

* उदाहरण: **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना**, **महिला अधिकार और सुरक्षा कानून**, **महिला उद्यमिता योजनाएँ**, आदि।

9. **कृषि और ग्रामीण विकास (Agriculture and Rural Development)**

* राज्य किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष योजनाएँ बनाता है, ताकि कृषि उत्पादन बढ़े और ग्रामीण क्षेत्र के लोग बेहतर जीवन जी सकें। इसमें **कृषि सब्सिडी, बीमा योजनाएँ**, और **सिंचाई सुविधाओं का विस्तार** शामिल है।

* उदाहरण: **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना**, **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)**, और **कृषि ऋण योजनाएँ**।

10. **पारिवारिक कल्याण और बच्चों के अधिकार (Family Welfare and Child Rights)**

* राज्य बच्चों और परिवारों के कल्याण के लिए योजनाएँ लागू करता है, जिससे बच्चों को शिक्षा, पोषण, और सुरक्षा मिल सके। इसके साथ ही **बाल श्रम पर रोक**, **शादी की उम्र** और **बालकों के अधिकारों की रक्षा** की जाती है।* उदाहरण: **राष्ट्रीय बाल कल्याण योजना**, **पोषण अभियान**, और **बाल संरक्षण कार्यक्रम**।

11. **आवास योजना (Housing Schemes)** राज्य यह सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक के पास उचित और सस्ता आवास हो, खासकर गरीबों और बेघर लोगों के लिए। इसके लिए कई **आवास योजनाएँ** बनाई जाती हैं।

* उदाहरण: **प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)**, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबों को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

12. **प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण (Conservation of Natural Resources)**

* राज्य प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जंगल और भूमि का संरक्षण करता है और यह सुनिश्चित करता है कि उनका प्रयोग वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे।

* उदाहरण: **जल जीवन मिशन**, **वृक्षारोपण अभियान**, और **पानी संरक्षण कार्यक्रम**।

राज्य के विकासकारी कार्य वे कार्य हैं जिनका मुख्य उद्देश्य समाज, राष्ट्र और राज्य के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। ये कार्य न केवल नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करते हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे, औद्योगिकीकरण, और सामाजिक प्रगति के लिए भी अहम होते हैं। राज्य के विकासकारी कार्यों का उद्देश्य दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि, सामाजिक समृद्धि और नागरिकों की समग्र भलाई को बढ़ावा देना होता है।

राज्य के विकासकारी कार्य: 1. आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण (Economic Development and Industrialization) राज्य का कार्य **आर्थिक वृद्धि** को बढ़ावा देना और औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करना होता है। इसके लिए राज्य निवेश, वित्तीय नीति, और उधारी का इस्तेमाल करता है। इसके तहत बड़े उद्योगों के लिए प्रोत्साहन, छोटे और मझोले उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता, और तकनीकी नवाचार की नीतियाँ बनाई जाती हैं।

* उदाहरण: **मेक इन इंडिया**, **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना**।

2. बुनियादी ढांचे का निर्माण (Infrastructure Development)

राज्य का एक महत्वपूर्ण कार्य है **सड़क, पुल, रेल, हवाई अड्डे, बंदरगाह, और जल आपूर्ति** जैसी बुनियादी संरचनाओं का निर्माण करना। इनका उद्देश्य न केवल नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ प्रदान करना है, बल्कि व्यापार और अर्थव्यवस्था के विकास को भी समर्थन देना है।

* उदाहरण: **भारतमाला परियोजना**, **सागरमाला योजना**, **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)**।

3. **शिक्षा और कौशल विकास (Education and Skill Development)** राज्य का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, ताकि देश में **मानव संसाधन का विकास** हो सके। इसके तहत **स्कूल, विश्वविद्यालय, और तकनीकी संस्थान** का विस्तार और **कौशल प्रशिक्षण केंद्र** स्थापित किए जाते हैं।

* उदाहरण: **स्वयं पोर्टल**, **राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (NSDM)**, **स्मार्ट क्लासरूम और ई-लर्निंग प्लेटफार्म**।

4. **स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं (Healthcare and Medical Services)** राज्य के विकासकारी कार्यों में **स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार और विस्तार** भी शामिल है। इसका उद्देश्य नागरिकों को **सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं** प्रदान करना है। इसके अंतर्गत **अस्पतालों का निर्माण**, **टीकाकरण अभियान**, और **स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ** शामिल हैं। उदाहरण: **आयुष्मान भारत योजना**, **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन**, **राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम**।

5. **न्याय और विधायिका (Judiciary and Legislative Reforms)** राज्य को न्याय प्रणाली को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए विधायिका और न्यायपालिका के सुधार की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक को समय पर न्याय मिले और कानून के शासन का पालन हो।

* उदाहरण: **लोक अदालतें**, **न्यायालयों में सुधार**, **न्याय की उपलब्धता और सस्ती न्यायिक सेवाएँ**।

6. **कृषि सुधार (Agricultural Reforms)** राज्य कृषि क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएँ बनाता है, ताकि किसानों की आय बढ़े, कृषि उत्पादकता में सुधार हो, और **सतत कृषि** प्रथाएँ प्रचलित हों।* उदाहरण: **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना**, **मृदा स्वास्थ्य कार्ड**, **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)**।

7. **विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science and Technology Development)**

राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में **नवाचार और अनुसंधान** को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य देश में **उद्योगों का आधुनिकीकरण** करना और **नई तकनीकी विकास** को अपनाना है। उदाहरण: **आधिकारिक डिजिटल इंडिया कार्यक्रम**, **मेक इन इंडिया - टेक्नोलॉजी क्षेत्र**।

8. **विकसित परिवहन प्रणाली (Transportation System)** राज्य का कार्य **प्रभावी परिवहन नेटवर्क** विकसित करना है, जिससे सामान और व्यक्तियों की आवाजाही सुगम हो सके। इसमें **रेलवे, मेट्रो, सड़क परिवहन, और हवाई यातायात** का विस्तार शामिल है।* उदाहरण: **मेट्रो परियोजना**, **दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर**, **नेशनल हाइवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट**।

9. **सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ (Social Security Schemes)** राज्य को अपने नागरिकों को **सामाजिक सुरक्षा** देने के लिए विभिन्न योजनाएँ बनानी होती हैं, जैसे **पेंशन**

योजनाएँ**, **बीमा योजनाएँ**, और **सांसद निधि**। उदाहरण: **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना**, **प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना**, **मुद्रा योजना**।

10. **सार्वजनिक उपक्रमों का विकास (Development of Public Enterprises)**

राज्य सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) को बढ़ावा देता है ताकि वह राष्ट्रीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सकें और **आर्थिक विकास** में योगदान कर सकें। उदाहरण: **भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL)**, **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)**, **भारत पेट्रोलियम**।

11. **पर्यावरण संरक्षण (Environmental Protection)** राज्य **प्राकृतिक संसाधनों** और **पर्यावरण** की रक्षा के लिए नीति बनाता है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को प्राकृतिक संसाधनों की कमी का सामना न करना पड़े।

* उदाहरण: **राष्ट्रीय जल जीवन मिशन**, **पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना**, **वृक्षारोपण अभियान**।

12. **विदेश नीति और व्यापार (Foreign Policy and Trade Relations)**

राज्य के विकास के लिए **अंतर्राष्ट्रीय संबंध** और **व्यापारिक संबंध** बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसका उद्देश्य विदेशी निवेश आकर्षित करना, व्यापार समझौते करना और अन्य देशों के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए रखना होता है। उदाहरण: **विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते**, **विदेशी निवेश संवर्धन नीति**, **डिजिटल और व्यापार संवाद**।

13. **वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion)**

राज्य वित्तीय सेवाओं का विस्तार करता है, ताकि हर नागरिक को **बैंक खाता**, **बीमा योजना**, और **सस्ती वित्तीय सहायता** प्राप्त हो सके। उदाहरण: **जन धन योजना**, **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना**, **बीमा योजना**।

14. **स्मार्ट शहरों का विकास (Smart Cities Development)** राज्य स्मार्ट शहरों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सेवाएँ, और पर्यावरण अनुकूल सुविधाएँ शामिल होती हैं। उदाहरण: **प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटी मिशन**, **कचरा प्रबंधन, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) का उपयोग**।

कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की अवधारणा, जिसे 20वीं शताब्दी के मध्य में प्रमुखता प्राप्त हुई, ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए सरकारी सहायता और कल्याणकारी

उपायों के माध्यम से समृद्धि और समानता की दिशा में काम किया। हालांकि, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ने कई सकारात्मक बदलावों की शुरुआत की, इसके सिद्धांतों और कार्यों की आलोचना भी की गई है। आलोचना मुख्य रूप से इसके ****आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, और प्रशासनिक प्रभाव**** पर केंद्रित रही है।

****कल्याणकारी राज्य के सिद्धांतों की आलोचना****:

1. ****आर्थिक बोझ और संसाधनों की कमी (Economic Burden and Resource Drain)**आलोचना****: कल्याणकारी राज्य के सिद्धांतों के अनुसार, राज्य को अपनी सामाजिक कल्याण योजनाओं को वित्तीय रूप से समर्थन देने के लिए उच्च करों (taxes) की आवश्यकता होती है। इन उच्च करों से सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ता है, और यह आर्थिक विकास की गति को धीमा कर सकता है। इसके अलावा, कल्याणकारी योजनाओं का निष्पादन प्रशासनिक स्तर पर महंगा हो सकता है।**उदाहरण****: उच्च करों के कारण निजी क्षेत्र पर दबाव बढ़ता है, जिससे निवेश में कमी आ सकती है। यह स्थिति ****व्यापार और उद्योगों के लिए हानिकारक**** हो सकती है, क्योंकि उद्योगों को लाभकारी तरीके से काम करने के लिए कम संसाधन मिलते हैं।
2. ****नैतिक खतरा (Moral Hazard)**आलोचना****: कल्याणकारी राज्य के सिद्धांतों के तहत, सरकार नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सहायता (जैसे बेरोजगारी भत्ता, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन) प्रदान करती है। इस स्थिति को ****नैतिक खतरा (moral hazard)**** कहा जाता है, जिसमें लोग अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए सरकारी सहायता पर निर्भर हो सकते हैं।**उदाहरण****: यदि लोग यह मान लें कि सरकार हमेशा उनकी मदद करेगी, तो वे अपनी मेहनत, आत्मनिर्भरता, और उत्पादकता में कमी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार हर स्थिति में उनकी मदद करेगी।
3. ****व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सरकारी हस्तक्षेप (Personal Freedom and Government Intervention)****

आलोचना**: आलोचक यह मानते हैं कि कल्याणकारी राज्य में सरकार का अत्यधिक हस्तक्षेप नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम कर सकता है। सरकार के बढ़ते हस्तक्षेप से निजी स्वतंत्रताएँ और निर्णय क्षमता बाधित हो सकती हैं।**उदाहरण****: यदि सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अत्यधिक हस्तक्षेप करती है, तो यह नागरिकों की पसंद और उनके स्वतंत्रता में हस्तक्षेप हो सकता है। नागरिकों के निजी जीवन में सरकारी नीतियाँ हस्तक्षेप कर सकती हैं, जिससे स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है।

4. ****समाज में निर्भरता बढ़ना (Increased Dependence)**आलोचना****: कल्याणकारी राज्य के सिद्धांतों के तहत नागरिकों को सरकार पर निर्भर रहने की आदत पड़ जाती है। आलोचक यह मानते हैं कि अगर नागरिकों को सशक्त बनाने के बजाय उनके लिए सरकारी सहायता योजनाएँ अधिक बढ़ाई जाएं, तो यह ****आत्मनिर्भरता और सामाजिक जिम्मेदारी को खत्म कर सकता है****। उदाहरण**: अगर बेरोजगारी भत्ता और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लगातार विस्तार होता है, तो लोग अपनी निजी मेहनत से अधिक सरकारी सहायता पर निर्भर हो सकते हैं। इससे वे अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करने लगते हैं और आर्थिक रूप से निर्भर हो जाते हैं।

5. ****असमानता में वृद्धि (Increase in Inequality)**आलोचना****: आलोचकों का कहना है कि कल्याणकारी राज्य समाज में असमानताओं को समाप्त करने में पूरी तरह से सफल नहीं होता। यह केवल एक अस्थायी उपाय हो सकता है, जो गरीबों को कुछ मदद जरूर देता है, लेकिन ****संवेदनशीलता**** और ****स्वतंत्रता**** की कमी हो सकती है। उदाहरण**: कल्याणकारी योजनाएँ कुछ क्षेत्रों और वर्गों तक ही सीमित रह सकती हैं, जबकि समाज के अन्य वर्गों को इनसे कोई लाभ नहीं मिल पाता। इस प्रकार, कल्याणकारी योजनाएँ ****वर्गीय असमानताओं**** को दूर करने के बजाय उन्हें बढ़ावा दे सकती हैं।

6. ****सरकारी नियंत्रण और भ्रष्टाचार (Government Control and Corruption)**आलोचना****: एक और आलोचना यह है कि कल्याणकारी राज्य के सिद्धांतों के तहत सरकारी संस्थाएँ बढ़ जाती हैं, जिससे भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और प्रशासनिक अड़चने बढ़ सकती हैं। सरकार का अत्यधिक नियंत्रण और केंद्रीकरण भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि जब प्रशासन और नीतियाँ बढ़ती हैं, तो उन्हें लागू करने वाले अधिकारियों के लिए गलत तरीके से लाभ उठाने का अवसर बढ़ जाता है। उदाहरण**: सरकार द्वारा दी जाने वाली योजना और सुविधाओं में ****भ्रष्टाचार**** हो सकता है, जैसे ****लाभार्थियों का गलत चयन****, ****वित्तीय अनियमितताएँ****, या सरकारी अधिकारियों द्वारा ****रिश्वत**** वसूलना।

7. ****नियामकीय जटिलता (Bureaucratic Complexity)**आलोचना****: कल्याणकारी राज्य की नीतियों को लागू करने के लिए ****बड़े प्रशासनिक ढाँचे**** की आवश्यकता होती है, जो अक्सर जटिल और अनुत्पादक हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप, सरकारी योजनाएँ प्रभावी रूप से कार्यान्वित नहीं हो पाती हैं।

* ****उदाहरण****: योजनाओं को लागू करने में होने वाली देरी और ****ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रियाएँ**** अक्सर योजनाओं के उद्देश्य को कमजोर कर देती हैं। इससे लाभार्थियों तक मदद समय पर नहीं पहुँचती, और उनकी समस्याएँ बढ़ सकती हैं।

8. ****सामाजिक वर्गों के बीच प्रतिस्पर्धा (Competition among Social Classes)****

आलोचना** : कुछ आलोचकों का मानना है कि कल्याणकारी राज्य का मॉडल समाज के विभिन्न वर्गों के बीच प्रतिस्पर्धा और असंतोष को जन्म दे सकता है। उदाहरण के तौर पर, एक वर्ग विशेष को दी जाने वाली सहायता या लाभ, अन्य वर्गों में असंतोष उत्पन्न कर सकती है।

* **उदाहरण** : अगर एक वर्ग को अधिक कल्याणकारी लाभ मिल रहे हैं और दूसरा वर्ग इससे वंचित है, तो यह वर्गीय तनाव और सामाजिक असहमति को बढ़ा सकता है।

निष्कर्ष : हालाँकि **कल्याणकारी राज्य** के सिद्धांतों ने सामाजिक सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, और समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन उनकी आलोचना भी की गई है। आलोचनाओं का केंद्र मुख्य रूप से **आर्थिक बोझ** , **व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप** , **निर्भरता की संस्कृति** , और **प्रशासनिक दोष** जैसे मुद्दों पर रहा है। एक आदर्श कल्याणकारी राज्य वह होगा जो नागरिकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देता है, लेकिन साथ ही उसे **आत्मनिर्भरता, पारदर्शिता और सुधार** के माध्यम से सक्षम भी बनाता है।

Chapter-10

प्रभुसत्ता-परिभाषा, तत्व, प्रकार एवं सिद्धान्त

*प्रभु सत्ता का अर्थ** :

प्रभु सत्ता का अर्थ है **ईश्वर या दिव्य सत्ता का शासन और नियंत्रण** जो सम्पूर्ण सृष्टि और इसके घटनाओं पर पूर्ण प्रभुत्व रखती है। यह अवधारणा यह मानती है कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है और वह इसके सभी कार्यों और घटनाओं का संचालन करता है। इसका एक मूल विचार यह है कि **ईश्वर के बिना किसी भी घटना का होना असंभव है** , और समस्त

प्राकृतिक, सामाजिक, और राजनीतिक घटनाएँ ईश्वर के इरादे और योजना के अनुसार घटित होती हैं।

****राजनीतिज्ञों के अनुसार प्रभु सत्ता (Divine Sovereignty)**** की परिभाषा, विशेष रूप से शासक और राज्य की वैधता के संदर्भ में दी जाती है। यह अवधारणा राजनीतिक और धार्मिक सत्ता के बीच संबंधों को परिभाषित करती है, जिसमें माना जाता है कि राज्य और शासक की शक्ति ****ईश्वर**** से प्राप्त होती है। यह विचारधारा अक्सर ****"दिव्य अधिकार" (Divine Right of Kings)** के सिद्धांत से जुड़ी हुई है, जो शासक को एक तरह से ****ईश्वर का प्रतिनिधि**** मानती है।

यहां कुछ प्रमुख राजनीतिक विचारकों और उनके दृष्टिकोण से प्रभु सत्ता की परिभाषा दी गई है:

1. ****थॉमस हॉब्स (Thomas Hobbes)****: थॉमस हॉब्स ने अपनी प्रसिद्ध कृति ****"Leviathan" (1651)** में राज्य के औचित्य और प्रभु सत्ता पर विचार किया। हॉब्स के अनुसार, राज्य की वैधता और शासक की सत्ता ईश्वर से प्राप्त होती है, और शासक को अनिवार्य रूप से ****सत्ता का अधिकार**** दिया गया है ताकि वह समाज में व्यवस्था बनाए रख सके। उनका कहना था कि लोग प्राकृतिक अवस्था में ****अराजकता**** में रहते हैं, और राज्य या शासक का अस्तित्व इसी कारण है कि ईश्वर ने उन्हें सत्ता दी है ताकि वह सुरक्षा और व्यवस्था प्रदान कर सकें।

* ****प्रभु सत्ता की परिभाषा****: "राज्य का अधिकार और शासक की सत्ता ईश्वर से प्राप्त होती है, और उनका कार्य समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है।"

2. ****जॉन लॉक (John Locke)****: ****जॉन लॉक**** के दृष्टिकोण में, राज्य की सत्ता केवल ****ईश्वर के आदेश**** से नहीं, बल्कि नागरिकों की सहमति से वैध होती है। हालांकि, वे मानते थे कि प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य का अस्तित्व जरूरी था, लेकिन यह ईश्वर द्वारा दिए गए अधिकार का निषेध नहीं था।

* उनका विचार था कि ****राज्य का गठन एक सामाजिक अनुबंध**** के माध्यम से हुआ है, और इसे ****प्राकृतिक कानून**** और ईश्वर के आदेश के आधार पर देखा जाना चाहिए।

* ****प्रभु सत्ता की परिभाषा****: "राज्य और शासक की वैधता ईश्वर द्वारा दिए गए प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए है, और शासक को नागरिकों की सहमति से सत्ता प्राप्त होती है।"

3. **जीन-जैक्स रूसो (Jean-Jacques Rousseau)** ने अपनी कृति **"The Social Contract"** में **प्राकृतिक स्वतंत्रता** और **सामाजिक अनुबंध** के सिद्धांतों पर चर्चा की। उन्होंने प्रभु सत्ता को धर्म और राज्य के सिद्धांतों से जोड़ा, लेकिन उन्होंने ईश्वर से सीधे सत्ता प्राप्ति के सिद्धांत को **नकारा**।

* रूसो के अनुसार, राज्य की सत्ता केवल **सामाजिक अनुबंध** और **जनता की इच्छा** से मिलती है। उन्होंने यह कहा कि अगर शासक जनता की इच्छा के खिलाफ कार्य करता है, तो उसे सत्ता से हटा दिया जा सकता है।

* **प्रभु सत्ता की परिभाषा**: "राज्य की वैधता और शासक की सत्ता जनमत और सामाजिक अनुबंध से प्राप्त होती है, न कि सीधे ईश्वर से।"

4. **जेम्स I (James I)** **इंग्लैंड के राजा थे**, जिन्होंने **"Divine Right of Kings"** (राजाओं का दिव्य अधिकार) का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि **राजा को ईश्वर से विशेष अधिकार** प्राप्त है और उसे किसी भी मानव सत्ता द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती।

* जेम्स I के अनुसार, राजा का सत्ता पर अधिकार बिना किसी शर्त के है, क्योंकि वह **ईश्वर का प्रतिनिधि** होता है।

* **प्रभु सत्ता की परिभाषा**: "राजा की सत्ता ईश्वर से प्राप्त होती है और उसे बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के पूरी तरह से शासित करने का अधिकार है।"

5. **मैक्स वेबर (Max Weber)**, एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री, ने **धार्मिक वैधता** और **राज्य के प्रबंधन** के बीच संबंधों का विश्लेषण किया। उन्होंने यह स्वीकार किया कि कुछ शासक अपने शासन को **दिव्य अधिकार** के आधार पर सही ठहराते हैं, लेकिन वे राज्य की सत्ता को वैधता देने के लिए एक अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते थे।

* वेबर के अनुसार, **प्रभु सत्ता** वह शक्ति है जिसे शासक अपने धार्मिक वैधता के आधार पर अर्जित करता है, और यह सत्ता **कानूनी अधिकार** और **प्रशासनिक व्यवस्था** के आधार पर कार्य करती है।

* **प्रभु सत्ता की परिभाषा**: "राज्य का प्रभुत्व, विशेष रूप से धार्मिक आधार पर, वैधता के साथ जुड़ा हुआ होता है और यह शासक के अधिकार को समर्थन देता है।"

यहां कुछ प्रमुख राजनीतिक विचारकों और उनके दृष्टिकोण से प्रभु सत्ता की परिभाषा दी गई है:

1. **थॉमस हॉब्स (Thomas Hobbes)** ने अपनी प्रसिद्ध कृति **"Leviathan"** (1651) में राज्य के औचित्य और प्रभु सत्ता पर विचार किया। हॉब्स के अनुसार, राज्य की वैधता और शासक की सत्ता ईश्वर से प्राप्त होती है, और शासक को अनिवार्य रूप से **सत्ता का अधिकार** दिया गया है ताकि वह समाज में व्यवस्था बनाए रख सके।

* उनका कहना था कि लोग प्राकृतिक अवस्था में **अराजकता** में रहते हैं, और राज्य या शासक का अस्तित्व इसी कारण है कि ईश्वर ने उन्हें सत्ता दी है ताकि वह सुरक्षा और व्यवस्था प्रदान कर सके।

* **प्रभु सत्ता की परिभाषा**: "राज्य का अधिकार और शासक की सत्ता ईश्वर से प्राप्त होती है, और उनका कार्य समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है।"

2. **जॉन लॉक (John Locke)** के दृष्टिकोण में, राज्य की सत्ता केवल **ईश्वर के आदेश** से नहीं, बल्कि नागरिकों की सहमति से वैध होती है। हालांकि, वे मानते थे कि प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य का अस्तित्व जरूरी था, लेकिन यह ईश्वर द्वारा दिए गए अधिकार का निषेध नहीं था।

* उनका विचार था कि **राज्य का गठन एक सामाजिक अनुबंध** के माध्यम से हुआ है, और इसे **प्राकृतिक कानून** और ईश्वर के आदेश के आधार पर देखा जाना चाहिए।

* **प्रभु सत्ता की परिभाषा**: "राज्य और शासक की वैधता ईश्वर द्वारा दिए गए प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए है, और शासक को नागरिकों की सहमति से सत्ता प्राप्त होती है।"

3. **जीन-जैक्स रूसो (Jean-Jacques Rousseau)** ने अपनी कृति **"The Social Contract"** में **प्राकृतिक स्वतंत्रता** और **सामाजिक अनुबंध** के सिद्धांतों पर चर्चा की। उन्होंने प्रभु सत्ता को धर्म और राज्य के सिद्धांतों से जोड़ा, लेकिन उन्होंने ईश्वर से सीधे सत्ता प्राप्ति के सिद्धांत को **नकारा**।

* रूसो के अनुसार, राज्य की सत्ता केवल **सामाजिक अनुबंध** और **जनता की इच्छा** से मिलती है। उन्होंने यह कहा कि अगर शासक जनता की इच्छा के खिलाफ कार्य करता है, तो उसे सत्ता से हटा दिया जा सकता है।

* **प्रभु सत्ता की परिभाषा**: "राज्य की वैधता और शासक की सत्ता जनमत और सामाजिक अनुबंध से प्राप्त होती है, न कि सीधे ईश्वर से।"

4. **जेम्स I (James I)**: जेम्स I इंग्लैंड के राजा थे, जिन्होंने **"Divine Right of Kings"** (राजाओं का दिव्य अधिकार) का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि **राजा को ईश्वर से विशेष अधिकार** प्राप्त है और उसे किसी भी मानव सत्ता द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती।

* जेम्स I के अनुसार, राजा का सत्ता पर अधिकार बिना किसी शर्त के है, क्योंकि वह **ईश्वर का प्रतिनिधि** होता है।

* **प्रभु सत्ता की परिभाषा**: "राजा की सत्ता ईश्वर से प्राप्त होती है और उसे बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के पूरी तरह से शासित करने का अधिकार है।"

5. **मैक्स वेबर (Max Weber)**: मैक्स वेबर, एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री, ने **धार्मिक वैधता** और **राज्य के प्रबंधन** के बीच संबंधों का विश्लेषण किया। उन्होंने यह स्वीकार किया कि कुछ शासक अपने शासन को **दिव्य अधिकार** के आधार पर सही ठहराते हैं, लेकिन वे राज्य की सत्ता को वैधता देने के लिए एक अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते थे।

* वेबर के अनुसार, **प्रभु सत्ता** वह शक्ति है जिसे शासक अपने धार्मिक वैधता के आधार पर अर्जित करता है, और यह सत्ता **कानूनी अधिकार** और **प्रशासनिक व्यवस्था** के आधार पर कार्य करती है।

* **प्रभु सत्ता की परिभाषा**: "राज्य का प्रभुत्व, विशेष रूप से धार्मिक आधार पर, वैधता के साथ जुड़ा हुआ होता है और यह शासक के अधिकार को समर्थन देता है।"

प्रभु सत्ता (Divine Sovereignty) की विशेषताओं की आलोचना मुख्य रूप से लोकतंत्र, मानवाधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संदर्भ में की जाती है। कई राजनीतिक विचारकों और दार्शनिकों ने इस सिद्धांत को **निरंकुशता**, **लोकतंत्र विरोधी** और **मानवाधिकारों का उल्लंघन** करने वाला बताया है। यहां हम प्रभु सत्ता की विशेषताओं की आलोचना पर चर्चा करेंगे:

1. **निर्विवाद और निरंकुश (Absolute and Unquestionable)**

* **आलोचना**:

* **निरंकुश शासन** को आलोचना का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसमें शासक की **किसी भी प्रकार की जवाबदेही नहीं होती**। जब शासक को अपनी सत्ता का अधिकार **ईश्वर से प्राप्त** होता है, तो उसे **किसी भी लोकतांत्रिक या न्यायिक जांच** का सामना नहीं करना पड़ता। यह **लोकतांत्रिक सिद्धांतों** से बिल्कुल विपरीत है, जो सत्ता के पृथक्करण, जवाबदेही और पारदर्शिता पर जोर देते हैं।

* निरंकुशता के कारण **सामाजिक असमानताएँ** बढ़ सकती हैं और शासक **अपनी सत्ता का दुरुपयोग** कर सकता है।

2. **ईश्वर से प्राप्त अधिकार (God-Given Authority)**

आलोचना:

धार्मिक विविधता वाले समाजों में प्रभु सत्ता की अवधारणा विवादास्पद हो सकती है, क्योंकि **प्रत्येक व्यक्ति या समुदाय का धर्म अलग हो सकता है**। जब एक धर्म के अनुयायी यह मानते हैं कि उनका शासक **ईश्वर से अधिकार प्राप्त है**, तो यह उन लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है, जो अन्य धर्मों के अनुयायी हैं।

* इस सिद्धांत को चुनौती देने के लिए **धार्मिक स्वतंत्रता** और **धार्मिक सहिष्णुता** के विचार पर जोर दिया जाता है, जिसमें सभी धर्मों के अनुयायियों के समान अधिकार होते हैं।

3. **सर्वोच्च और अनंत (Supreme and Infinite)**

आलोचना: जब शासक की सत्ता सर्वोच्च और अनंत मानी जाती है, तो **समाज में न्याय का मूल्य घट सकता है**। इस सिद्धांत में शासक को **सभी अधिकार** दिए जाते हैं, जिससे **प्राकृतिक न्याय** और **न्यायिक स्वतंत्रता** का उल्लंघन हो सकता है।

* जब एक व्यक्ति या संस्था को निरंकुश सत्ता मिल जाती है, तो उसका **जनता या समाज के हितों** को नजरअंदाज करने का खतरा रहता है।

4. **राज्य का वैधता और धार्मिक आधार (Legitimacy of the State and Religious Basis)**

आलोचना: **राज्य की वैधता** केवल **धार्मिक आधार** पर होना लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है। **लोकतंत्र** के सिद्धांत में, राज्य की वैधता **जनता की सहमति** से आती है, न कि केवल **धार्मिक या दिव्य अधिकार** से। जब एक राज्य को ईश्वर के आदेश से वैध माना जाता है, तो यह **जनता के अधिकारों** को नजरअंदाज कर सकता है।

* इसके परिणामस्वरूप, **धार्मिक अल्पसंख्यकों** के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है, क्योंकि राज्य केवल एक विशेष धर्म का पालन करने वालों के लिए वैध होगा।

5. **न्यायिक और कानूनी निष्पक्षता (Judicial and Legal Impartiality)**

आलोचना**:

यदि शासक का अधिकार **ईश्वर से प्राप्त** होता है, तो वह **कानूनी या न्यायिक हस्तक्षेप से मुक्त** होता है। इसका मतलब यह है कि शासक के निर्णयों पर कोई **न्यायिक जांच या पुनरावलोकन** नहीं किया जा सकता, जिससे **न्याय का अधिकार** हनन हो सकता है।

* इस दृष्टिकोण में, **शासक के व्यक्तिगत स्वार्थ** या **दुरुपयोग** को नियंत्रित करने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था नहीं होती। इससे राज्य में **अधिकारों का उल्लंघन** और **न्यायहीनता** बढ़ सकती है।

6. **समाज में आध्यात्मिक और राजनीतिक एकता (Spiritual and Political Unity)**

आलोचना**:

प्रभु सत्ता का यह सिद्धांत **राज्य और धर्म के बीच एकता** का समर्थन करता है, जो **धार्मिक बहुलता वाले समाजों** में **संघर्ष** और **विवाद** का कारण बन सकता है। **राजनीतिक और धार्मिक एकता** के आधार पर **धार्मिक बहुलता** की स्थिति में लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। * जब राज्य को **धार्मिक संप्रदायों से जोड़** दिया जाता है, तो यह अन्य **धर्मों के अनुयायियों** के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उनके धर्म और विश्वास को **राज्य द्वारा अनदेखा किया जा सकता है**।

7. **नैतिकता और आदेश (Moral and Ethical Order)**

आलोचना**:

जब शासक का आदेश ईश्वर से प्राप्त होता है, तो यह **कानूनी और नैतिक आदेश** पर प्रकट प्रभाव डाल सकता है। शासक को अपने आदेशों का पालन **धार्मिक दृष्टिकोण** से करना होता है, न कि **सार्वभौमिक नैतिकता** के सिद्धांतों से।

* इस प्रकार, **शासक के निर्णयों में** केवल **धार्मिक सन्दर्भ** की प्राथमिकता हो सकती है, जिससे **नैतिक विविधता** और **सामाजिक ताने-बाने** को नुकसान हो सकता है।

8. **शासन में स्थिरता (Stability in Rule)**

आलोचना**: प्रभु सत्ता को शासन में स्थिरता की विशेषता माना जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि यह शासन **समाज के अच्छे के लिए स्थिर है**। शासक के लिए **ईश्वर का आदेश** केवल एक **सत्ता का माध्यम** होता है, जिससे वह अपने **व्यक्तिगत स्वार्थ** को भी प्राप्त कर सकता है। इसका परिणाम **स्थिरता** के बजाय **दमनकारी शासन** हो सकता है।

* इसके अलावा, जब शासक की शक्ति पर कोई **न्यायिक या राजनीतिक नियंत्रण नहीं होता**, तो शासन के खिलाफ कोई प्रतिरोध करना मुश्किल हो सकता है, जिससे **जनता की स्वतंत्रता** और **धार्मिक स्वतंत्रता** बाधित होती है।

सीमित प्रभु सत्ता (Limited Divine Sovereignty) का सिद्धांत वह विचारधारा है, जिसमें राज्य और शासक की सत्ता को ईश्वर से प्राप्त माना जाता है, लेकिन यह सत्ता कुछ **सीमाओं** और **संदर्भों** तक ही सीमित होती है। इसे **सीमित दिव्य अधिकार** या **संविधानिक प्रभु सत्ता** भी कहा जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार, शासक को सत्ता का अधिकार ईश्वर से प्राप्त होता है, लेकिन वह सत्ता **कानून, संविधान, और मानवाधिकारों** द्वारा नियंत्रित और सीमित होती है।

यह सिद्धांत **प्रभु सत्ता** के **निरंकुश अधिकार** के सिद्धांत के विपरीत है, जिसमें शासक को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के शासन करने का अधिकार होता है। सीमित प्रभु सत्ता में शासक की शक्ति को **धार्मिक और कानूनी सीमाओं** द्वारा नियंत्रित किया जाता है। **सीमित प्रभु सत्ता के सिद्धांत की विशेषताएँ**:

1. **ईश्वर से प्राप्त अधिकार**: * सीमित प्रभु सत्ता के सिद्धांत में, यह माना जाता है कि शासक को **ईश्वर से अधिकार** प्राप्त होता है। हालांकि, यह अधिकार **पूरे राज्य** और **समाज** के अधिकारों के खिलाफ नहीं जाता। शासक का कर्तव्य होता है कि वह ईश्वर की इच्छाओं के अनुरूप **लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण शासन** स्थापित करे।

2. **कानूनी और संविधानिक सीमाएँ**: * इस सिद्धांत के अनुसार, शासक की शक्ति को **संविधान** और **कानून** के द्वारा सीमित किया जाता है। शासक को न केवल **ईश्वर की इच्छाओं** का पालन करना होता है, बल्कि उसे **कानूनी और लोकतांत्रिक ढाँचे** का भी पालन करना होता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि शासक अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करें और सभी नागरिकों के **मानवाधिकारों** और **स्वतंत्रता** की रक्षा करें।

3. **लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन**: सीमित प्रभु सत्ता में, शासक को अपनी शक्ति का प्रयोग **लोकतांत्रिक प्रक्रिया** के माध्यम से करना होता है। इसका अर्थ यह है कि शासक को **जनता की सहमति** और **लोकतांत्रिक संस्थाओं** का पालन करना होता है। इससे शासक को जवाबदेह ठहराया जाता है और उसकी सत्ता में **न्याय और पारदर्शिता** सुनिश्चित होती है।

4. **प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा**: इस सिद्धांत के तहत, शासक का कर्तव्य होता है कि वह नागरिकों के **प्राकृतिक अधिकारों** की रक्षा करे। ईश्वर से प्राप्त अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी, शासक को **मानवाधिकार**, **स्वतंत्रता**, और **न्याय** को ध्यान में रखते हुए अपनी नीति बनानी होती है। यह शासक को इस बात की जिम्मेदारी देता है कि वह किसी भी प्रकार के **अत्याचार** या **भेदभाव** से बचे।

5. **धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता**: सीमित प्रभु सत्ता में शासक का **धार्मिक विश्वास** एक व्यक्तिगत मामला होता है, लेकिन उसका शासन **धार्मिक सहिष्णुता** और **राजनीतिक विविधता** के सिद्धांतों पर आधारित होता है। इसका मतलब यह है कि शासक को अपने शासन में सभी धर्मों, संप्रदायों, और जातियों के अधिकारों का सम्मान करना होता है।

6. **आर्थिक और सामाजिक न्याय**: सीमित प्रभु सत्ता के सिद्धांत में, शासक को केवल **धार्मिक निर्देशों** का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसे **सामाजिक और आर्थिक न्याय** के सिद्धांतों का पालन भी करना होता है। यह शासक के दायित्व में शामिल होता है कि वह समाज में **समानता** और **न्यायपूर्ण वितरण** सुनिश्चित करें।

सीमित प्रभु सत्ता के सिद्धांत की आलोचना:

1. **धार्मिक और राजनीतिक अधिकारों का सामंजस्य**: इस सिद्धांत में **धार्मिक और राजनीतिक अधिकारों** के बीच संतुलन स्थापित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जब शासक को **ईश्वर से अधिकार** प्राप्त होता है, तो उसका **धार्मिक दृष्टिकोण** और **लोकतांत्रिक सिद्धांतों** के बीच सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक हो जाता है।

* कभी-कभी धार्मिक विश्वासों को **लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण शासन** से मेल नहीं खा सकता है, और इस पर विवाद हो सकता है।

2. **सीमित शक्तियों का दुरुपयोग**: शासक के पास **सीमित प्रभु सत्ता** होने पर भी, यह संभावना रहती है कि वह अपनी सीमित शक्ति का **दुरुपयोग** कर सकता है। शासक यदि

संविधान और कानून का उल्लंघन करता है, तो उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि शासक को **धार्मिक वैधता** का समर्थन प्राप्त होता है।

3. **लोकतांत्रिक विरोध**: सीमित प्रभु सत्ता में, **ईश्वर से प्राप्त अधिकार** को लोकतांत्रिक सिद्धांतों से जोड़ा जाता है। लेकिन, यह कुछ **लोकतांत्रिक सिद्धांतों** के साथ संघर्ष कर सकता है, जैसे कि सत्ता का **पृथक्करण** (separation of powers) और **जनता की चुनावी शक्ति**। जब शासक की सत्ता को ईश्वर से प्राप्त माना जाता है, तो यह सिद्धांत लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और **जनता के अधिकारों** के खिलाफ जा सकता है।

4. **धार्मिक बहुलता में समस्या**: जब राज्य और शासक के अधिकार को धार्मिक दृष्टिकोण से जोड़ा जाता है, तो यह **धार्मिक बहुलता** वाले समाजों में **संघर्ष** और **विवाद** का कारण बन सकता है। यह उन लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है जो अन्य धर्मों के अनुयायी हैं या धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को मानते हैं।

प्रभु सत्ता (Divine Sovereignty) के विभिन्न प्रकार वे तरीके हैं, जिनके माध्यम से प्रभु सत्ता को समझा और लागू किया जा सकता है। यह एक धार्मिक और राजनीतिक सिद्धांत है, जो इस बात पर आधारित है कि शासक की शक्ति या राज्य का अधिकार **ईश्वर** से प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार के प्रभु सत्ता के सिद्धांत विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, और धार्मिक संदर्भों में उत्पन्न हुए हैं।

आइए, हम प्रभु सत्ता के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करें:

1. **निरंकुश प्रभु सत्ता (Absolute Divine Sovereignty)**

* **परिभाषा**: इस प्रकार की प्रभु सत्ता में शासक या राज्य को जो अधिकार प्राप्त है, वह **पूर्ण और असीमित** होता है। इसका मतलब यह है कि शासक को अपनी सत्ता के लिए किसी से भी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसकी सत्ता **ईश्वर द्वारा निर्धारित** होती है।

* **विशेषताएँ**: शासक के आदेशों और निर्णयों पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता।

* ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हुए शासक को **निर्विवाद अधिकार** होता है।

* यह प्रकार प्राचीन राजतंत्रों और धार्मिक तानाशाही शासनों में देखा जाता है।

* **उदाहरण**: प्राचीन **ईश्वर-राजतंत्र** (Theocratic Monarchy) में, जैसे कि बाइबिलकालीन या मध्यकालीन यूरोप के राजा, जिन्हें ईश्वर से सीधे अधिकार प्राप्त होने का दावा किया जाता था।

2. **सीमित प्रभु सत्ता (Limited Divine Sovereignty)**

परिभाषा: इस प्रकार की प्रभु सत्ता में शासक को ईश्वर से सत्ता प्राप्त होती है, लेकिन वह **कानून, संविधान, और मानवाधिकारों** द्वारा सीमित होती है। शासक की शक्ति **सीमित** होती है और उसे **लोकतांत्रिक प्रक्रिया** और **न्यायिक नियंत्रण** के अधीन रहना पड़ता है।

* **विशेषताएँ**: शासक की शक्ति को **कानूनी और संवैधानिक सीमाओं** में बांधा जाता है।

* शासक को **मानवाधिकारों** और **लोकतांत्रिक सिद्धांतों** का पालन करना होता है।

* यह सिद्धांत **प्रभु सत्ता** और **लोकतांत्रिक शासक** के बीच संतुलन का प्रयास करता है।

3. **धार्मिक प्रभु सत्ता (Theocratic Sovereignty)**

* **परिभाषा**: इस प्रकार की प्रभु सत्ता में **राज्य और धर्म** का एक गहरा **संयोग** होता है। शासक की सत्ता ईश्वर से प्राप्त होती है और धार्मिक नेताओं या धर्मनिरपेक्ष सत्ता के बीच किसी प्रकार की दूरी नहीं होती।

* **विशेषताएँ**: राज्य का नेतृत्व और उसकी नीतियाँ **धार्मिक सिद्धांतों** पर आधारित होती हैं। * शासक **धार्मिक नेता** या **धर्म के प्रतिनिधि** होते हैं, और उनका उद्देश्य **ईश्वर के नियमों** का पालन करना होता है। यह राज्य **धार्मिक कानून** (जैसे शरिया या धार्मिक शास्त्र) के अनुसार संचालित होता है।

4. **संविधानिक प्रभु सत्ता (Constitutional Divine Sovereignty)**

* **परिभाषा**: इस प्रकार की प्रभु सत्ता में शासक को ईश्वर से अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन उसकी सत्ता को **संविधान** और **कानूनी प्रावधानों** से नियंत्रित किया जाता है। इसका मतलब है कि शासक को केवल ईश्वर के आदेशों का पालन नहीं करना होता, बल्कि उसे **संविधानिक सिद्धांतों** का भी पालन करना होता है।

विशेषताएँ**: शासक को **लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं** और **संविधान** के तहत शासन करना होता है। राजनीतिक अधिकारों** और **मानवाधिकारों** का सम्मान करना अनिवार्य होता है। यह सिद्धांत **धार्मिक लोकतांत्रिक सरकारों** के रूप में देखा जा सकता है।

5. **सार्वभौमिक प्रभु सत्ता (Universal Divine Sovereignty)**

परिभाषा**: इस प्रकार की प्रभु सत्ता में, शासक या राज्य की सत्ता को ईश्वर से प्राप्त माना जाता है, लेकिन यह सत्ता केवल एक विशेष राज्य तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह सम्पूर्ण **ब्रह्मांड और सभी मानवों** पर लागू होती है। ईश्वर की सत्ता **सभी के ऊपर** सर्वोपरि होती है।

विशेषताएँ**: शासक का उद्देश्य ईश्वर के आदेशों का पालन करना होता है, जो **सभी इंसानों** के लिए समान होते हैं। इस सत्ता का दायरा केवल एक राज्य तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह **संपूर्ण विश्व** पर लागू होता है।

6. **प्राकृतिक प्रभु सत्ता (Natural Divine Sovereignty)**

परिभाषा**: इस प्रकार की प्रभु सत्ता के तहत, यह माना जाता है कि ईश्वर की सत्ता **प्राकृतिक आदेश** के रूप में कार्य करती है, और शासक केवल **ईश्वर के प्राकृतिक नियमों** का पालन करता है। इसमें शासक की सत्ता किसी विशेष धार्मिक या राजनीतिक प्रणाली से जुड़ी नहीं होती, बल्कि वह **प्राकृतिक व्यवस्था** का पालन करने वाला होता है।

विशेषताएँ**: शासक का कर्तव्य होता है कि वह **प्राकृतिक और नैतिक कानूनों** का पालन करे, जो **ईश्वर की इच्छा** का प्रतीक होते हैं। यह राज्य **धार्मिक परिभाषाओं** से बाहर एक **प्राकृतिक न्याय** का पालन करता है।

लोकप्रिय प्रभु सत्ता का सिद्धांत (Popular Divine Sovereignty) एक ऐसी राजनीतिक और धार्मिक अवधारणा है जिसमें **ईश्वर की सत्ता** और **जनता की इच्छा** का संयोजन होता है। इस सिद्धांत के अनुसार, **प्रभु सत्ता** का अस्तित्व और वैधता **ईश्वर से प्राप्त** होती है, लेकिन इसके प्रयोग और संचालन में **जनता की भूमिका** और उनकी इच्छा को प्राथमिकता दी जाती है। यह सिद्धांत यह मानता है कि **ईश्वर का मार्गदर्शन** और **मानवों की स्वतंत्र इच्छा** दोनों का सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। यहां पर **प्रभु सत्ता** को लोकतांत्रिक रूप में लागू करने की कोशिश की जाती है, जिससे **सत्ता का स्रोत** ईश्वर तो होता है, लेकिन उसका संचालन **जनता** के द्वारा होता है।

लोकप्रिय प्रभु सत्ता का सिद्धांत:

1. **ईश्वर की सत्ता और जनता का अधिकार** इस सिद्धांत में **ईश्वर की सर्वोच्चता** को माना जाता है, लेकिन यह माना जाता है कि **जनता** को सत्ता का **प्रमुख अधिकार** होता है। शासक या राजनीतिक नेता को **ईश्वर की इच्छा** के अनुसार कार्य करने के साथ-साथ **जनता की इच्छा** और उनके **लोकतांत्रिक अधिकारों** का सम्मान करना होता है।

* इस प्रकार के सिद्धांत में शासक **ईश्वर के प्रतिनिधि** के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन उनका काम सिर्फ धार्मिक कर्तव्यों तक ही सीमित नहीं होता। उन्हें जनता के **सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों** की रक्षा भी करनी होती है।

2. **ईश्वर और लोकतंत्र का संगम** इस सिद्धांत के अनुसार, **ईश्वर का मार्गदर्शन** लोकतांत्रिक संस्थाओं और **जनता की इच्छाओं** के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से जुड़ा होता है। शासक को केवल **धार्मिक आदेशों** का पालन करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसे **लोकतांत्रिक प्रक्रिया** का भी पालन करना होता है, जैसे कि **निर्वाचन**, **विधायिका** और **लोकतांत्रिक संस्थाओं** के माध्यम से शासन करना।

* यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि **ईश्वर की सत्ता** को केवल धार्मिक शासन के तौर पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे लोकतांत्रिक शासकों के जरिए **व्यवस्थित और संगठित** करना चाहिए।

3. **जनता की सक्रिय भूमिका** लोकप्रिय प्रभु सत्ता में, **जनता** न केवल अपनी **आवाज** उठाने का अधिकार रखती है, बल्कि उसका **राज्य के संचालन** में सक्रिय योगदान होता है। **लोकतांत्रिक चुनाव**, **संसदीय प्रणाली** और **अधिकारों की सुरक्षा** के तहत राज्य का संचालन होता है।

* **जनता की भागीदारी** राज्य की नीतियों और निर्णयों में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनती है, क्योंकि शासक केवल **ईश्वर के आदेश** का पालन करने के साथ-साथ, **जनता की इच्छाओं** को भी सम्मानित करते हैं।

4. **सामाजिक और न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना** इस सिद्धांत का उद्देश्य एक ऐसे राज्य की स्थापना करना है जहां **धार्मिक अधिकार** और **लोकतांत्रिक अधिकार** दोनों का संतुलन हो। शासक को **सामाजिक न्याय** और **आर्थिक समानता** के लिए काम करना होता है, ताकि सभी नागरिकों के **मानवाधिकार** और **स्वतंत्रता** की रक्षा हो सके।

* शासक को **ईश्वर के आदेश** के तहत न्यायपूर्ण शासन स्थापित करना होता है, जिसमें **सभी समाजों और जातियों** के अधिकारों का समान रूप से सम्मान किया जाए।

5. **धार्मिक बहुलता का सम्मान**: लोकप्रिय प्रभु सत्ता के सिद्धांत में, **धार्मिक विविधता** और **धार्मिक सहिष्णुता** का भी सम्मान किया जाता है। हालांकि राज्य की सत्ता को ईश्वर से प्राप्त माना जाता है, फिर भी शासक को **धार्मिक अल्पसंख्यकों** के अधिकारों और **धार्मिक स्वतंत्रता** का भी पालन करना होता है।

* यह सिद्धांत **धार्मिक तानाशाही** या **धार्मिक कट्टरता** के खिलाफ है और राज्य को एक **धार्मिक सहिष्णु** और **समाजवादी दृष्टिकोण** के साथ चलाने का पक्षधर है।

लोकप्रिय प्रभु सत्ता के सिद्धांत के लाभ:

1. **लोकतांत्रिक और धार्मिक सामंजस्य**: यह सिद्धांत **लोकतांत्रिक प्रक्रिया** और **धार्मिक आदेश** के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। शासक को **ईश्वर के आदेश** का पालन करते हुए, **जनता के अधिकारों** का भी सम्मान करना होता है, जिससे **धार्मिक तानाशाही** या **निर्विवाद शासन** की संभावना कम होती है।

2. **समानता और न्याय**: लोकप्रिय प्रभु सत्ता में, शासक को **सामाजिक और आर्थिक न्याय** स्थापित करने का कर्तव्य होता है, जिससे समाज में **समानता** और **न्याय** सुनिश्चित हो सके।

3. **धार्मिक बहुलता का सम्मान**: इस सिद्धांत में **धार्मिक सहिष्णुता** को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे सभी धर्मों के अनुयायियों को समान अधिकार मिलते हैं। इस प्रकार के शासन में धार्मिक असहमति को सहनशीलता से लिया जाता है।

4. **मानवाधिकारों का संरक्षण**: शासक को **मानवाधिकारों** और **स्वतंत्रता** की रक्षा करनी होती है, जिससे लोकतांत्रिक संस्थाओं और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। यह सिद्धांत जनता के अधिकारों और धार्मिक सिद्धांतों का एक अच्छा मिश्रण प्रदान करता है। **लोकप्रिय प्रभु सत्ता के सिद्धांत की आलोचना**:

1. **धार्मिक और राजनीतिक संघर्ष**: लोकप्रिय प्रभु सत्ता में, **धार्मिक और राजनीतिक अधिकारों** के बीच कभी-कभी **संघर्ष** उत्पन्न हो सकता है। शासक को **ईश्वर के आदेश** और **जनता की इच्छाओं** के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो सकता है, विशेष रूप से जब धार्मिक आदेशों का पालन करना और लोकतांत्रिक प्रथाओं के बीच टकराव हो।

2. **सत्ता का केंद्रीकरण**: कभी-कभी शासक द्वारा **ईश्वर के आदेश** का पालन करते हुए, सत्ता का केंद्रीकरण किया जा सकता है, जिससे **लोकतांत्रिक प्रक्रिया** में कमियां आ सकती हैं और **लोकतांत्रिक संस्थाओं** के अधिकारों में कटौती हो सकती है।

3. धार्मिक विविधता में समस्याएँ: इस सिद्धांत के तहत, एक धर्म विशेष का शासन हो सकता है, जो **धार्मिक अल्पसंख्यकों** के अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। भले ही इसे **धार्मिक सहिष्णुता** माना जाता हो, फिर भी किसी विशेष धर्म को **सर्वोच्च सत्ता** के रूप में मानना **धार्मिक विविधता** वाले समाजों में समस्याएँ पैदा कर सकता है।

आस्टिन का प्रभु सत्ता का सिद्धांत (Austin's Theory of Sovereignty) प्रसिद्ध ब्रिटिश कानूनज्ञ और दार्शनिक **जॉन ऑस्टिन** (John Austin) द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आस्टिन ने **प्रभु सत्ता** (Sovereignty) के सिद्धांत को एक विशिष्ट तरीके से परिभाषित किया, जो **कानूनी और राजनीतिक सत्ता** को समझने का एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है। उनका सिद्धांत मुख्य रूप से **निरंकुश और अपारदर्शी प्रभु सत्ता** पर आधारित है, जिसमें शासक या राज्य की सत्ता सर्वोच्च और निर्विवाद होती है। आस्टिन का सिद्धांत **कानूनी विचारधारा** (Legal Positivism) से संबंधित है और इसमें **कानूनी आदेशों** और **प्रभु सत्ता** के रिश्ते को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।

आस्टिन के प्रभु सत्ता का सिद्धांत: आस्टिन के अनुसार, **प्रभु सत्ता** का मतलब है **सर्वोच्च और निरंकुश अधिकार** जो राज्य के पास होता है, और यह किसी भी अन्य संस्था, कानून या प्राधिकरण से **निर्विवाद** होती है। उन्होंने इसे एक अत्यंत **कानूनी और विधिक दृष्टिकोण** से परिभाषित किया।

आस्टिन के सिद्धांत के प्रमुख तत्व:

1. **प्रभु सत्ता की परिभाषा**: आस्टिन के अनुसार, **प्रभु सत्ता** वह शक्ति है जो **कानूनी आदेशों** को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के **बाधारहित तरीके** से लागू करने का अधिकार रखती है। प्रभु सत्ता का **अधिकार निरंकुश और सर्वोच्च** होता है। प्रभु सत्ता को किसी अन्य सत्ता से चुनौती नहीं दी जा सकती, और यह **नियमों और आदेशों** की **निर्विवाद स्वीकृति** करती है।

2. **प्रभु सत्ता का निरंकुश और अविरोधित होना**: आस्टिन के अनुसार, प्रभु सत्ता **बिना** किसी अपील या विरोध के अपना आदेश लागू कर सकती है। इसका अर्थ यह है कि राज्य या शासक का **कानूनी आदेश** अंतिम होता है, और इसे कोई अन्य व्यक्ति या संस्था न तो चुनौती दे सकती है, न ही इसे पलट सकती है। प्रभु सत्ता वह शक्ति होती है, जो **निर्विवाद रूप से सभी लोगों पर लागू होती है**, और किसी भी राज्य या संस्था से इसे चुनौती नहीं दी जा सकती।

3. **प्रभु सत्ता का कानून बनाना और लागू करना**: आस्टिन के सिद्धांत के अनुसार, शासक या राज्य को **कानून बनाने** और **उसे लागू करने** का अधिकार है। यह अधिकार **सर्वोच्च** और **अवधारित** होता है, और इससे कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं होता। शासक का कार्य है कि वह **कानूनी आदेश** बनाए और उसे सुनिश्चित तरीके से लागू करे।

4. **प्रभु सत्ता की स्थायित्व और अपरिवर्तनीयता**: आस्टिन के अनुसार, प्रभु सत्ता **स्थायी** और **अपरिवर्तनीय** होती है। इसका मतलब है कि **प्रभु सत्ता का अधिकार** कभी समाप्त नहीं होता और वह राज्य या शासक के लिए हमेशा मौजूद रहता है। शासक को केवल **सत्ता के निर्विवाद आदेशों का पालन** करना होता है, और यह आदेश पूरे समाज में लागू होते हैं।

5. **प्रभु सत्ता का कानून द्वारा परिभाषित होना**: आस्टिन का मानना था कि प्रभु सत्ता केवल **कानूनी और विधिक रूप** में पहचान योग्य होती है। उसका कोई अन्य **धार्मिक या नैतिक आधार** नहीं होता। इस दृष्टिकोण के तहत, प्रभु सत्ता का अस्तित्व केवल कानूनी और विधिक संदर्भ में होता है, और इसे किसी अन्य आध्यात्मिक या आदर्श सिद्धांत से जोड़ने का कोई कारण नहीं है।

आस्टिन के सिद्धांत का विश्लेषण:

1. **निरंकुशता और सर्वोच्चता**: आस्टिन ने प्रभु सत्ता को **निरंकुश** (absolute) और **सर्वोच्च** (supreme) माना, जिसका अर्थ था कि राज्य का आदेश **अंतिम और निर्विवाद** होता है। यह परिभाषा **राजतंत्र** और **तानाशाही** शासन की ओर झुकती है, क्योंकि इसमें किसी अन्य सत्ता या शक्ति को चुनौती देने का अधिकार नहीं होता।

* इस सिद्धांत में **लोकतांत्रिक प्रणालियाँ** और **जनता की आवाज** की भूमिका नहीं दिखती है, जो इसे कुछ आलोचकों के लिए **अत्यधिक केंद्रीकृत और गैर-लोकतांत्रिक** बना सकता है।

2. **कानूनी यथार्थवाद (Legal Positivism)**: आस्टिन का सिद्धांत **कानूनी यथार्थवाद** (Legal Positivism) से जुड़ा हुआ है, जिसमें यह माना जाता है कि **कानून केवल राज्य की शक्ति और प्रभु सत्ता के आधार पर अस्तित्व में आता है**। इसमें कोई **नैतिक या धार्मिक** पक्ष नहीं होता है। इस प्रकार के दृष्टिकोण में, कानून केवल राज्य की इच्छाओं और आदेशों के आधार पर निर्धारित होता है।

* आस्टिन के सिद्धांत को **नैतिकता और न्याय** से बाहर रखा जाता है, क्योंकि उनके अनुसार, कानून और प्रभु सत्ता की वैधता **केवल कानूनी अधिकार** पर आधारित होती है, न कि समाज की **नैतिक या आदर्श** मान्यताओं पर।

3. **लोकतंत्र और आस्टिन का सिद्धांत**: चूंकि आस्टिन ने प्रभु सत्ता को निरंकुश और सर्वोच्च माना, उनका सिद्धांत **लोकतंत्र** और **जनता के अधिकारों** को सीमित कर सकता है। लोकतांत्रिक राज्यों में **जनता** को सर्वोच्च माना जाता है, जबकि आस्टिन के अनुसार, प्रभु सत्ता **एक केंद्रीय शासक या राज्य** के पास होती है और उसे किसी भी बाहरी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ता।

4. **आधुनिक परिप्रेक्ष्य में आलोचना**: लोकतांत्रिक सिद्धांतों में आस्टिन के सिद्धांत की आलोचना की जाती है, क्योंकि वह **केंद्रित सत्ता** के पक्ष में है। आज के समय में, **लोकतांत्रिक विचारधारा** में यह माना जाता है कि **प्रभु सत्ता जनता से आती है** और शासक को जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना चाहिए, न कि सिर्फ एक निरंकुश शासक के रूप में। इसके अलावा, आस्टिन के सिद्धांत में **नैतिकता** और **मानवाधिकारों** की बात नहीं की जाती, जिससे **सामाजिक न्याय** और **मानव अधिकारों** की रक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता।

निष्कर्ष: **जॉन ऑस्टिन का प्रभु सत्ता का सिद्धांत** एक **कानूनी और विधिक दृष्टिकोण** से **प्रभु सत्ता** को परिभाषित करता है, जिसमें राज्य या शासक को **निर्विवाद और सर्वोच्च अधिकार** प्राप्त होता है। इस सिद्धांत के अनुसार, शासक के आदेश **अंतिम और निरंकुश** होते हैं, और उनका पालन हर नागरिक पर अनिवार्य होता है। आस्टिन के इस सिद्धांत को **कानूनी यथार्थवाद** (Legal Positivism) के सिद्धांत में रखा जाता है, जिसमें **कानूनी अधिकारों** की सर्वोच्चता मानी जाती है, और इसमें **नैतिकता** और **मानवाधिकारों** की कोई भूमिका नहीं होती।

आस्टिन का प्रभु सत्ता का सिद्धांत (Austin's Theory of Sovereignty) प्रसिद्ध ब्रिटिश कानूनज्ञ और दार्शनिक **जॉन ऑस्टिन** (John Austin) द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आस्टिन ने **प्रभु सत्ता** (Sovereignty) के सिद्धांत को एक विशिष्ट तरीके से परिभाषित किया, जो **कानूनी और राजनीतिक सत्ता** को समझने का एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है। उनका सिद्धांत मुख्य रूप से **निरंकुश और अपारदर्शी प्रभु सत्ता** पर आधारित है, जिसमें शासक या राज्य की सत्ता सर्वोच्च और निर्विवाद होती है। आस्टिन का सिद्धांत **कानूनी विचारधारा** (Legal Positivism) से संबंधित है और इसमें **कानूनी आदेशों** और **प्रभु सत्ता** के रिश्ते को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।

****आस्टिन के प्रभु सत्ता का सिद्धांत:****आस्टिन के अनुसार, ****प्रभु सत्ता**** का मतलब है ****सर्वोच्च और निरंकुश अधिकार**** जो राज्य के पास होता है, और यह किसी भी अन्य संस्था, कानून या प्राधिकरण से ****निर्विवाद**** होती है। उन्होंने इसे एक अत्यंत ****कानूनी और विधिक दृष्टिकोण**** से परिभाषित किया।

****आस्टिन के सिद्धांत के प्रमुख तत्व:****

1. ****प्रभु सत्ता की परिभाषा****:आस्टिन के अनुसार, ****प्रभु सत्ता**** वह शक्ति है जो ****कानूनी आदेशों**** को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ****बाधरहित तरीके से लागू करने का अधिकार**** रखती है। प्रभु सत्ता का ****अधिकार निरंकुश और सर्वोच्च**** होता है।

प्रभु सत्ता****** को किसी अन्य सत्ता से चुनौती नहीं दी जा सकती, और यह ****नियमों और आदेशों**** की ****निर्विवाद स्वीकृति**** करती है।

2. ****प्रभु सत्ता का निरंकुश और अविरोधित होना****: आस्टिन के अनुसार, प्रभु सत्ता ****बिना किसी अपील या विरोध के**** अपना आदेश लागू कर सकती है। इसका अर्थ यह है कि राज्य या शासक का ****कानूनी आदेश**** अंतिम होता है, और इसे कोई अन्य व्यक्ति या संस्था न तो चुनौती दे सकती है, न ही इसे पलट सकती है।

* प्रभु सत्ता वह शक्ति होती है, जो ****निर्विवाद रूप से सभी लोगों पर लागू होती है****, और किसी भी राज्य या संस्था से इसे चुनौती नहीं दी जा सकती।

3. ****प्रभु सत्ता का कानून बनाना और लागू करना****: आस्टिन के सिद्धांत के अनुसार, शासक या राज्य को ****कानून बनाने**** और ****उसे लागू करने**** का अधिकार है। यह अधिकार ****सर्वोच्च**** और ****अवधारित**** होता है, और इससे कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं होता। शासक का कार्य है कि वह ****कानूनी आदेश**** बनाए और उसे सुनिश्चित तरीके से लागू करे।

4. ****प्रभु सत्ता की स्थायित्व और अपरिवर्तनीयता****:आस्टिन के अनुसार, प्रभु सत्ता ****स्थायी**** और ****अपरिवर्तनीय**** होती है। इसका मतलब है कि ****प्रभु सत्ता का अधिकार**** कभी समाप्त नहीं होता और वह राज्य या शासक के लिए हमेशा मौजूद रहता है। शासक को केवल ****सत्ता के निर्विवाद आदेशों का पालन**** करना होता है, और यह आदेश पूरे समाज में लागू होते हैं।

5. ****प्रभु सत्ता का कानून द्वारा परिभाषित होना****: आस्टिन का मानना था कि प्रभु सत्ता केवल ****कानूनी और विधिक रूप**** में पहचान योग्य होती है। उसका कोई अन्य ****धार्मिक या नैतिक आधार**** नहीं होता। इस दृष्टिकोण के तहत, प्रभु सत्ता का अस्तित्व केवल कानूनी और विधिक

संदर्भ में होता है, और इसे किसी अन्य आध्यात्मिक या आदर्श सिद्धांत से जोड़ने का कोई कारण नहीं है।

****आस्टिन के सिद्धांत का विश्लेषण**:**

1. ****निरंकुशता और सर्वोच्चता****: आस्टिन ने प्रभु सत्ता को ****निरंकुश**** (absolute) और ****सर्वोच्च**** (supreme) माना, जिसका अर्थ था कि राज्य का आदेश ****अंतिम और निर्विवाद**** होता है। यह परिभाषा ****राजतंत्र**** और ****तानाशाही**** शासन की ओर झुकती है, क्योंकि इसमें किसी अन्य सत्ता या शक्ति को चुनौती देने का अधिकार नहीं होता।

* इस सिद्धांत में ****लोकतांत्रिक प्रणालियाँ**** और ****जनता की आवाज**** की भूमिका नहीं दिखती है, जो इसे कुछ आलोचकों के लिए ****अत्यधिक केंद्रीकृत और गैर-लोकतांत्रिक**** बना सकता है।

2. ****कानूनी यथार्थवाद (Legal Positivism)****: आस्टिन का सिद्धांत ****कानूनी यथार्थवाद**** (Legal Positivism) से जुड़ा हुआ है, जिसमें यह माना जाता है कि ****कानून केवल राज्य की शक्ति और प्रभु सत्ता के आधार पर अस्तित्व में आता है****। इसमें कोई ****नैतिक या धार्मिक**** पक्ष नहीं होता है। इस प्रकार के दृष्टिकोण में, कानून केवल राज्य की इच्छाओं और आदेशों के आधार पर निर्धारित होता है।

* आस्टिन के सिद्धांत को ****नैतिकता और न्याय**** से बाहर रखा जाता है, क्योंकि उनके अनुसार, कानून और प्रभु सत्ता की वैधता ****केवल कानूनी अधिकार**** पर आधारित होती है, न कि समाज की ****नैतिक या आदर्श**** मान्यताओं पर।

3. ****लोकतंत्र और आस्टिन का सिद्धांत****: चूंकि आस्टिन ने प्रभु सत्ता को निरंकुश और सर्वोच्च माना, उनका सिद्धांत ****लोकतंत्र**** और ****जनता के अधिकारों**** को सीमित कर सकता है। लोकतांत्रिक राज्यों में ****जनता**** को सर्वोच्च माना जाता है, जबकि आस्टिन के अनुसार, प्रभु सत्ता ****एक केंद्रीय शासक या राज्य**** के पास होती है और उसे किसी भी बाहरी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ता।

4. ****आधुनिक परिप्रेक्ष्य में आलोचना****: ****लोकतांत्रिक सिद्धांतों**** में आस्टिन के सिद्धांत की आलोचना की जाती है, क्योंकि वह ****केंद्रीकृत सत्ता**** के पक्ष में हैं। आज के समय में, ****लोकतांत्रिक विचारधारा**** में यह माना जाता है कि ****प्रभु सत्ता जनता से आती है**** और शासक को जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना चाहिए, न कि सिर्फ एक निरंकुश शासक के रूप में।

* इसके अलावा, आस्टिन के सिद्धांत में **नैतिकता** और **मानवाधिकारों** की बात नहीं की जाती, जिससे **सामाजिक न्याय** और **मानव अधिकारों** की रक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता।

प्रभु सत्ता का बहुलवादी दृष्टिकोण (Pluralistic Theory of Sovereignty) एक ऐसी राजनीतिक और कानूनी अवधारणा है जिसमें सत्ता को केवल एक व्यक्ति या संस्था तक सीमित नहीं किया जाता, बल्कि विभिन्न **समूहों** और **संस्थाओं** के बीच साझा और वितरित किया जाता है। इस दृष्टिकोण में, राज्य की सर्वोच्चता केवल एक केंद्रीय सत्ता या शासक के हाथों में नहीं होती, बल्कि यह विभिन्न **समाजों**, **संगठनों**, और **संगठित समूहों** द्वारा साझा की जाती है।

यह दृष्टिकोण **बहुलवाद** (Pluralism) के सिद्धांत पर आधारित है, जो यह मानता है कि **समाज में विभिन्न हितों, समूहों, विचारों और विश्वासों का समावेश** होता है, और इनका समन्वय और संतुलन बनाए रखना चाहिए। इस दृष्टिकोण में **प्रभु सत्ता** **किसी एक संप्रभु व्यक्ति या संस्था** के बजाय विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक समूहों के बीच वितरित होती है।

प्रभु सत्ता का बहुलवादी दृष्टिकोण: प्रमुख तत्व

1. **सत्ता का वितरण**: बहुलवादी दृष्टिकोण में, **प्रभु सत्ता** का **वितरण** होता है। इसका अर्थ है कि सत्ता केवल एक केंद्र में न होकर, विभिन्न **समूहों**, **संस्थाओं** और **संगठनों** के पास होती है।

* उदाहरण के तौर पर, **विधानपालिका**, **कार्यपालिका**, **न्यायपालिका**, और **लोकतांत्रिक संस्थाएं** जैसी विभिन्न संस्थाएँ राज्य की सत्ता में भागीदार होती हैं और उनके बीच **शक्ति का संतुलन** होता है।

2. **विविधता और प्रतिस्पर्धा**: बहुलवादी दृष्टिकोण यह मानता है कि समाज में **विविध हित** होते हैं। विभिन्न **राजनीतिक दलों**, **धार्मिक संगठनों**, **व्यापारिक संगठनों** और **सामाजिक संगठनों** के अलग-अलग **हित** और **आवश्यकताएँ** होती हैं।

* प्रभु सत्ता को नियंत्रित करने के लिए **प्रतिस्पर्धा** और **समझौते** की आवश्यकता होती है, और **सभी समूहों** को **स्वतंत्रता** और **स्वीकृति** मिलनी चाहिए ताकि वे अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं के अनुसार काम कर सकें।

3. **लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अधिकार**:

* बहुलवादी दृष्टिकोण में, **लोकतांत्रिक प्रक्रिया** और **जनता के अधिकारों** को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। इसमें यह माना जाता है कि **जनता** को सर्वोच्च स्थान मिलता है और यह उनका अधिकार है कि वे राज्य के निर्णयों में भाग लें।

निर्वाचन प्रक्रिया**, **सार्वजनिक नीति में भागीदारी**, और **स्वतंत्र प्रेस** जैसी लोकतांत्रिक संस्थाएँ सत्ता के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

4. संस्थाओं और समूहों की स्वतंत्रता**:* बहुलवादी दृष्टिकोण के अनुसार, **विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक समूहों** को स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहने और अपने विचारों और विश्वासों को फैलाने का अधिकार होना चाहिए।* राज्य का कर्तव्य होता है कि वह इन समूहों के बीच **समझौते** और **समान अधिकारों** को सुनिश्चित करें, ताकि कोई समूह दूसरे पर हावी न हो सके।

5. **सहिष्णुता और सहमति**:* बहुलवादी दृष्टिकोण में **सहिष्णुता** और **सहमति** का महत्वपूर्ण स्थान होता है। समाज में **विविध विचारधाराएँ** और **संगठन** हो सकते हैं, लेकिन राज्य का उद्देश्य **सभी विचारों** और **समूहों** के बीच समझौते और सहमति उत्पन्न करना होता है, ताकि सामाजिक व्यवस्था में स्थिरता बनी रहे।

6. **न्याय और समानता**:* इस दृष्टिकोण में, प्रभु सत्ता का उद्देश्य **समानता** और **न्याय** सुनिश्चित करना होता है। **सभी नागरिकों** को समान अधिकार मिलते हैं और राज्य को उनके अधिकारों की रक्षा करनी होती है। प्रभु सत्ता का उपयोग **सभी समूहों** और **संगठनों** के हितों को संतुलित करने के लिए किया जाता है, ताकि समाज में किसी भी प्रकार का **भेदभाव** न हो।

प्रभु सत्ता के बहुलवादी दृष्टिकोण के लाभ**:

1. **समानता और न्याय सुनिश्चित करना**:* बहुलवाद में, विभिन्न समूहों और संस्थाओं को समान अधिकार मिलने के कारण **समानता** और **न्याय** सुनिश्चित होते हैं। किसी एक समूह को राज्य की सत्ता पर पूरा नियंत्रण नहीं होता, जिससे **सामाजिक न्याय** सुनिश्चित होता है।

2. **सत्ता का विकेंद्रीकरण**:* राज्य की शक्ति केंद्रीय शासन या एकल शासक तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह **विभिन्न संस्थाओं और समूहों** के बीच वितरित होती है। इससे **केंद्रीकरण** कम होता है और **लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं** का संचालन बेहतर होता है।

3. **विविधता का सम्मान**: इस दृष्टिकोण में **विविधता** और **धार्मिक, सांस्कृतिक** और **राजनीतिक मतों** का सम्मान किया जाता है। विभिन्न समूहों को अपने विचार और विश्वासों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलती है, जिससे एक **सहिष्णु** और **समाज आधारित शासन** की दिशा में मदद मिलती है।

4. **लोकतांत्रिक संरचना का सशक्तिकरण**: बहुलवाद लोकतंत्र में **पारदर्शिता**, **उत्तरदायित्व** और **जनता की भागीदारी** को सशक्त बनाता है। इसमें **विविध हितों** का समन्वय करने का प्रयास किया जाता है, जिससे शासन और प्रशासन में प्रभावी और न्यायपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं।

प्रभु सत्ता के बहुलवादी दृष्टिकोण की आलोचना:

1. **सत्ता का असमंजस**: कभी-कभी, सत्ता का **वितरण** और विभिन्न समूहों के बीच संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। जब कई समूहों के हित **विरोधाभासी** होते हैं, तो यह शासन में **असंतुलन** और **सत्ता संघर्ष** उत्पन्न कर सकता है।

2. **प्रभावी नेतृत्व की कमी**: बहुलवादी दृष्टिकोण में, सत्ता के **विभाजन** के कारण **केंद्रित और मजबूत नेतृत्व** की कमी हो सकती है। यह कभी-कभी **निर्णय लेने में देरी** और **संसाधनों के असमर्थ वितरण** का कारण बन सकता है।

3. **ग्रुप राजनीति का प्रभाव**: कभी-कभी, समूहों के बीच **प्रतिस्पर्धा** और **पक्षपाती राजनीति** का बढ़ावा भी हो सकता है, जिससे राज्य की कार्यप्रणाली में **विखंडन** और **ध्रुवीकरण** उत्पन्न हो सकता है।

4. **सभी समूहों के बीच समान अवसर का अभाव**: यदि राज्य के पास पर्याप्त शक्ति नहीं है तो यह कुछ समूहों के लिए **अधिकतम लाभ** और कुछ के लिए **कम अवसर** पैदा कर सकता है, जिससे **सामाजिक असमानता** बढ़ सकती है।

बहुलवाद (Pluralism) एक राजनीतिक और सामाजिक सिद्धांत है जो यह मानता है कि समाज में विभिन्न समूहों, संस्कृतियों, विश्वासों और हितों का अस्तित्व होता है, और ये सब मिलकर एक समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण करते हैं। बहुलवाद का आधार यह है कि समाज में कोई भी एक समूह या विचारधारा को पूर्णतः सर्वोच्च स्थान नहीं मिलना चाहिए, बल्कि सभी समूहों को समान अवसर और सम्मान मिलना चाहिए।

बहुलवाद की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

1. **समूहों का अस्तित्व (Existence of Groups)**

* बहुलवाद में समाज को **विभिन्न समूहों** और **संस्थाओं** में बाँटा जाता है। इन समूहों में **राजनीतिक दल**, **धार्मिक समुदाय**, **सांस्कृतिक संगठन**, **व्यापारिक समूह**, **सामाजिक संगठन** आदि शामिल होते हैं।

* प्रत्येक समूह का अपना दृष्टिकोण, आदर्श, मान्यता, और उद्देश्य होता है, और समाज में इन समूहों का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है।

2. **समान अवसर (Equal Opportunity)** बहुलवाद में यह सुनिश्चित किया जाता है कि **सभी समूहों को समान अवसर** मिले। किसी भी समूह को **राजनीतिक**, **आर्थिक**, या **सामाजिक दृष्टिकोण** से वंचित नहीं किया जाता।

* राज्य का कर्तव्य होता है कि वह विभिन्न समूहों के **हितों का संतुलन** बनाए रखे और किसी एक समूह को दूसरे पर हावी होने का मौका न दे।

3. **विविधता का सम्मान (Respect for Diversity)** बहुलवाद में समाज की **विविधता** का सम्मान किया जाता है। यह माना जाता है कि समाज में विभिन्न **विचारधाराएँ**, **संस्कृतियाँ**, **धार्मिक विश्वास**, और **जीवनशैली** का अस्तित्व होता है, और इनका सम्मान करना समाज के समृद्धि के लिए आवश्यक है।

* बहुलवाद विभिन्नता को **समाज की ताकत** मानता है, न कि उसके लिए खतरा।

4. **राज्य का तटस्थ दृष्टिकोण (Neutrality of the State)** बहुलवादी समाज में राज्य का दृष्टिकोण **तटस्थ** होता है। इसका अर्थ है कि राज्य किसी एक विशेष समूह या विचारधारा के पक्ष में नहीं होता, बल्कि सभी समूहों के **हितों का संतुलन** बनाए रखने की कोशिश करता है।* राज्य का कर्तव्य है कि वह **समान अवसर**, **समान अधिकार**, और **न्याय** सुनिश्चित करे, ताकि कोई भी समूह उत्पीड़ित न हो।

5. **लोकतांत्रिक प्रक्रिया (Democratic Process)** बहुलवाद में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह सुनिश्चित करता है कि **सभी समूहों** को **राजनीतिक भागीदारी** का अवसर मिले, और उनकी **आवाज़** सरकार और नीति-निर्माण में शामिल हो।

* चुनाव, **प्रेस स्वतंत्रता**, **सार्वजनिक बहस** और **संगठनों की स्वतंत्रता** जैसे लोकतांत्रिक उपकरण बहुलवाद को समर्थन देते हैं।

6. **सहिष्णुता (Tolerance)** बहुलवाद में **सहिष्णुता** को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह विचारधारा इस बात पर जोर देती है कि समाज में विभिन्न प्रकार के विचार, विश्वास, और जीवनशैलियाँ हो सकती हैं, और हमें एक-दूसरे के **अलग-अलग दृष्टिकोणों का सम्मान** करना चाहिए।

* सहिष्णुता की भावना से ही समाज में **सामाजिक सद्भावना** और **शांति** बनाए रखी जा सकती है।

7. **समझौता और संवाद (Compromise and Dialogue)** बहुलवाद यह मानता है कि समाज में विभिन्न समूहों के बीच **समझौता** और **संवाद** जरूरी है। विभिन्न समूहों के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इन मतभेदों को **संवाद** और **समझौते** के माध्यम से सुलझाना चाहिए।

* **संविधान**, **कानून** और **राजनीतिक प्रणाली** ऐसी संरचनाएँ होती हैं जो समूहों के बीच **संवाद** को बढ़ावा देती हैं और **साझे हितों** की रक्षा करती हैं।

8. **समान अधिकारों की सुरक्षा (Protection of Equal Rights)**

* बहुलवाद में यह मान्यता है कि समाज के हर सदस्य को **समान अधिकार** मिलते हैं, चाहे वे किसी भी समूह, धर्म, जाति या वर्ग से संबंधित हों।

* यह दृष्टिकोण **समानता** और **न्याय** को बढ़ावा देता है, जिससे कोई भी समूह या व्यक्ति **भेदभाव** या **अत्याचार** का शिकार नहीं होता।

9. **शक्ति का वितरण (Distribution of Power)** बहुलवाद के अनुसार, **राज्य की शक्ति** एक ही स्थान या एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय, शक्ति को **विभिन्न संस्थाओं** और **समूहों** में वितरित किया जाना चाहिए।

* यह शक्ति के **विकेंद्रीकरण** की ओर संकेत करता है, जिससे किसी एक समूह का अत्यधिक प्रभाव न बढ़ सके और सभी समूहों को **समान अवसर** प्राप्त हो।

10. **सह अस्तित्व (Coexistence)** बहुलवाद में **सह अस्तित्व** की अवधारणा पर जोर दिया जाता है। विभिन्न समूहों को एक साथ मिलकर **शांति से रहना** और एक-दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए।

* यह इस विचार पर आधारित है कि विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक समूहों का एक दूसरे के साथ **समान रूप से अस्तित्व** हो सकता है।